खण्ड-282, अंक-10
बुधवार, 30 वैशाख, शक संवत् 1892
(20 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 282 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०७७–१०८१
प्रश्नोत्तर	१०८१–१११३
उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियम तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	१११३
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१११३
फर्टीलाइजर फैक्टरी, गोरखपुर के अहाते में श्री किस्टोसिंह की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	१११३–१११४
थाना मोदीनगर, जिला मेरठ की पुलिस आरक्षा में श्री राजपाल की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य	१११५–१११६
ग्राम गोविन्दपुर, थाना कलवारी में श्री फतेह मुहम्मद उर्फ मट्टुल्ले को पीटे जाने और उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य	१११६–१११७
थाना फतेहगंज, पूर्वी, जिला बरेली के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों के बारे में वक्तव्य	१११७–१११९
शामली, जिला मुजफ्फरनगर शुगर मिल मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी के ऊपर कथित हमले के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१११९–११२१
मुख्य मंत्री से सम्बन्धित अनुदानों को एक साथ लेने पर आपत्ति ..	११२१–११२२
अनुदानों से सम्बन्धित साहित्य न मिलने पर आपत्ति	११२२–११२८
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या १०–सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११–आयुक्त और जिला प्रशासन, अनुदान संख्या १५–पुलिस, अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशने तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ४५–नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (जारी)	११२८–११७१
१५ मई, १९७० की नियम ५१ के अन्तर्गत शेष सूचनायें ..	११७१–११७२
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें ..	११७२
६ अप्रैल, १९७० को दिल्ली में संयुक्त समाजवादी प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठी चार्ज से सम्बन्धित, नियम ५२ की सूचना पर चर्चा की मांग ..	११७३–११८१
गाजियाबाद में अजन्ता फिल्म स्टूडियों को सरकार द्वारा कम मूल्य पर भूमि देने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	११८१–११८८
नत्थियां	११८९–११९९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २० मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३५८

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री

ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त श्री, (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपयी, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा , श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह , श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंग बहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद , श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ श्री,
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन , श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दलसिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म दत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन , श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता , डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री

फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली बेबी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहानरपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल, किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामहरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण वाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री

सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २० मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नहरों तथा नलकूपों से सिंचाई दरें

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के किसानों पर नहरों व नलकूपों को वर्तमान रबी की फसल से सिंचाई की दरें बढ़ाई हैं ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ? क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के किसानों पर नहरों व नलकूपों की सिंचाई दरें भिन्न हैं ? यदि हां, तो क्यों और कितनी–कितनी ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

जी हां, १ नवम्बर, १९६९ से नहरों तथा नलकूपों पर सिंचाई की दरों में वृद्धि की गई है जो नलकूपों पर लगभग ५० प्रतिशत तथा उन नहरों पर जिन पर अनुसूची १ व २ की दरें लागू हैं, २५ प्रतिशत हैं ।

नहरों तथा नलकूपों पर सिंचाई दरें भिन्न है जिसके कारण, सिंचाई निर्माण कार्यों की लागत में भिन्नता, उनसे पानी दिये जाने की सुनिश्चितता, पूरे वर्ष भर पानी की उपलब्धि तथा उनके संचालन व्यय आदि है ।

दरों की सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११८९–११९१ पर)

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय सिंचाई मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों की नहरों की दरों में क्या अन्तर है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह तो सूची में दिया हुआ है जो माननीय सदस्य को उपलब्ध कर दी गयी है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या यह सही है कि पश्चिमी क्षेत्रों मेरठ, आगरा, बुलन्दशहर आदि में सिंचाई की दरें पूर्वी उत्तर प्रदेश से चौगुनी ज्यादा हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अनुसूची १, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है और अनुसूची २, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, उनकी दरों में एक और दो का अन्तर है। यानी दुगुनी हैं न कि चौगुनी।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बतायेंगे कि १ नवम्बर, १९६९ से जो सिंचाई की दरें बढ़ाई गयीं, उनके बढ़ाये जाने के माननीय मंत्रीजी स्वयं विरोधी थे तो क्या उनको अब कम करने का कोई ख्याल करते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस प्रश्न पर सरकार ने अभी विचार नहीं किया।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्रीजी को ज्ञात है कि जो ट्यूबवैल की सिचाई की दरें पहले थीं, वे इतनी अधिक थीं कि उनको कम करने की मांग किसानों की थी, लेकिन अब ५० प्रतिशत उनमें और वृद्धि कर दी गयी है। इससे जनता में बड़ा असन्तोष है। क्या बढ़ी हुई दरों को कम करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह बात सही है कि पेश्तर एक रुपया में १२ हजार गैलन पानी दिया जाता था नलकूपों से जिसको अब १ नवम्बर, ६९ से ८ हजार गैलन कर दिया गया है। १९६८ में राष्ट्रपति के शासन में एक कमेटी बनी थी कर निर्धारण समिति के नाम से। उसने जो रिपोर्ट की थी उसमें तो और अधिक महंगा पानी देने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन पिछली सरकार ने उक्त दरें निर्धारित की, जो हानि और लाभ को देखकर निर्धारित की गयीं हैं।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार एक ही प्रकार से चलने वाली नहरों और विद्युत् से चलने वाली नहरों की दरों को एक समान करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, लिफ्ट कैनाल की दरें भी लाभ और हानि को देख कर ही निर्धारित की गयी हैं। दूसरे प्रकार की नहरों के बारेमें यह देखा जाता है कि उनसे क्या आमदनी है और उनके रख रखाव पर कितना खर्च होता है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां ३५ और ४० प्रतिशत ही सिंचाई होती है ८ हजार गलन के बजाय पूर्ववत् १२ हजार गैलन करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह एक नीति का प्रश्न है और मैं आप से पहले ही बता चुका हूं कि सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर सकी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्रीजी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि छोटे किसानों पर अधिक भार न पड़े कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि छोटे किसानों को सिंचाई की बढ़ी हुई दरों से राहत मिल सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह भी फिर नीति की बात है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जबकि गंगा कैनाल सिस्टम में फायदा ज्यादा है और खर्च कम है तो क्या गंगा कैनाल सिस्टम की नहरों से आबपाशी की दरों में कमी करने पर ध्यान देंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सिंचाई विभाग के जरिये प्रदेश को जो आमदनी होती है उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि १ नवम्बर, १९६९ से पहले सिंचाई विभाग को प्रति वर्ष १० करोड़ रुपये की हानि हो रही थी । इस हानि को बचाने की दृष्टि से ही पुरानी सरकार ने कुछ करों में वृद्धि की है । इसलिये किसी एक नहर पर घटा दें इस पर उस रोशनी में विचार करना संभव नहीं है ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सिचाई की दरों में जो अन्तर है उसका क्या आधार है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग मुकाबिलन आर्थिक दृष्टि से कमजोर भी हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वे सिंचाई की व्यवस्था को अपना रहे हैं । इसलिये पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की दरें कुछ कम रखी गयी हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार का लाभ वाली नहरों पर कुछ सिंचाई की दरों को घटाने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

लाभ और हानि की बात तो मैंने लिफ्ट इरीगेशन योजना के सिलसिले में बतायी थी । जहां तक गंगा और पूर्वी जमुना कैनाल की बात है वह तो तमाम प्रदेश से जो सिंचाई से आमदनी है और जो खर्चा है उसको ध्यान में रख कर ही किया जा रहा है ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

सिंचाई की दर तो बढ़ा दी लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी भी सरकार ले रही है कि किसानों को पानी समय से मिले ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह जिम्मेदारी तो सिंचाई विभाग की है ही । जहां-जहां से इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं वहां उचित व्यवस्था कराने का प्रयास किया ही जाता रहता है ।

लखनऊ में तीन सिनेमा घरों को बन्द करना

**२—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद), श्री सियाराम (जिला एटा) तथा श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में तीन छबिगृह दिनांक १ मई, १९७० से बन्द हैं? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनके बन्द होने से सरकार को प्रति सप्ताह कितनी आर्थिक हानि हो रही है?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

लखनऊ में सुदर्शन सिनेमा १-४-१९७० से तथा नावेल्टी टाकीज व बसन्त सिनेमा १-५-७० से बन्द है। इन तीन सिनेमाओं से कुछ मिलाकर मनोरंजन कर के रूप में करीब २२,००० रु० प्रति सप्ताह की आय होती हैं। जहां तक इन सिनेमा-गृहो से शासन को होने वाली हानि का प्रश्न है, वह हानि वास्तव में न के बराबर है क्योंकि सिनेमा दर्शक शहर के अन्य सिनेमा-गृहों में सिनेमा देखते हैं।

लखनऊ में तीन सिनेमा घरों को लाइसेंस न मिलना

**३—श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री रामचन्द्र विकल तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में ३ छबिगृह बन्द हैं? क्या सरकार सिनेमा लाइसेन्स देने के नियमों में परिवर्तन कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

गृह उप-मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां।

सिनेमा लाइसेंस देने के नियमों में शासन द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। शासन द्वारा समय-समय पर जिला मैजिस्ट्रेटों के सहायतार्थ निदेश निर्गत किये जाते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो समय-समय पर आदेश दिये गये, जैसे एक आदेश २५-५-६७ का था और दूसरा आदेश ४-४-७० का था उनके अन्दर नीति में परिवर्तन की बात है या नहीं?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

नीति के परिवर्तन की कोई बात नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि एक तो आदेश २५-५-६७ का है जिसके अन्तर्गत उनको सिनेमा लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था है जिनके मुकदमे विचाराधीन हैं और दूसरा आदेश दिनांक ४-४-७० का है जिसके अन्तर्गत उनको लाइसेन्स दिये जाने की व्यवस्था नहीं है जिनके मुकदमे विचाराधीन हैं?

श्री चरणसिंह—

बसन्त, सुदर्शन और नावेल्टी सिनेमा १९६६ में बन्द हो गये। १९६६ में ये तीनों पट्टेदार थे। एक का पट्टा १९६६ में खत्म हो गया। फिर वह गवर्नमेंट के पास आये और उन्होंने कहा कि हमें फिर लाइसेन्स दे दीजिये। गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारा पट्टा खत्म हो गया है। फिर भी उनको एक साल का मौका दे दिया कि हाई कोर्ट से तुम अपने हक में आर्डर करा लो और इस बीच में हम तुमको दे रहे हैं और उनको साल भर का मौका दे दिया। अब उसके ४ साल हो गये हैं और वह अब तक हाई कोर्ट से आर्डर नहीं लाये। १९६६ में उनकी लीज

भी खत्म कर दी गई और १९६८ में उनका पट्टा भी खत्म हो गया। मालिक सिनेमा न उनसे किराया लेते हैं और न उनको हाई कोर्ट से डेक्लेरेशन मिला है कि यह इन्टाइटिल्ड हैं। एक बात यह कही जाती है कि सिनेमा बन्द होने से गवर्नमेंट की आमदनी बन्द हो गई है जो इनसे होती थी, इस तरह से उसमें कमी आई है। गवर्नमेंट की आमदनी में कमी नहीं आई है। अगर आप बसन्त में देखने न जायें तो प्रिंस में देख लीजिये। देखने को तो आपको मिल ही जायेगा। तो इसमें कमी नहीं हुई है। इनके बन्द होने के बाद भी १९६९–७० में ६ लाख की आमदनी हुई है।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या माननीय मुख्म मंत्री जी बतायेंगे कि बसन्त सिनेमा बन्द किया गया वह किन नियमों के अन्तर्गत बन्द किया गया था और जब चालू किया गया तो किन नियमों के अन्तर्गत चालू किया गया ?

श्री चरणसिंह---

उनको १९६६ में एक साल का मौका दे दिया गया था कि तुम हाई कोर्ट से आर्डर ले आओ इस बीच में उनको इजाजत दे दी गई थी। एक के अब चार साल हो गये हैं फिर भी वह हाई कोर्ट का आर्डर नहीं लाये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब तक नया ऐक्ट लागू नहीं होता है उनको प्रोटेक्शन देने के लिये तैयार हैं ?

श्री चरण सिंह---

मुझे स्वामी जी से हमदर्दी है, लेकिन मैं आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हूं ?

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सिनेमा के लाइसेंसों को रिन्यू करने के लिये कोई प्रश्नावली भेजी गई है ? यदि हां, तो उसकी आवश्यकता क्यों हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

प्रश्नावली कोई नहीं भेजी गई । एक निर्देशन पहले भेजा गया था ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को सूचना समझ कर कि देहरादून के सिनेमा-मालिकों और आपरेटरों को एक प्रश्नावली भेजी गई है उसको भर कर देने के बाद ही उनका रिन्यूअल होगा पुनर्विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री चरण सिंह---

उनका जो सवाल था उससे मालूम होता था कि कोई आम प्रश्नावली भेजी गई है। अब वह कोई आम प्रश्न के बजाय पार्टीकुलर पूंछ रहे हैं तो इसका हमें इल्म नहीं है। वह मिलकर पूछ लेंगे हम जानकारी करवा लेंगे ।

गन्ना ग्राम विकास सेवकों का वेतन-क्रम

**४—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व गन्ना विकास राज्य मंत्री ने जो गन्ना ग्राम सेवकों के वेतन-क्रम व भत्ते आदि में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति की थी उसके संबंध में वर्तमान सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गन्ना राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

भूतपूर्व राज्य मंत्री, गन्ना विकास ने गन्ना ग्राम सेवकों के वेतन-क्रम व भत्ते आदि में कोई बढोत्तरी स्वीकृत नहीं की थी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अगर भूतपूर्व गन्ना मंत्री ने विचार नहीं किया तो क्या वर्तमान गन्ना मंत्री जी बढोत्तरी के बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

विचार हो रहा है किन्तु चूंकि यह वित्त से संबंधित है इस कारण वित्त विभाग से भी परामर्श हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

यह प्रश्न शासन के कब से विचाराधीन है ?

श्री चरणसिंह---

जब आपकी सरकार थी तभी से विचाराधीन चला आ रहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अध्यक्ष महोदय, मैं सुन नहीं पाया ।

श्री अध्यक्ष---

वह कह रहे थे कि जब से आपकी सरकार थी तब से विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व गन्ना मंत्री ने इस संबंध में सहानुभूति-पूर्वक विचार किया था ?

श्री राजमंगल पांडेय---

भूतपूर्व गन्ना मंत्री ने सहानुभूति पूर्वक विचार किया था इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पार्क रोड, लखनऊ से श्रीमती जी०सी० चतुर्वेदी की बेदखली

*१---श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक १० अप्रैल, १९७० को फ्लैट नं० आर-६,३--पार्क रोड, लखनऊ, से श्रीमती जी०सी० चतुर्वेदी और उनके बच्चों को नगर महापालिका लखनऊ, के अधिकारियों कर्मचारियों ने जबरदस्ती बेदखल करने का प्रयास करते हुये उनके सामान को घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त बेदखली की कोई सूचना श्रीमती चतुर्वेदी को दी गई थी ? और, यदि नहीं दी गई थी, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

यह विषय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस संबंध में किसी प्रकार का उत्तर देना उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि बी०के०डी० के राज मंत्री और नवनिर्वाचित एम०एल०सी० श्री राज बहादुर द्विवेदी को एकोमोडेशन देने के लिये यह मकान खाली कराया गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री–(श्री अतीकुर्रहमान)---

जी हां, यह मकान इनको एलाट हुआ है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न का कौन-सा हिस्सा ऐसा है जो अदालत में विचाराधीन होने के कारण यहां बताया नहीं जा सकता है,?

श्री अतीकुर्रहमान---

यह मुकदमा उन्होंने मुंसिफ कोर्ट में दायर कर दिया है मिसेज चतुर्वेदी ने कि वैकेशन गलत तरीके से हुआ है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

इसमें यह प्रश्न पूछा गया था, क्या यह सही है कि दिनांक १० अप्रैल, १९७० को फ्लैट नं० आर०-६, ३-पार्क रोड, लखनऊ, से श्रीमती जी०सी० चतुर्वेदी और उनके बच्चों को नगर महापालिका, लखनऊ के अधिकारियों कर्मचारियों ने जबरदस्ती बेदखल करने का प्रयास करते हुए उनके सामान को घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया ? इसमें बताने में क्या कठिनाई है ? क्या यह फैक्ट सही है, या नहीं, इतना पूछना चाहता था ?

श्री अध्यक्ष---

मुकदमें में यह भी चीज तय होगी, वह कह सकते हैं कि . . .

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यही जवाब आ जाय ।

श्री अध्यक्ष---

वह कमिट कैसे कर दें । गवर्नमेंट पार्टी नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी

श्री गोविन्द सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न के अंतिम भाग में पूछा गया है कि क्या श्रीमती चतुर्वेदी को पहले सूचना भेजी गयी थी बेदखली की, तो यह भाग सब जूटेडिस नहीं है। इसके बारे में वह इनफारमेशन दे सकते हैं कि क्या ऐसी सूचना दी गयी या नहीं दी गयी ।

श्री अध्यक्ष---

यह क्वैश्चन हो सकता है या नहीं, वह डिनाई कर सकते हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

लेकिन यह नहीं डिनाई कर सकते कि अदालत में उनका मुकदमा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह मुकदमा जो है सरकार और मिसेज चतुर्वेदी के बीच में है या मिसेज चतुर्वेदी और नगरपालिका के बीच में है और उसमें सरकार भी है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

मुकदमा मिसेज चतुर्वेदी और महापालिका की आथरिटीज के बीच में है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि न्यायालय की कार्यवाही के बाद जो दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे कि उनको कठोर से कठोर सजा दी जा सके ?

श्री अतीकुर्रहमान---

जो दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जायगी ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि भारतीय क्रांति दल के सचिव श्री द्विवेदी जी को किस तारीख को यह मकान एलाट किया गया था ?

श्री अतीकुर्रहमान---

यह ३ अप्रैल को एलाट किया गया था ।

मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चतुर्वेदी जी का एक मकान यहां और एक इलाहाबाद में इन तारीखों में था ? दूसरे, इसी तरीके से नगरपालिका और सरकार के मकानों में जो अफसर यहां रहते हैं उनको वह तबादले के बाद भी घेरे रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

पहले हिस्से का जवाब दे दें ।

श्री अतीकुर्रहमान---

मुझको इसकी सूचना नहीं थी कि उनके पास कितने मकान और कहां-कहां हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्रीमती जी०सी० चतुर्वेदी इस मकान में कब से रह रही थीं और उनके ऊपर कोई बकाया वगैरह था या नहीं ?

श्री अतीकुर्रहमान---

उनके ऊपर ४५१.१२ किराये का बकाया था और उनका अनअथराइज्ड ओकूपेशन था । श्री जी०सी० चतुर्वेदी दो मकानों में रह रहे थे बी०६ और बी०५ और वे इन दोनों मकानों में रह रहे थे । उनके भाई और उनकी लड़की भी उनके साथ रहते थे और उनकी पत्नी ज्यादातर इलाहाबाद में ही रहती थीं ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जी० सी० चतुर्वेदी ने कोई दरख्वास्त या रिपोर्ट इस घटना के संबंध में लाज की थी और वह रिपोर्ट क्या थी। पुलिस में या अधिकारियों के पास ?

श्री अतीकुर्रहमान---

इस बात की कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने कोई इस तरह की चीज दी थी ।

अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमती जी० सी० चतुर्वेदी इस मकान में कितने दिनों से रह रही थीं ?

श्री अतीकुर्रहमान---

उनका तबादला यहां से एक साल पहले हो गया था और ऐक्चुअल पोजीशन वही है जो मैंने बताई है।

बांदा शहर की पेय जल व्यवस्था

*२---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या सरकार बम्बेश्वर पहाड़ी पर एक और रिजर्वायर बना करके व १२ इंच की वर्तमान राइजिंग वाटरमेन के स्थान पर ३६ इंची राइजिंग वाटरमेन को लगा कर बांदा नगर की पानी की मुस्तकिल किल्लत को दूर करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त कामों को करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

इस समय बांदा शहर की पानी की किल्लत दूर करने के लिये ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन बम्बेश्वर पहाड़ी में ५० हजार गैलन का एक रिजर्वायर बनाकर बांदा शहर के कुछ ऐसे क्षेत्रों में पानी देने की योजना है जहां अभी पानी नहीं दिया जाता। मगर नगरपालिका बांदा की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस योजना के लिये कब तक धन की व्यवस्था हो सकेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि बांदा में पानी की इतनी किल्लत है कि सुबह थोड़ी देर के लिये पानी मिलता है और फिर सारे दिन पानी नहीं मिलता है जिससे वहां की जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

बांदा में पानी की जरूर किल्लत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब नगरपालिका मजबूर है और उसकी आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि वह पेय जल योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करवा सके, तो क्या सरकार इस दिशा में कुछ करन जा रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

इस नगरपालिका पर ६ लाख रुपया से ज्यादा का कर्ज है। १९६९-७० में एक पेय जल की स्कीम बनाई गई २.५७ लाख रुपये की बंम्बेश्वर पहाड़ी पर एक रिजर्वायर बनाकर जिसके द्वारा इनडस्ट्रियल एरिया तथा पुलिस लाइंस वगैरह में पानी पहुंचाये जाने के लिये परन्तु नगरपालिका द्वारा इस पैसे को न देने के कारण योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

प्रश्न यह है कि १२ इंची का जो वाटर राइजिंग पंप लगा है उसकी जगह पर ३६ इंच का लगा दिया जाय तो पानी की किल्लत दूर हो सकती है।क्या मंत्री जी नगरपालिका की आर्थिक दशा को देखते हुए सरकार की तरफ से इस काम को करवाने की कृपा करेंगे?

श्री अतीकुर्रहमान---

३६ इंच की पाइप लाइन लगाने की इस समय कोई जरूरत नहीं है।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार की यह नीति है कि ग्रामीण अंचलों में पानी पहुंचाया जाय । बांदा एक बड़ा नगर है और वहां पर कोट है, इंटरमीडियेट कालेज है और उद्योगधंधों का भी विस्तार है । क्या सरकार कोई विशेष अनुदान देकर यदि ३६ इंच संभव न हो सके तो २४ इंच की पाइप लाइन को यहां पर लगवाने की कृपा करेंगी ताकि वहां की पानी की दिक्कत दूर हो सके ?

श्री अतीकुर्रहमान---

बोर्ड ने ई०टी०ओ० से दरख्वास्त की है और उनकी तरफ से बोरिंग का काम हो रहा है और शुरू का काम हो रहा है । ई०टी०ओ० एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल आर्गेनाइजेशन उसका खर्चा वहन करेगा और जब यह मालूम हो जायेगा कि कहां कितनी मिकदार में पानी मिल सके तब उसके बाद नगरपालिका अपने खर्चे पर उसका इंतजाम करेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी को यह पता है कि प्यासे लोगों को पानी देना सरकार का कर्त्तव्य है और खासकर स्वायत्त शासन विभाग का, तो बूंद-बूंद पानी को जो लोग तरस रहे हैं उसके लिये तुरन्त कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

सिवाय इसके कि पुनर्गठन किया जाय इस स्कीम का और क्या तुरन्त कार्यवाही हो सकती है, जैसवांल साहब जो सजेस्ट करेंगे तो वह कर दिया जायेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैंने तो प्रश्न में ही कहा है कि १२ इंची की जगह ३६ इंची वाटरमेन अगर लगा दे तो यह दिक्कत दूर हो जायगी।

श्री अतीकुर्रहमान---

यह इस वक्त मुमकिन नहीं है ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न)

*१-२---श्री शिवानन्द नौटियाल-

[पुनर्विचारार्थ हटा दिये गये]

टाउन एरिया, खैर के कर्मचारी संघ का कथित शिकायती पत्र

*३---श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या टाउन एरिया खैर, जिला अलीगढ़ के चेयरमैन को निलम्बित करने के लिये जिलाधीश, अलीगढ़ ने कोई आख्या शासन को प्रस्तुत की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

ऐसी कोई आख्या शासन को प्राप्त नहीं हुई । अतः उस पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्यान सिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि टाउन एरिया, खैर, जिला अलीगढ़ के कर्मचारी संघ केअध्यक्ष का कोई शिकायती-पत्र सरकार को मिला है ? यदि हां तो कब और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अतीकुर्रहमान---

शिकायती-पत्र की इस वक्त सूचना नहीं है?

मुरादाबाद नगरपालिका द्वारा अनुदानों का व्यय

*४---श्री जितेंद्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगरपालिका को उसके भंग होने की तिथि से वित्तीय वर्ष १९६८-६९ तक सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत किस-किस वर्ष में कितना अनावर्तक एवं आवर्तक अनुदान किस-किस कार्य के लिये स्वीकृत किया गया ? क्या सभी स्वीकृत अनुदानों के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

श्री अतीकुर्रहमान---

बांछित सूचना संलग्न है।

शिक्षा विभाग से संबंधित अनावर्तक अनुदान में से रु० ९०,९९३ का उपयोग शेष है जो स्कूल निर्माण के लिये है और उचित भूमि न मिलने के कारण उपयोग नहीं हो सका है।

जलोत्सारण योजना के कार्यान्वयन के लिये स्वीकृत अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र नगरपालिका द्वारा नहीं वरन् स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा दिया जाना है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११९२-११९४ पर)

*५---श्री जितेन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)---

क्या यह सच है कि मुरादाबाद नगरपालिका द्वारा कुछ अनुदानों की धनराशियों को उन कार्यों पर व्यय न करके जिनके लिये वे स्वीकृत किये गये थे अन्य कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय कर दिया गया है? यदि हां, तो वह कुल धनराशि कितनी है? क्या सरकार मुरादाबाद नगरपालिका से ऐसी धनराशियों को जिनका दुरुपयोग हुआ है वापस लेने के संबंध में कोई विचार कर रही है।

श्री अतीकुर्रहमान---

जी नहीं, बाकी प्रश्न नहीं उठता है।

मुरादाबाद नगर पालिका के विरुद्ध श्री राम स्वरूप शर्मा का ज्ञापन

*६---श्री जितेन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत मुरादाबाद नगरपालिका में हुये भ्रष्टाचर सम्बन्धी अनेक विशेष घटनाओं का उल्लेख करते हुए १० अक्टूबर, १९६८ को कोई ज्ञापन नगर के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं श्री राम स्वरूप शर्मा ने राज्यपाल महोदय को राजभवन लखनऊ में दिया था जिसे शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन में उल्लिखित मामलों की जांच उन्हीं अधिकारियों द्वारा करवाई जिनके विरुद्ध ज्ञापन में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये थे ? क्या सरकार उपर्युक्त ज्ञापन एवं जांच के परिणाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अतीकुर्रहमान---

श्री शर्मा का ज्ञापन क्लेक्टर को जांच के लिए भेजा गया था । क्लेक्टर ने उसे तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के पास जांच हेतु भेजा । अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना उचित नहीं होगा ।

*७---श्री जितेन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगरपालिका के निलम्बन की तिथि से अब तक राजकीय संरक्षण में उनकी आर्थिक स्थिति क्या है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

अवक्रमण सितम्बर, १६५७ में हुआ था । वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११६५ पर)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन तथा गढ़वाल में कमिश्नरी दिवस पर व्यय

*८---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १६६६ में श्री नगर में भूतपूर्व सैनिकों का एक सम्मेलन अध्यक्ष नगरपालिका के संयोजकत्व में हुआ था ? यदि हां, तो इस कार्य के लिये भिन्न-भिन्न श्रोतों से कितना कितना धन कमिश्नर गढ़वाल मण्डल को तथा उनके माध्यम से प्राप्त हुआ था और उसका व्यय किस प्रकार हुआ ?

राजस्व उप मंत्री (श्री राम किंकर)---

अप्रैल, १६६६ में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में हुआ था जिसका संयोजन लक्ष्मण सिंह नेगी, अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर ने व्यक्तिगत रूप से किया था। श्री नेगी नगरपालिका पौड़ी के अध्यक्ष भी हैं ।

इस सम्मेलन के लिए भिन्न भिन्न श्रोतों से रू० २६,०३०.८२ प्राप्त हुआ था और उसका व्यय विभिन्न मदों पर हुआ जैसे भूतपूर्व सैनिकों को श्रीनगर पहुंचाने, सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को खाना खिलाने चैम्पियनशिप ट्राफी खरीदने, बिजली, शामियाना आदि तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ।

*९---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १६७० को जो पौड़ी (गढ़वाल) में गढ़वाल कमिश्नरी दिवस मन या गया उस पर कितना खर्च हुआ और वह धनराशि किन-किन सूत्रों से कितनी-कितनी प्राप्त हुई ?

श्री राम किंकर---

गढ़वाल कमिश्नरी दिवस पर कुल रु० ८,३२१.४० व्यय हुआ है । भिन्न-भिन्न श्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११६६ पर)

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या मंत्री जी बताएंगे कि वे भिन्न-भिन्न श्रोत क्या है और जो खर्चा हुआ है उसका ब्यौरेवार क्या हिसाब है ?

श्री अध्यक्ष---

ब्योरेवार हिसाब के लिए मैं इजाजत नहीं दूंगा । पहले हिस्से का जवाब दे दें ।

श्री राम किंकर---

कुल २६ संस्थाएं हैं जिनमें रिटायर्ड मिलेटरी के आदमी हैं, जिला सहकारी बैंक, देहरादून है, जिला उत्तर काशी से मिला है, महाराजा टेहरी गढ़वाल से प्राप्त हुआ है, बहुतों ने व्यक्तिगत तरीके से दिया है– इस तरह से कुल २६ संस्थाएं हैं जिनसे २६ हजार ३० रु० ८२ पैसे प्राप्त हुए हैं ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या मंत्री जी बताएंगे कि गढ़वाल कमिश्नरी को फिर से हटाकर कुमायूं कमिश्नरी में मिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राम किंकर---

यह तो नया प्रश्न है इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर गढ़वाल डिवीजन व चारों जिलाधीशों ने इस रैली में भाग लिया था? यदि हां, तो किस स्थिति में लिया था ?

श्री राम किंकर---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गढ़वाल कमिश्नरी की जो वर्षगांठ मनाई गई है क्या सरकार के आदेश से मनाई गई है?

श्री राम किंकर---

कोई ऐसे आदेश सरकार के नहीं थे ।

श्री गोविन्द सिंह---

यदि उन के उत्तर के अनुसार ऐसे कोई आदेश नहीं थे तो क्या सरकार का इनसे सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

यह वर्षगांठ उन्होंने मनाई जरूर लेकिन उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं किया जिस के लिए उन के खिलाफ अनुशासन भंग की कार्यवाही की जरूरत है क्योंकि कमिश्नरी बनी थी इसलिए उसकी वर्षगांठ का आयोजन किया गया था । वह उत्सव या सम्मेलन उन्होंने मनाया ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नरी की वर्षगांठ के आयोजन में जो पैसा इकट्ठा हुआ है वह जिलाधीशों ने भी इकट्ठा किया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जिला अधिकारियों द्वारा हर जिले से रुपया भेजा गया है और जन्वा करके उन्होंने रुपया भेजा है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कार्य में जो रुपया व्यय हुआ है और बाकी जो रुपया शेष रहता है उस की पूर्ति कैसे की गई ?

श्री राम किंकर---

कुछ संस्थाओं ने देने के लिए कहा है, उसी से पूर्ति की जायगी ।

[२० मई, १६७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

परीक्षतगढ़ विकास क्षेत्र में चकबन्दी

*१---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि क्षेत्र किठोर विकास क्षेत्र परीक्षतगढ़, जिला मेरठ में चकबन्दी लगभग सालों पहले समाप्त हो चुकी है परन्तु किठोर, ललियाना, बौडा, सौदत खजूरी माछरा वद्धा, मऊ, सिसोल आदि की डोलबन्दी तथा चकरोड अभी तक नहीं हो पाई है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम किंकर---

जिला मेरठ के अन्तर्गत क्षेत्र किठोर, विकास क्षेत्र परीक्षतगढ़ से सम्बन्धित प्रश्न में उल्लिखित सभी गांवों में चक तथा चक रोड आदि की डोलबन्दी का कार्य पूर्ण कर दिया गया है । अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री मंजूर अहमद---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन को इस बात की सूचना है कि किठोर, सिसौल आदि के कागजात दोबारा दु रुस्त हो रहे है? यदि हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री राम किंकर---

यह बात सही है कि किठौर के अभिलेखों में बहुत सी त्रुटियां पाई गई और उन के शुद्धि करण के लिए कार्यवाही हो रही है, इसी तरह से सिसौल में भी कुछ निगरानिया शेष थीं उनकी भी कार्यवाही हो रही है, आखिर में अगर जरूरत होगी तो फिर से डोलबन्दी की कार्यवाही की जायगी ।

श्री मंजूर अहमद---

जिन्होंने वे त्रुटियां की थीं और जिन कर्मचारियों ने उन को बाकी रखा उन के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री राम किंकर---

जहां तक गलतियों का सम्बन्ध है उसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है लेकिन जो व्यक्ति उन के लिए दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और सजा दी जायगी ।

श्री मंजूर अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह है कि किठौर ग्राम में चकबन्दी कर्मचारियों ने मिलकर ग्राम पंचायत और स्कूल आदि की जमीन छूटी थी वह कमजोर भूमिहीनों को न देकर कुछ काश्तकारों के नाम पैसा लेकर भर दिया और वह दुरुस्ती अब हो रही है ?

श्री राम किंकर---

इस के लिए नोटिस की आवश्यकता है मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

परगनाधीश, रसड़ा के विचाराधीन भूमि सम्बन्धी मामले

*२---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिलान्तर्गत परगनाधीश रसड़ा के अदालत से जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार ऐक्ट के अन्तर्गत गांव सभा की भूमि पर सन् १९६३ से तक १९६७ लगायत कितने मुकदमे कितनी कितनी आराजी के एक तरफ डिग्रियां हुई हैं और इन एकतरफा डिग्रियों को निरस्त कराने के लिये अब तक उक्त अदालत में कितनी तजविसानियां गांव सभा या राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं ?

*३---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला में परगनाधीश रसड़ा के अदालत की कितनी फाइलें सन १९६३ से १९६७ तक गायब हैं और इन गायब फाइलों में गांव सभा या राज्य सरकार द्वारा निर्णित की गई कितनी तजविसानियां हैं ?

श्री राम किंकर---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस अधिवेशन में उनको सूचना प्राप्त हो जायेंगी?

श्री राम किंकर---

श्रीमन्, प्रश्न बड़ा व्यापक है । करीब ४ वर्ष के मुकदमों के सिलसिले में है । अतः मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इसी सत्र में वांछित सूचना आ जायगी लेकिन एक महीने से कम समय नहीं लगेगा ।

श्री गोविन्द सिंह---

श्रीमन्, मेरे भी बहुत से प्रश्नों में उत्तर दिया जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो जिसकी सूचना एकत्रित की जा रही हो, आपसे प्रार्थना है कि उनको तब तक एजेन्डा में ही न रखें ?

श्री अध्यक्ष---

ये प्रश्न इसलिये रखे जाते हैं ताकि आपको मालूम हो जाय और आप उनके सम्बन्ध में थोड़ी सी टीका कर लें । इसलिये यह कह रखा है कि ऐसा किया जाय ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये कि ये फाइलें न्यायालय से गायब हुयी हैं, उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने ये फाइलें गायब करायी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जब यह मालूम हो जायेगा अवश्य ही कार्यवाही की जायगी अभी तो जांच हो रही है ।

*४---श्री मंजूर अहमद---

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

*५---श्री इन्द्र लाल---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रतापगढ़ जिले में नहरों से सिंचाई

*६---श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में नहर प्रतापगढ़ ब्रांच तथा इलाहाबाद ब्रांच व इनकी उप नहरों में फसली कुलाबा लगाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र माह मार्च से जुलाई सन् १९६९ तक प्रस्तुत किये गये तथा इन सभी प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी हां। २१४ प्रार्थना-पत्र इस अवधि में प्राप्त हुये जिनमें से १९० प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये तथा शेष २४ खारिज कर दिये गये।

*७---श्री जयराम यादव (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है जिला प्रतापगढ़ तहसील कुन्डा के गांव ढुलुवासई से जाने वाली माइनर नहर ऊंचे धरातल के कारण पूरा पानी नहीं देती ? यदि हां, तो इस नहर को गहरी खोदने तथा इसी गांव के अन्तर्गत नहर में पुलिया बनाने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी हां, किन्तु यह सही नहीं है कि प्रश्नगत माइनर अपना विस्तार लेने में असमर्थ है। इस लिये नहर को गहरी करने का प्रश्न नहीं उठता। ढुलुवासई गांव में पुलिया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

रामपुर नहर विभाग के अभियन्ता का त्यागपत्र

*८---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतावेंगे कि माह अक्टूबर, सन १९६६ ई० में रामपुर नहर विभाग जिला रामपुर के कितने सिंचाई अधिकारियों ने अपने त्याग-पत्र शासन को प्रस्तुत किये और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इस अवधि में केवल एक अभियन्ता का त्याग पत्र प्राप्त हुआ था जिसे शासन ने सशर्त स्वीकार कर लिया था।

अलीगढ़ डिवीजन, गंग नहर में कुलाबों की स्थिति

*९---श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि अलीगढ़ डिवीजन गंगनहर में राजबहा हैदरनगर में ग्राम गोभी के मजरों में कुलाबे नहीं लगे हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि फरवरी, सन १९६९ में एस० डी० ओ० ने अपने दौरे में पटरी कटवा कर सिंचाई कराना और अवैध लगे हुये कुलाबे पकड़े और दोषी कर्मचारियों को निलम्बित करा दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी हां। आवश्यक जांच के पश्चात् इसमें दो पतरौल पकड़े गये। एक पतरौल श्री खेमकरन के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण होकर उसको सजा दे दी गई तथा दूसरे के विरुद्ध कार्यवाही जारी है।

*१०—श्री जगदीश गांधी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अलीगढ़ डिवीजन गंग नहर में रजबहा हैदरनगर में चार या पांच मील के टुकड़े में कुलाबे नहीं लगे हैं ? क्या यह सही है कि विभागीय कर्मचारियों ने दिसम्बर, सन् १९६७ से मार्च, १९६८ तक जगह-जगह बार-बार रजबहा की पटरी कटवा कर ४०० या ५०० एकड़ भूमि के अवैधानिक सींच कराई ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। २९५ एकड़ की अवैधानिक सींच ३ पतरौलों के क्षेत्र में पाई गई जिसके फल-स्वरूप संबंधित पतरौलों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई गई जिसमे एक पतरौल को सजा मिल चुकी है और शेष दो के विरुद्ध कार्यवाही अभी चल रही है।

नलकूप सं० १२४ वस्ती ग्रुप में ईंटों के प्रयोग तथा फर्जी चौकीदार की नियुक्ति की शिकायत

*११—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि नलकूप खंड बस्ती के सहायक अभियन्ता प्रथम द्वारा नलकूप नवम्बर १२४ बस्ती ग्रुप पर फर्जी चौकीदार की नियुक्ति दिखाकर सरकारी खजाने से पैसा चार्ज करना माह दिसम्बर, १९६६ में पकड़ा था ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*१२—श्री शिव कैलाश (अनुपस्थित) तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि नलकूप खंड बस्ती के अधिशासी अभियन्ता माह दिसम्बर में दौरा करके प्रथम उपखंड के नलकूप नं० १२४ बस्ती ग्रुप तथा १०८ बस्ती ग्रुप पर प्रथम श्रेणी के स्थान पर द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के ईटें पायेंगे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड, बस्ती के कथनानुसार उन्होंने दिसम्बर, १९६६ में अपने दौरे के समय नलकूप संख्या १२४ बस्ती ग्रूप तथा १०८ खलीलाबाद ग्रुप (न कि १०८ बस्ती ग्रूप) पर कुछ द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की ईटें पाई थीं, जो प्रथम श्रेणी की ईटों से बदली जा रही थीं। सहायक अभियन्ता, प्रथम, नलकूप खंड, बस्ती से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया। सहायक अभियन्ता ने अपने उत्तर में बतलाया कि उन्होंने कोई द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की ईटों की खरीद का वर्क आर्डर नहीं दिया था और केवल प्रथम श्रेणी की ईटों का ही वर्क आर्डर दिया था। चूंकि सहायक अभियन्ता ने स्वयं मौके पर चेक किया था और सब ईंट प्रथम श्रेणी की ही पाई थी। अतः इस मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री हरिवंश सहाय—

जब उन्हीं अधिशासी अभियन्ता के आदेश से २ और ३ नम्बर की ईटें लगायी गयीं थीं तो फिर उन्हीं द्वारा जांच कराने से क्या तात्पर्य था कि वहां पर नम्बर एक ईंट लगी है या २ या ३ नम्बर की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उनसे जांच नहीं करायी गयी थी उनसे केवल स्पष्टीकरण मांगा गया था। जो उनका स्पष्टीकरण था, वह मैंने उत्तर में दे दिया है।

श्री हरिवंश सहाय—

उनकी जांच रिपोर्ट क्या थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसकी जांच पहले एक एस० ई० द्वारा करायी गयी लेकिन जो शिकायत कर्ता थे, उन्होंने कहा कि उसे उनके ऊपर भरोसा नहीं था फिर दूसरे सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को जांच का काम सौपा गया। फिर भी शिकायत कर्ता ने यह कहा कि उनका उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है। फिर एक एक्जीक्युटिव इन्जीनियर से उसकी जांच करायी गयी। उन्होंने कोई इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की कि वे दोषी हैं और उन्होंने कहा कि ठीक ही तरीके की ईंटें लगी हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह जो काम चल रहा था, इसमें अव्वल नंबर की ईटों के लिये आर्डर दिया गया था या दूसरे या तीसरे नंबर की ईटों के लिये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, यह तो उत्तर में स्पष्ट है कि वर्क आर्डर प्रथम श्रेणी की ईटों का था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब वर्क आर्डर प्रथम श्रेणी की ईटों का था तो द्वितीय या तृतीय श्रेणी की ईटें क्यों लगाई गई ? उनका आर्डर क्यों दिया गया ? ऐसा तो नहीं है कि वे ईटें शिकायत के आने के बाद बदल दी गई हों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, वर्क आर्डर नहीं बदला गया। वर्क आर्डर प्रथम श्रेणी की ईटों का था। जो निर्माण कर रहे थे उनको फर्स्ट क्लास ईटों का ही आर्डर दिया गया। बाद में जांच करने पर पता चला कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर में कुछ मनमुटाव था। जब अधिशासी अभियन्ता ने स्पष्टीकरण के लिये सहायक अभियन्ता के पास भेजा तो उन्होंने शिकायत नहीं की और वे उसके उत्तर से सन्तुष्ट हो गये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह अधिशासी अभियन्ता के संतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। यह तो मंत्री जी के सन्तुष्ट होने का प्रश्न है। जब प्रथम श्रेणी की ईटों का आर्डर था तो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के ईटें लगाने का मतलब है कि चोरी और घपला किया गया। जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनको सजा दें.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो यह है कि जो सूचना उन्होंने हासिल की वह दे दी है।

दोआबा हिंडन व जमुना के बीच नलकूप

*१३—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर के दो आबा हिन्डन व जमुना के बीच सरकारी नलकूप लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस बेईमानी और भ्रष्टाचार के मामले में सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया। इस तरह तो जो बेईमानी और भ्रष्टाचार चल रहा है उसको और परवरिश मिलेगी। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस में खुद आप हस्तक्षेप करके इसकी व्यवस्था कर दें कि गड़बड़ी न हो।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनके पास इन्क्वायरी के लिये भेज दूंगा और वे इसकी इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस क्षेत्र की सिंचाई योजना के लिये कोई सर्वे हुआ था और उसके मातहत दो नलकूप ग्राम मामौरा और चौरा खुर्द में लगते। उनको क्यों रोक दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सन् ६१-६२ में दो नलकूप लगाये गये थे लेकिन जितना प्रारम्भिक पानी निकासी हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता उनका पानी घटता चला गया। और सन् १९६९ में खारा पानी होने के कारण उनकी जालियां नष्ट हो गईं और इसी वजह से नये नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं बनाई गई।

श्री रामचन्द्र विकल—

जब सर्वे २० नलकूप लगाने के लिये किया गया था तो उनको फिर क्यों रोक दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

तजुर्बे के लिये पहले दो ही नलकूप लगाये गये। प्रारम्भ में एक नलकूप ने २३,६४९ गैलन तथा दूसरे ने ३५,३८८ गैलन पानी दिया, किन्तु बाद में वह बहुत घट गया। एक ने ४,३१८ तथा दूसरे ने इससे भी कम दिया। इसलिये दूसरों को नहीं लगाया गया।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बुलन्दशहर में कई नलकूप के० बी० वाले चल रहे हैं जो कामयाब हुये हैं, यदि हां, तो उनको विभाग ने क्यों नहीं लगाया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

विभाग उनको नहीं बनाता है, वह उस से कोई ज्यादा लाभ नहीं समझता।

श्री सजीवनलाल—

क्या एक दो नलकूपों से ही सारे क्षेत्र की जानकारी हो गयी कि वहां नलकूप सफल नहीं हो सकते ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, तजुर्बे के लिये जो लगाये गये वे ही फेल हो गये तो और किसलिये लगाये जाते ?

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी उन लोगों को जो प्राइवेट मलकूप लगाना चाहते हैं, उनको कनेक्शन दिलवायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्राइवेट कनेक्शन देने का काम मेरा विभाग नहीं करता है, फिर भी अगर किसान चाहते हैं तो मैं उसके लिये जरूर कोशिश कर सकता हूं ।

*१४—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

बांसी तहसील में पनघटिया बांध पर टेस्ट वर्क

*१५—श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील में किन-किन कार्यों को वर्ष १९६९–७० में टेस्ट वर्क द्वारा चालू करने के लिये जिलाधीश, बस्ती ने सिफारिश की और उन में से कौन–कौन कार्य दिनांक ३१ जनवरी, १९७० तक आरम्भ किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला बस्ती के बांसी तहसील में पनघटिया बांध पर टेस्ट वर्क चालू करने के लिये जिलाधिकारी ने सिफारिश की थी जो ३ नवम्बर, १९६९ से चालू किया गया था ।

परीक्षतगढ़ विकास खण्ड के भूमि संबंधी मुकदमें

*१६—श्री मंजूर अहमद—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि विकास खण्ड परीक्षतगढ़, जिला मेरठ के क्षेत्र के कितने मुकदमें तहसील या एस० डी० एम० की अदालत में भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में चल रहे हैं ?

श्री रामकिंकर—

३३३ मुकदमें तहसील में तथा १२ मुकदमें एस० डी० ओ० की अदालत में चल रहे हैं।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ३३३ मुकदमें जो चल रहे हैं वे किस जाति के लोगों पर चल रहे हैं ?

श्री राम किंकर—

मेरे पास उसकी सूचना नहीं है ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर कि इन में ९५ फीसदी मुकदमें ऐसे हैं जो भूमिहीनों पर चल रहे हैं, इन मुकदमों का जल्दी फैसला करने तथा उनको जमीन एलाट कराने के आदेश देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जितने भी मुकदमें चल रहे हैं सब का जल्दी फैसला किया जावेगा ।

श्री मंजूर जहमद—

यह मुकदमें कितने दिनों से चल रहे हैं ?

श्री राम किंकर—

यह सूचना नहीं है । यह पहली अप्रैल, १९७० तक के हैं ।

श्री गोविन्द सिंह—

यह कौन सी भूमि है जिनके संबंध में मुकदमा चल रहा है ?

श्री राम किंकर—

यह सूचना भी नहीं है ।

सिकन्दराबाद तहसील में चकबन्दी

*१७—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में फिर से चकबन्दी कराने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामकिंकर—

जी नहीं ।

श्री रामचन्द्र विकल—

तहसील सिकन्दराबाद में चूंकि सही चकबन्दी नहीं हुई है, इसलिये वहां के लोगों की मांग को देखते हुये पुनः चकबन्दी कराने के आदेश मंत्री जी क्या देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जहां चकबन्दी में कुछ गलतियां रह गयी हैं वहां पुनः चकबन्दी होनी चाहिये ।

श्री संजीवन लाल—

कब तक यह विचार हो जायेगा और आदेश चले जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसमें कोई आश्वासन का सवाल नहीं है, अभी तो चकबन्दी का कार्य चल ही रहा है । जब यह खत्म हो जायेगा तो जहां पहले दौर में कार्य पूरा हुआ है और जहां कुछ खामियां रह गयीं हैं वहीं पर जनता की मांगों तथा खामियों के अनुसार पुनः चकबन्दी कराने पर विचार होगा ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या जिन तहसीलों को पहले दौर में लिया गया था, वहां पहले फौरन पुनः चकबन्दी कराने के आदेश दिये जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह तो जहां जरूरत समझी जायेगी वहां पहले करायेंगे ।

श्री महीलाल—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पहले सुल्तानपुर की मुसाफिरखाना तहसील, मुरादाबाद की बिलारी तहसील और मुजफ्फरनगर की शामली तहसील आदि में ही चकबन्दी का कार्य शुरू किया गया था और वहां बहुत सी खामियां रह गयीं हैं और वहां की जनता की मांग भी बहुत दिनों से सरकार के पास पड़ी हुई है पुनः चकबन्दी कराने की ? यदि हां, तो क्या वहां की मांग को पहले पूरा कराया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने बताया कि जब पहला दौर खत्म हो जायेगा तो ऐसी जगहों में जहां कि खामियां रह गयी हैं और जहां के लोगों की मांग है, उसके अनुसार जरूर विचार किया जायेगा और अगर वहां जरूरत हुई तो वहां के लिये भी विचार किया जायेगा।

श्री संजीवन लाल—

जो बहुत से गांव चकबन्दी में छूट गये हैं जहां के लोग चाहते हैं कि उनके यहां भी चकबन्दी हो, क्या वहां चकबन्दी कराने के आदेश देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कुछ गांव कहीं कहीं ऐसे हैं जो चकबन्दी में छूट गये हैं। कुछ तो इसलिये छूटे गये हैं कि वहां के लोग नहीं चाहते थे। कुछ ऐसे हैं कि जहां चकबन्दी हो ही नहीं सकती थी। अब जहां चकबन्दी हो सकती है, और लोग उसको चाहेंगे तो वहां जरूर करा दी जायेगी।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी जौनपुर की शाहगंज तहसील में भी फिर से चकबन्दी करायेंगे जहां पर कि हजारों गलतियां रह गयीं हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अगर वहां गलतियां हैं तो जरूर विचार किया जायेगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

जिन जिलों में खराब चकबन्दी हुई है और पहला दौर भी खत्म हो गया है, क्या मंत्री जी वहां पर पुनः चकबन्दी उसी स्टाफ से कराने के आदेश देंगे ताकि वहां का कार्य शीघ्र हो सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मेरा मतलब पूरे प्रदेश से है। जहां काम हो रहा है, वहां स्टाफ लगा हुआ है, जब खत्म होगा तब ही दूसरी जगह किया जायेगा।

श्री महीलाल—

क्या माननीय राजस्व मंत्री दूसरा दौर शुरू करने से पहले वर्तमान चकबन्दी अधिनियम में संशोधन लाना आवश्यक समझते हैं? यदि हां, तो कब तक वह लाने का विचार कर रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यदि जरूरत पड़ी तो उस पर विचार कर लिया जाएगा।

रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार व सलोन जिले में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

*१८—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के विकास खंड ऊंचाहार व सलोन में कुल कितनी जमीन अलग-अलग सीलिंग में प्राप्त हुई है?

श्री राम किंकर—

विकास खंड ऊंचाहार में २१७ एकड़ तथा विकास खंड सलोन में १२६ एकड़ भूमि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत प्राप्त हुई ।

*१९—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त सीलिंग से मिली हुई जमीन का कितना हिस्सा हरिजनों को दिया गया और कितना अन्य लोगों को ?

श्री राम किंकर—

विकास खंड ऊंचाहार में ६१ एकड़ और विकास खंड सलोन में ४० एकड़ भूमि हरिजनों को दी गई ।

श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या माननीय मन्त्री जी बतानें की कृपा करेंगे कि प्रत्येक खण्डवार सूची क्या है ?

श्री राम किंकर—

विकास खंड, ऊंचाहार में २३ गांव हैं और विकास खंड सलोन में १७ गांव हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं....

श्री अध्यक्ष—

उनके नाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ।

कानपुर महापालिका के कर्मचारियों को उच्च वेतन-क्रम

*२०—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री अनुसचिव नगरपालिका (ग) विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र सं० अ० शा० ४२३ (iii) ग-८८ के (२५) ६६, दिनांक मार्च २५,१९६९ के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि उक्त पत्र में उल्लिखित नगर महापालिका, कानपुर के कर्मचारियों को उच्च ग्रेड न प्रदान किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह मामलें शासन के विचाराधीन हैं ।

*२१—श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उन कर्मचारियों में से किसी एक कर्मचारी का उच्च वेतन-क्रम स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

दो का निर्णय हो चुका है । उन्हें उच्च वेतन-क्रम दिया गया है ।

*२२–२३—श्री राम लगन दूबे—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा लिये गये]

नोट—तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*२४—श्री रामधारी शास्त्री—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बांदा जिले में सिंचाई लगान पर छूट

*२५—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९ की धान की फसल पर रोग लगने से बांदा जिले में सिंचाई लगान पर छूट दी गई है? यदि हां, तो कुल कितनी छूट दी गई है? इसका आधार क्या है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। उक्त जिले में यह छूट कुल २,६०,०७८ रु० दी गई है। नियमान्तर्गत ५० प्रतिशत से कम की हानि में कोई छूट नहीं दी गई, ५० प्रतिशत से लेकर ७५ प्रतिशत से कम की हानि पर आधी छूट दी गई तथा ७५ प्रतिशत एवं उससे ऊपर की हानि पर पूरी छूट दी गई है।

*२६—श्री हरवंश प्रसाद—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२७—श्री सतीश चन्द्र—

[७वें गुरुवार के प्र० सं० ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२८-२९—श्री इन्द्रमणी—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्म स्थान, दौलतपुर तक सड़क बनाने की प्रार्थना

*३०—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र, सरेनी ग्राम सराय बरिहा खेड़ा से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्म स्थान, दौलतपुर तक सड़क बनवाने की योजना है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

सराय बेरिया खेड़ा-भोजपुर सड़क के निर्माण की योजना है।

*३१—श्री गुप्तार सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सड़क ग्राम सराय बरिहा खेड़ा से आचार्य द्विवेदी जी के मकान दौलतपुर तक सन् ,१९६७ के बजट में आ चुकी थी?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं।

तम्बौर तथा कोड़री परगना में चकबन्दी न होना

*३२—श्री कृष्ण कान्त (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले की तहसील बिसवां में परगना तम्बौर तथा परगना कोड़री उत्तरी में चकबन्दी नहीं हुई है? उसका क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चकबन्दी क्रियाओं का प्रसार पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार किया जा रहा है। अतः सीतापुर जिले की तहसील बिसवां में तम्बोर और कुन्डरी (उत्तरी) परगनाओं के क्षेत्रों में भी चकबन्दी योजना का प्रसार यथा समय किया जायगा।

*३३-३४—श्री शिवबास—

[प्रश्नकर्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण अपास्त]

सिराथू घाता मार्ग की निर्माण स्वीकृति

*३५—श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत सिराथू से घाता जाने वाली सड़क के लिये सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है? यदि हां, तो सड़क के बनाने में क्या विलम्ब है?

श्री धर्मसिंह—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति २७ अप्रैल, १९७० को दी गई है। इस मार्ग के विस्तृत आगणन की प्राविधिक स्वीकृति के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जायगा।

हंडिया तहसील में नलकूप

*३६—श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद विकास खंड हंडिया के ग्राम, भगौतीपुर में नलकूप लगाया जाना सरकार की ओर से निश्चित हो चुका था और वहां के लोगों ने बांड भी भर दिया था? यदि हां, तो अब तक नलकूप क्यों नहीं लग पाया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं। उक्त ग्राम के कृषकों ने पहले १५० एकड़ क्षेत्र के लिए द्विभागीय उपकर पद्धति के फार्म 'अ' धोबहा नलकूप में सम्मिलित होने के भरे थे जिसका निर्माण हो गया है। तत्पश्चात् चूंकि पूरा भगौतीपुर का क्षेत्र "धोबहा" नलकूप से सिन्चित न हो सका, अतः वहां के कृषकों ने इसी १५० एकड़ क्षेत्र एवं शेष क्षेत्र को सम्मिलित करके एक नये नलकूप निर्माण हेतु फार्म भर दिये थे। ग्राम भगौतीपुर का कुछ क्षेत्र नलकूप धोबहा एवं कुछ क्षेत्र नलकूप "धनया" के कमान्ड में आ जाने के कारण, शेष क्षेत्र एक नये नलकूप के निर्माण के लिये अपर्याप्त था। इसलिये नये राजकीय नलकूप के निर्माण को उचित नहीं समझा गया।

*३७—श्री राजित राम पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि गांव महखरा, कुनौरा, खुर्रम, शाहपुर, भूसलपुर, बिझौली, बटऊपुर, रतीपुर, बेलहरा, मकदूमपुर, चका, धनसोपुर, चकमनोहर, दूलापुर, बाहरपुर, सियरहा, रामनगर, तहसील हंडिया में नलकूप के बांड भरे जा चुके हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक इन गांवों में नलकूप लगाने का विचार कर रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

तहसील हंडिया के केवल ग्राम महखरा, दूलापुर, बाहरपुर, सिकरहा, और बिझौली के कृषकों द्वारा भरे हुए फार्म विभाग को प्राप्त हुए जिनमें से ग्राम महखरा, दूलापुर, बाहरपुर तथा सिकरहा के लिये तीन राजकीय नलकूपों का कार्य पूरा हो गया है।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

ग्राम विझौली का क्षेत्र, राजकीय नलकूप के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया । शेष ग्रामों के कृषकों ने फार्म भर कर उस विभाग को नहीं दिये थे । अतः इन ग्रामों में उस समय नलकूप लगाने पर कोई विचार नहीं किया गया । १ नवम्बर, १९६९ से द्विभागीय उपकर पद्धति समाप्त हो गई है । अब उक्त ग्रामों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और यदि प्राविधिक एवं मितव्ययिता की दृष्टि से वहां नलकूप लगाना उपयुक्त पाया गया तो उन पर विचार कर लिया जायगा।

*३८—श्री सूबेदार प्रसाद—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

खम्भरिया बाजार को टाउन एरिया बनाने पर विचार

*३९—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के अन्तर्गत खम्भरिया बाजार को टाउन एरिया बनाने का सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अतीकुर्रहमान—

वाराणसी के अन्तर्गत खम्भरिया बाजार को टाऊन एरिया बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

कुंवर गड्डी बांध से पानी निकालने की व्यवस्था

*४०—श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के कुंवर गड्डी बांध से पानी निकालने की क्या व्यवस्था है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

कुंवर गड्डी बांध से पानी निकालने की दो व्यवस्थायें हैं ।

(अ) नहरों द्वारा,

(ब) बांध के अतिरिक्त जल निकासी फलैन्क ऐस्केप द्वारा ।

*४१—श्री विजयपाल सिंह—

क्या यह सही है कि कि बांध से जो पानी निकाला जाता है उसके बहाव का कोई उचित मार्ग न होने के कारण समीप के कई गांवों को भारी क्षति होती है तो क्या सिंचाई मंत्री तत्काल पानी के निकास का उचित मार्ग बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पानी के बहाव से समीप के ग्रामों को कोई क्षति नहीं होती है ।

*४२—श्री पारस नाथ सिंह—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*४३-४४—श्री रामधारी शास्त्री—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*४५-४६—श्री बांकेलाल—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

सिगावर गांव में सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त भूमि के पट्टे

*४७—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सिगावर, परगना फिरोजाबाद, तहसील निघासन, जिला खीरी में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत कितनी भूमि भूमिहीनों के देने हेतु उपलब्ध की गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गांव सिंगावर में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत ७०.७६ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी ।

*४८—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उक्त भूमि कितने भूमिहीनों को पट्टे पर दी गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि उसी सीरदार को सर्किल रेट के दूने पर दे दी गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त ७०.७६ एकड़ जिस खातेदार की अतिरिक्त घोषित हुई थी उसी को ५ वर्ष के लिये स्वीकृत मौरूसी दर के दूने लगान पर अन्तरिम पट्टे पर दे दी गई थी । पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भूमि का स्थायी बन्दोबस्त भूमिहीनों के साथ किया जावेगा ।

*४९-५०—श्री इन्द्रमणी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

फर्रुखाबाद की सदर तहसील में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*५१—श्री महरमसिंह (जिला फर्रुखाबाद) श्री सूबेदार सिंह (मैनपुरी) तथा डाक्टर जगदीश्वर दयाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६९ की बाढ़ में फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील के बाढ़ पीड़ितों को कितनी और किस किस प्रकार की सहायता दी गई? और क्या यह भी सही है कि यह बाढ़ इस जिले में पिछली प्रत्येक बाढों से अधिक रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने विशेष सहायता करने का प्रबन्ध किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

फर्रुखाबाद की सदर तहसील में १९६९ की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को ४,६८० रुपये अहेतुक सहायता, ४६,९८० रुपये गृह निर्माण अनुदान तथा ३०,३६५ रुपये तकावी के रूप में बांटे गये । इसके अलावा १,३५०-६० रुपये का गुड़ और चना भी गरीब बाढ़ पीड़ितों को दिया गया । सही यह है कि इस जिले में १९६९ की बाढ़ में १९६७ के मुकाबले में कम क्षत्रफल प्रभावित हुआ था लेकिन नुकसान अधिक हुआ था इसलिये आवश्यकतानुसार अधिक मदद भी दी गई । सदर तहसील के प्रभावित ग्रामों की खरीफ १३७७ फसली को ९०,५४३.२८ रुपये की मालगुजारी भी माफ की गई ।

*५२-५३—श्री देवकीनन्दन विभव—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५५—श्री राम सागर—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

कैफेटेरिया सेक्रेटेरिएट, लखनऊ की ठंडे पानी की मशीन

*५६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ सेक्रेटेरियट कैफेटेरिया में ठंडा पानी पीने की मशीन लगाने में कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री धर्मसिंह—

७,७५० रुपया ।

*५७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह सही है कि उक्त मशीन बहुत ही कम दिन चली, अधिकांश समय खराब पड़ी रही ? तो क्या खरीद से संबंधित अधिकारी तथा कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा सरकार का है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री धर्म सिंह—

गत सीजन में यह मशीन लगभग एक माह बन्द रही । तकनीकी खराबी होने के कारण कोई इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।

हिन्दुस्तान शुगर मिल, अवध शुगर मिल तथा महोली मिल के फार्मों की भूमि

*५८—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी), श्री तेजनारायन (जिला खीरी) तथा श्री सेवाराम (जिला खीरी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला के जमनाबाद अवध शुगर मिल्स, हरगांव के पिपरा तथा महोली मिल्स (जिला खीरी) के संजन नगर कृषि फार्मों से जोत-सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अलग-अलग और कुल कितनी भूमि राज्य सरकार में निहित हुई है और इस समय तक उसकी क्या वितरण व्यवस्था हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इन शुगर मिलों की निम्नलिखित भूमि अतिरिक्त घोषित होकर राज्य सरकार में निहित हुई थी:—

१—हिन्दुस्तान शुगर मिल का जमुनाबाद फार्म	..	२५५५.४६ एकड़
२—अवध शुगर मिल का पिपरा फार्म	..	३४५२.२७ एकड़
३—महोली मिल का खंजन नगर फार्म	..	७७७.०४ एकड़
योग	..	६७८४.७७ एकड़

जमुनाबाद फार्म की २४६६.८२ एकड़ भूमि ५ वर्ष के लिए मिल को ही अन्तरिम पट्टे पर उठाई गई थी जिसकी अवधि ३०-६-७० को समाप्त होगी। उसके बाद इसे भूमिहीनों को देने के आदेश शासन द्वारा दिये जा चुके हैं ।

अवध शुगर मिल, हरगांव के अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील सिविल जज के यहां की थी जो अभी विचाराधीन है। इस कारण भूमि का बन्दोबस्त रुका हुआ है।

लक्ष्मी शुगर मिल, महोली की भूमि पर सरकार को कब्जा ६-६-६६ को मिला है। इस भूमि का बन्दोबस्त भूमिहीनों के साथ किये जाने तथा इसका उपयोग अनुसूचित आदिम जातियों की पुनर्वास योजना के निमित्त करने का विचार किया जा रहा है।

*५६—श्री मोतीलाल देहलवी—

[७वें बुधवार के प्र० सं० ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अध्यक्ष, टाउन एरिया, खैर के विरुद्ध आरोप तथा अध्यक्ष, टाउन एरिया, सासनी द्वारा श्री सालिगराम कौशिक की सेवा समाप्ति

*६०—श्री कल्यान सिंह—

क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि क्या टाउन एरिया, खैर, जिला अलीगढ़ के चेयरमैन के विरुद्ध आरोपों से युक्त टाउन एरिया कर्मचारी संघ, खैर का दिनांक ३ फरवरी, १६७० को कोई ज्ञापन सरकार को मिला है ? यदि हां, तो प्रमुख आरोप क्या हैं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। प्रमुख आरोप कर्मचारियों के प्रति ज्यादती के हैं। जिलाधिकारी जांच करा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

*६१—श्री कल्यान सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि टाउन एरिया, सासनी, जिला अलीगढ़ के चेयरमैन द्वारा वहां के टोल टैक्स इन्सपेक्टर श्री सालिग राम कौशिक की सेवाओं के निरस्तीकरण के विरुद्ध जिला अलीगढ़ के अतिरिक्त जिलाधीश (ग्राम्य) ने दिनांक ७ मार्च, १६७० के अपने निर्णय में उक्त श्री कौशिक की सेवाओं के निरस्तीकरण की तिथि से बहाल करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त चेयरमैन ने उक्त आदेशों का पालन करते हुए उन्हें बहाल कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान—

अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बहाल करने का आदेश दिया है परन्तु चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी ने इससे पहले ही टोल टैक्स इन्सपेक्टर की जगह को समाप्त कर दिया था। यह मामला आगरा मंडल के आयुक्त के विचाराधीन है।

भूमि सुधार मूल्यांकन समिति के सदस्य

*६२—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि गत "गुप्ता मंत्रिमंडल" द्वारा गठित भूमि सुधार व्यवस्था संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने हेतु गैर सरकारी

व्यक्तियों की भूमि सुधार मूल्यांकन समिति को भंग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं, तो उस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं तथा उसको अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं । समिति भंग नहीं हुई है। समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है। समिति को जून, १९७० के अन्त तक अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करने को कहा गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११९७ पर)

*६३—श्री कल्यान सिंह—

उपरोक्त समिति का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और विषय क्षेत्र क्या है ? क्या समिति को राजस्व अधिनियम संशोधन करने के लिये सुझाव प्रस्तुत करने हेतु भी कहा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

समिति के कार्य-क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और विषय क्षेत्र का उल्लेख विज्ञप्तियां संख्या ४२/१ क-१८-५(१)-१९७०, दिनांक ४ फरवरी तथा ३१ मार्च, १९७० में किया गया है, जो राजपत्र (गजट) में प्रकाशित की जा चुकी है।

नैनीताल जिले में बर्मा से आये व्यक्तियों का पुनर्वासन

*६४—श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में कितने बर्मा से विस्थापित भारतीय शरणार्थी आये हैं और इस समय वे किन-किन स्थानों में रह रहे हैं, उनमें कितने का पुनर्वास किया जा चुका है और कहां-कहां ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नैनीताल जिले में बर्मा से लौटे हुए कुल १३६ परिवार ६५३ सदस्य आये । ये परिवार टनकपुर, चकरपुर, काठगोदाम, बनबसा, लोहिया हेड, बाजपुर, रुद्रपुर, गुलेर, भोज, हल्द्वानी, और मार्गस्थ शिविर रुद्रपुर, में रह रहे हैं । मार्गस्थ शिविर रुद्रपुर को छोड़कर अन्य जगहों पर रहने वाले परिवारों में से ८१ परिवारों को व्यापार के लिये ऋण देकर पुनर्वासित किया जा चुका है। इन्हीं में ११ परिवारों को ३०४ बीघा सीलिंग की जमीन कृषि के लिये एलाट की गई । ये लोग उपरोक्त स्थानों में व्यापार आदि कर रहे हैं ।

नैनीताल जिले में बाढ़ पीड़ित बंगाली शरणार्थियों को सहायता

*६५— श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या पुनर्वास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के बंगाली शरणार्थी उपनिवेश शक्ति फार्म के चार-पांच ग्राम पड़ाव तथा जोगीटर, तिघरी व शक्ति फार्म नं० १ व ३ में सूखी नदी की बाढ़ पिछले कई सालों की बाढ़ से तथा २१ से २३ सितम्बर, १९६९ की भयंकर वर्षा के समय की बाढ़ से कितने-कितने एकड़ भूमि रेतीली तथा कृषि के अयोग्य बन चुकी है और प्रत्येक ग्राम में कितने परिवार भूमिहीन हो गये हैं ? सरकार द्वारा उनको क्या-क्या सहायता दी गई और क्या उन भूमिहीन परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूखी नदी की बाढ़ से गोविन्द नगर पड़ावगांव में ४४६ एकड़, बैकुन्ठपुर (तिथरीध या शक्ति फार्म नं० १) में ३३६–५० एकड़, गुरुग्राम (शक्ति फार्म नं० २) में २०·५० एकड़ एवं देवनगर (जोगीडेर या शक्ति फार्म नं० ३) में १२७·३५ एकड़ भूमि रेत भर जाने के कारण कृषि योग्य नहीं रही। इस बाढ़ से लगभग २३८ परिवार प्रभावित हुए। पड़ावगांव में ८२ परिवार, बैकुन्ठपुर में २३ परिवार तथा देवनगर में एक परिवार भूमिहीन हो गये। प्रभावित परिवारों को अनुदान के रूप में १३,२३५ रु० दिये गये तथा २,००० रु० की तकावी बांटी गई। इनके सहायतार्थ टेस्ट वर्क्स भी खोलने के आदेश दिये गये।

इन भूमि हीन परिवारों के लिये वन विभाग से अथवा सीलिंग की अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इनके लिये कृषि योग्य भूमि खरीदने का भी विचार है जिसके लिये भारत सरकार से आर्थिक सहायता देने को कहा गया है।

अतारांकित प्रश्न

बरैनी–कछवा सड़क का निर्माण

१—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले की बरैनी-कछवा सड़क जो पी० डब्ल्यू० डी० ने जिला परिषद् के वित्तीय वर्ष, १९६८-६९ में ली थी, अब तक सरकार द्वारा कितनी बनाई जा चुकी है और कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—

इस मार्ग पर अब तक ६ फ० में मिट्टी का कार्य हो चुका है। दो पुलिया भी बन गई हैं। आशा है कि यह मार्ग १९७१ तक यातायात चलने के योग्य हो जायेगा।

२—श्री रामनिहोर राय—

क्या सरकार बतायेगी कि उल्लिखित सड़क पर वित्तीय वर्ष, १९६९–७० में कितना व्यय होगा ?

श्री धर्म सिंह—

३०,००० रुपया व्यय हुआ।

फतेहपुर कलां गांव में सीलिंग से प्राप्त भूमि

३—श्री शिवकुमार (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फतेहपुर कलां, परगना खुटार, जिला शाहजहांपुर का कुल रकबा आराजी कितना है और इस गांव में ग्राम समाज की भूमि कितनी है ? तथा सीलिंग कानून के अन्तर्गत जो भूमि सरकार को प्राप्त हुई है वह कितनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्राम फतेहपुर कलां का कुल रकबा ५६६ एकड़ है। गांव सभा में निहित भूमि ३६८ एकड़ है। अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र फल १३७ एकड़ है।

४—श्री शिव कुमार—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो भूमि सीलिंग कानून द्वारा प्राप्त हुई अथवा गांव समाज की है, उसे भूमिहीनों, हरिजनों अथवा सेना से रिटायर हुये व्यक्तियों को बांटने की कोई योजना उक्त गांव के लिये विचाराधीन है अथवा नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। क्योंकि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि पर जंगल लगा हुआ है और इसे वन विभाग को हस्तांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। गांव सभा में निहित भूमि में भी पट्टे पर उठाने के लिये कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है।

५–६—श्री सतीश चन्द्र—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

कौड़िहार विकास खंड में नलकूप

७—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद विकास खंड, कौड़िहार में अब तक कुल कितने नलकूप सरकार की ओर से लगाये गये हैं और कितने नलकूप १९७०–७१ में लगाये जाने की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जनपद इलाहाबाद के कौड़िहार विकास खंड में अब तक कोई राजकीय नलकूप नहीं लगाया गया है और न ही वर्ष, १९७०–७१ में किसी राजकीय नलकूप के लगाये जाने का प्रस्ताव है।

अतरौली तहसील में सड़कों का निर्माण

८—श्री कल्यान सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली में तहसील केन्द्र को मिलाने वाली कौन-कौन सी सड़कों का आधुनिकीकरण (माडर्नाइजेशन) और कौन-कौन सी सड़कों का नवनिर्माण होना स्वीकार हो चुका है तथा उन पर कब कार्य प्रारम्भ करने की योजना है ?

श्री धर्म सिंह—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तहसील अतरौली में अभी तक किसी सड़क का निर्माण या आधुनिकीकरण स्वीकृत नहीं हुआ है।

बेगुल सागर, नानक सागर व सारदा सागर में निहित भूमि

९—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में स्थित बेगुल सागर तथा नानक सागर व सारदा सागर बांधों के लिये अलग-अलग कितने-कितने एकड़ भूमि किस-किस विभाग से प्राप्त की गई थी ? उक्त तीनों सागरों में इस समय तक कितनी भूमि बिना जलमग्न है, पूर्ण लक्ष्य तक जल भरने के बाद कितने-कितने एकड़ भूमि बिना जल मग्न रह जायेगी तथा इस समय बिना जलमग्न वाली भूमि किस प्रकार उपयोग में ली जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११९८–११९९ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा १ मई, १९७० को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १५ मई, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७०, जो विधान सभा द्वारा ४ मई, १९७० को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १५ मई, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

फर्टीलाइजर फैक्टरी, गोरखपुर के अहाते में श्री किस्टो सिंह की हत्या के संबंध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

दिनांक १–५–७० को प्रातः ७–१५ बजे श्री रामनाथ सिंह, चार्जमैन यूरिया प्रोडक्शन विभाग, फर्टीलाइजर कारपोरेशन, गोरखपुर ने एक लिखित सूचना थाना चिलुवाताल में दी जिसमें कहा गया था कि उनके भाई किस्टो सिंह तथा राम दवन सिंह, जो फर्टीलाइजर कारखाने में ही काम करते थे, में परस्पर मित्रता थी। फर्टीलाइजर कारखाने के ही टी०पी० शुक्ला व बी०एन० तिवारी, जिनका एक गोल है, कि किस्टो सिंह व राम दवन सिंह से पुरानी रंजिश थी। दिनांक ३०–४–७० को दिन में टी० पी० शुक्ला आदि ने राम दवन सिंह को अकेला पाकर पिस्तौल दिखा कर उसकी घड़ी छीन ली और उसे घेरे रहे ताकि वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने न जा सके। किस्टो सिंह ने राम दवन सिंह की सहायता की और फर्टीलाइजर कारखाने के बाहर निकाल कर थाने में रिपोर्ट करने के लिये भेज दिया। यह बात टी० पी० शुक्ला आदि को बहुत बुरी लगी। दिनांक १–५–७० को करीब ५–३० बजे सुबह टी० पी० शुक्ला बी० एन० तिवारी तथा ५ अज्ञात व्यक्तियों ने किस्टो सिंह पर, जो फर्टीलाइजर फैक्टरी के अहाते में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, गाली देते हुए आक्रमण कर दिया और किस्टो सिंह को पकड़ लिया। टी० पी० शुक्ला ने किस्टो सिंह के सीने पर पिस्तौल रख कर फायर कर दिया और उसे पटक दिया। चाय की दुकान पर बैठे लोगों ने अपराधियों को पकड़ना चाहा परन्तु वे पिस्तौल दिखाते हुए भाग गये। किस्टो सिंह को घायल अवस्था में फार्टीलाइजर कारपोरेशन के अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना के आधार पर धारा १४८,१४९,३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

कायम किया गया और जांच तुरन्त प्रारम्भ की गई। दोनों नामजद अभियुक्त फरार हो गये थे। अतः दोनों के स्थायी निवास स्थानों पर दबिशें दी गईं किन्तु वे वहां भी नहीं मिले। गोरखपुर शहर में जहां उनके पाये जाने की सम्भावना थी तलाश की गई परन्तु वे नहीं मिले। अतः धारा ८७,८८ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये न्यायालय के आदेश प्राप्त किये गये और ६-५-७० को सम्बन्धित थानों को भेजे गये। ७-५-७० को दोनों अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हुये और जेल भेजे गये। अन्य ५ अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

अब तक की जांच से घटना में कारपोरेशन के किसी अधिकारी का हाथ होना नहीं पाया गया। फर्टीलाइजर कारपोरेशन के क्षेत्र में पी० ए० सी० द्वारा गश्त का प्रबन्ध किया गया है। उक्त क्षेत्र में न तो किसी प्रकार का तनाव है और न शान्ति भंग होने की कोई आशंका है।

मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों की जान को खतरा होने की कोई बात भी प्रकाश में नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था। माननीय रामधारी शास्त्री कोई स्पष्टीकरण चाहते हों तो करा लें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इस पर बहस करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

लिख कर दीजिये आप बहस के लिये।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने कहा कि मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों की जान को खतरा होने की कोई बात प्रकाश में नहीं आयी है। क्या यह सही है कि यूनियन के सेक्रेटरी, रमाकान्त पांडेय को एक आर्म्ड शैडो मिला हुआ है, तो यह सूचना सही है या जो वक्तव्य में दी गयी है वह सही है, इसका पता लगायेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं सूचना दे रहा हूं। १० दिन के लिये तत्काल आदेश है, और उसमें आज भी है, रमाकान्त पांडेय को पुलिस ने एक आर्म्ड शैडो दिया है, मेरी सूचना को आधार मान कर क्या मंत्री जी फिर इस पर कोई कार्यवाही करेंगे कि उनको इस तरह की अधूरी सूचना क्यों मिली ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इसका पता लगाइये, जैसा आपने कहा है।

थाना मोदीनगर, जिला मेरठ की पुलिस आरक्षा में श्री राजपाल की मृत्यु के संबंध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

थाना मोदीनगर, जिला मेरठ पर दिनांक ७–५–७० को ५–४५ शाम श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री हेमराज शर्मा, निवासी ग्राम नेक थाना जानी, जिला मेरठ (जो कि थाना मोदीनगर के अन्तर्गत ग्राम पतला में होमियोपैथी की डाक्टरी प्रैक्टिस करती है) की मौखिक रिपोर्ट पर एक मुकदमा कायम हुआ जिसमें यह कहा गया कि दिनांक ७–५–७० को सुबह ८ बजे के लगभग श्री राजपाल, पुत्र श्री अमन सिंह, निवासी ग्राम पतला उनके पास पहुंचा और डाक्टरानी से अपना पेट का परीक्षण करने को कहा। डाक्टरानी ने उससे बैठने तथा उसकी बारी आने तक प्रतीक्षा करने को कहा। इस पर राजपाल क्रोधित हो गया और डाक्टरानी को गंदी-गंदी गालियां देकर वहां से चला गया। उसी दिन लगभग २–३० बजे दोपहर के बाद जब कि डाक्टरानी अपनी दुकान पर बैठी हुई थीं तो श्री राजपाल और उसका भाई बुद्धू उनके पास पहुंचे। दोनों ने डाक्टरानी को मारना शुरू कर दिया। उनके आवाज लगाने पर कुछ लोग मौके पर आ गये। इतने में दोनों अभियुक्त डाक्टरानी की घड़ी, उसकी करीब ३ तोले की सोने की जंजीर मय पैन्डिल के और दाहिने कान की झुमकी छीन कर भाग गये।

इसके बाद वह पुलिस चौकी पतला गईं जहां से वह पुलिस चौकी के इंचार्ज तथा एक व्यक्ति के साथ रिपोर्ट करने थाना मोदीनगर पहुंचीं। थाने पर धारा ३९४ भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किये जाने के बाद, थाना मोदीनगर के सब-इन्सपेक्तर ने विवेचना शुरू कर दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार एक थानेदार और कुछ कांस्टोबिल, ग्राम पतला के चौ० करन सिंह, पुत्र चौ० सीताराम के साथ एक प्राइवेट कार से मोदीनगर कस्बे से बाहर अभियुक्त की तलाश में निकले तो उन्होंने गाड़ी की रोशनी में पतला ग्राम से मोदीनगर आते हुये एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति अभियुक्त राजपाल था और उसको चौ० करन सिंह ने पहचान लिया। इस पर कार रोक दी गई। अभियुक्त राजपाल ने भाग निकलने की कोशिश की लेकिन पुलिस पार्टी ने उसको पकड़ने के लिये पीछा किया। करीब ४० गज पीछा करने पर फोर्स की सहायता से अभियुक्त को पकड़ कर हिरासत में ले लिया गया। अभियुक्त पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह सम्पूर्ण अपराध को स्वीकार करने लगा। जब सब इंस्पेक्टर उसे ले चलने को हुये तो वह मूछित हो गया और उसका देहान्त हो गया। शव को पंचायत नामा तथा पोस्ट मार्टम के लिये भेज दिया गया। पोस्ट मार्टम से जाहिर है कि मृतक के काफी चोटें थीं और उसकी मृत्यु चोटों के कारण हुई। तदुपरान्त दिनांक ९–५–७० को थाना मोदीनगर पर धारा ३०२ भा० दि० वि० के अन्तर्गत सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टर व पुलिस कांस्टेबिलों के विरुद्ध एक मुकदमा कायम किया गया। जिसकी विवेचना उप पुलिस अधीक्षक, मेरठ कर रहे हैं। इस घटना से संबंधित सब-इन्सपेक्टर तथा कांस्टेबिलों को निलम्बित कर पुलिस लाइन्स मेरठ भेज दिया गया है।

पुलिस आरक्षा में श्री राजपाल की मृत्यु की घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश हो चुके हैं जिसके लिये गाजियाबाद के हाकिम परगना को नियुक्त किया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जो वक्तव्य मिले हैं वे सब नियम ५१ के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हर एक में लिखा है नियम ५१ के अन्तर्गत ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५१ के अन्तर्गत बहुत से सवाल आते हैं । सहूलियत के लिये मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि यह बहुत महत्व का है लिहाजा कम से कम वक्तव्य ही दिलवा दीजिये । प्रश्नों का सवाल नहीं होगा । जानकारी मिल जायगी । बाद में प्रश्न कर लिये जायेंगे । यह महज जानकारी मिलने के लिये सहूलियत दी गयी है । नियम ५१ के लिये आप सभी के लिये कोशिश करेंगे तो मैं नियम के अनुसार केवल एक ही ले सकूंगा, अन्य नहीं ले सकूंगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

ये जो वक्तव्य मिले हैं इनमें शब्द "केवल वक्तव्य" नहीं लिखे हैं । इनमें सब में नियम ५१ का हवाला दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आइन्दा जोड़ दिया जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो वक्तव्य मुख्य मंत्री ने दिया है उससे मालूम होता है कि वह पकड़ा गया, पिटाई हुई जैसा कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में है और ३०२ का मुकदमा दायर किया गया तब ऐसी हालत में इन अभियुक्तों को मुअत्तल करके पुलिस लाइन क्यों भेजा गया, जेल क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

अभी इसकी जांच हो रही है । बाद में और सूचना दी जायगी ।

ग्राम गोबिन्दपुर, थाना कलवारी में श्री फतेह मुहम्मद उर्फ मटुल्ले को पीटे जाने और उनकी मृत्यु के संबंध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २७-२-७० को ग्राम गोविन्दपुर, थाना कलवारी में रात्रि के करीब ७-८ बजे जब श्री फतेह मुहम्मद उर्फ मटुल्ले निवासी, ग्राम गोविन्द पुर उसी गांव के एक व्यक्ति के यहां से अपने घर की ओर पैदल जा रहे थे तो किसी व्यक्ति ने उनको भाले से आहत किया । श्री फतेह मुहम्मद के चिल्लाने पर एक व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचा जिसने ३ व्यक्तियों को भागते हुए देखा । श्री फतेह मुहम्मद को उनके घर ले जाया गया जहां से उन्हें इलाज हेतु बहादुरपुर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर ले जाया गया । ऐसा ज्ञात हुआ है कि उक्त सेन्टर पर तैनात डाक्टर आकस्मिक अवकाश पर थे । अतः कम्पाउन्डर ने ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा की । श्री फतेह मुहम्मद को उक्त सेन्टर पर कौन ले गया तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट न लिखने और श्री फतेह मुहम्मद को बस्ती अस्पताल भेजने की शिकायतों के बारे में उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण, गोरखपुर द्वारा जांच की जा रही है और इस विषय में तथ्य जांच के बाद ही ज्ञात होंगे ।

श्री फतेह मुहम्मद सदर अस्पताल, बस्ती में दिनांक २८-२-७० को १-३० बजे सुबह पहुंचे थे। जो डाक्टर ड्यूटी पर थे उन्होंने उनकी परिचर्या की। सम्बन्धित डाक्टर ने ५० रु० की घूस लेने की बात से इन्कार किया है। मजिस्ट्रेट को डाइंग डिक्लेरेशन लिखने के हेतु अस्पताल पहुंचने के लिये २८-२-७० को ८-३० बजे सुबह सूचना प्राप्त हुई थी और उन्होंने ११-३७ बजे प्रातः डाइंग डिक्लेरेशन अंकित किया था। श्री फतेह मोहम्मद की उसी दिन ५-५० बजे अपरान्ह में मृत्यु हो गई थी। डाइंग डिक्लेरेशन में मृतक ने किसी आहत करने वाले को पहचान सकना नहीं बताया।

यह सही नहीं है कि मृतक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के थाना कलवारी जाने पर रिपोर्ट धारा ३०७ भा० दं० वि० की लिखी गई। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती होने की सूचना थाना कोतवाली पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा भेजी गई थी। यह सूचना कोतवाली से थाना कलवारी पर प्राप्त होते ही धारा ३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया था। पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है इसलिए गिरफ्तारी के लिये कार्यवाही नहीं कर रही है इस आरोप की जांच उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण, गोरखपुर द्वारा की जा रही है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह वक्तव्य के लिये आपने दिया था?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

जी हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के सिलसिले में पुलिस ने दफा ८७-८८ में कार्यवाही की है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं, अभी दफा ८७-८८ में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों के बारे में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

दिनांक ६-३-७० को थाना फतेहगंज पूर्वी पर श्री गोपाल गोविन्द, निवासी कस्बा फतेह गंज पूर्वी, जिला बरेली ने एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया था कि उसी दिन उनकी १५ वर्षीय भतीजी जब ४ बजे स्कूल से घर लौट रही थी तो तीन व्यक्तियों, लाल बहादुर, कल्लू और छोटे, ने उसे पकड़ कर ले जाने का प्रयत्न किया परन्तु लड़की के चिल्लाने से और लोगों के आ जाने पर वे उसे छोड़कर भाग गए। इस सूचना के आधार पर धारा ३६३/५११ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और जांच प्रारम्भ की गई। दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और तीसरे की गिरफ्तारी के लिये पूर्ण प्रयत्न जारी है।

उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में थानाध्यक्ष फतेहगंज पूर्वी का हाथ इस घटना में होने का कोई उल्लेख नहीं है। २७-३-७० को श्री गोपाल गोविन्द तथा एक अन्य व्यक्ति ने एक

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

शिकायती पत्र इस आशय का दिया था कि थानाध्यक्ष मुल्जिमों से मिले हुए हैं और उन्होंने रिपोर्ट लिखाते समय जोर दिया था कि एक अभियुक्त राधे के विरुद्ध रिपोर्ट न लिखाई जाय। इस शिकायती पत्र की क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर जो कार्यवाही आवश्यक होगी की जायेगी।

अप्रैल, १९७० में अफीम की तस्करी का कोई मामला थाना फतेहगंज पूर्वी में अंकित नहीं हुआ। अफीम की कथित बरामदगी के बारे में शिकायती पत्र प्राप्त होने तथा उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, इस विषय में सूचना प्राप्त की जा रही है।

ग्राम तिवरिया के निवासियों से भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायत पुलिस अधीक्षक बरेली को प्राप्त नहीं हुई है।

दलालों के दल के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नोटिस में नहीं है। अतः इस विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी २९ मार्च को बरेली पधारे थे तो वहां कस्बा फतेहगंज के लोगों ने उन्हें एक प्रार्थना पत्र दिया था? क्या यह सही है? उस पर क्या स्थिति है?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में जांच हो रही है और अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, जितने वक्तव्य सरकार की तरफ से आये हैं और जैसे मजदूर यूनियन के सम्बन्ध में सरकार के उत्तर हैं श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ये सब बड़े लोक महत्व के प्रश्न हैं। इन सबको आप आधे-आधे घंटे की चर्चा के लिये आज या कल समय दे दें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको वक्तव्य दिला दिया? जो फैक्ट आपके सामने आ जायं उन पर आप अल्प सूचित प्रश्न भी पूछ सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जब इन्सपेक्टर मौके पर वहां गये थे तो वहां की पुलिस के जो छोटे दरोगा थे उनके सम्बन्ध में गांव के आदमियों के द्वारा जो शिकायत की गई थी, उन्होंने उस जांच की पुष्टि की है?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में जांच हो रही है और जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

जितने आज दफा ५१ के प्रश्न आये हैं, उन पर आप केवल वक्तव्य दिला रहे हैं। किसी पर भी सवाल करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। आप तो हम लोगों की रक्षा करने के लिये हैं लेकिन अब्बल ही आप हम पर इस प्रकार की पाबंदी लगा रहे हैं। बताइये कैसे काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। कायदे से दफा ५१ का केवल एक ही प्रश्न एक दिन में आ सकता है, लेकिन आज ३ प्रश्न मौजूद हैं। वह इसलिये आ गये कि कुछ मंत्री यहां मौजूद नहीं थे। उनको समय नहीं मिला कि तुरन्त उत्तर दे देते तो वे आज के लिये मुकर्रर हो गये। इसलिये इकट्ठे आ गये। नहीं तो केवल एक ही प्रश्न नियम ५१ का एक दिन में आता है। मैं नियम ५१ का एक से अधिक के लिये इजाजत नहीं देता। नियम ५१ वाले शाम को आयेंगे। इस समय तो केवल वक्तव्य के लिये प्रश्न रखे गये थे, वे लिये जा रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन् आपने देखा कि लगातार ५ कार्यकर्ताओं पर लगातार आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी गयी है, जिनके संबंध में आज आपने वक्तव्य दिलाये हैं। श्रीमन इससे जाहिर होता है कि इस समय इस प्रदेश में एक विशेष परिस्थिति व्याप्त है। नित्य प्रति किसी न किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। मुख्य मंत्री जी जो यहां वक्तव्य देते हैं उससे अधिक और विश्वस्त खबरें तो हमें समाचारपत्र से ही मालूम हो जाती हैं। इसलिये जब तक आप उन पर २-४ प्रश्न पूछने की इजाजत न दें तब तक वक्तव्य से लाभ ही क्या है। इस विषय में प्रश्न करने के लिये नियमों में आप कुछ शिथिलता ला दें। केवल वक्तव्य दिलाने से लाभ न होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप अगर मेरे कमरे में आ जायं तो आपको मैं दिखा दूं कि कितने नियम ५१ के प्रश्न प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। मैं एक दिन में एक को ही स्वीकार कर सकता हूं। अब बहुत से माननीय सदस्य यह आग्रह करते हैं कि केवल वक्तव्य ही सरकार द्वारा दिला दिया जाय। जब वह केवल वक्तव्य के लिये कहते हैं तो उनकी जानकारी बढ़ाने के लिये उसको स्वीकार वक्तव्य के लिये कर लेता हूं। आपको जानकारी तो हो ही जाती है। अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आप करना चाहें तो बाद में कर ही सकते हैं।

शामली, जिला मुजफ्फरनगर शुगर मिल मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी के ऊपर कथित हमले के संबंध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

प्राप्त सूचना के अनुसार शामली शुगर मिल के भारतीय मिल मजदूर यूनियन के गत १० अप्रैल, १९७० को चुनाव में कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों के अलावा श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी जनरल सेक्रेटरी चुने गये थे। कहा जाता है कि मतभेद के कारण २० अप्रल, १९७० को श्री बाजपेयी ने यूनियन की एक अलग कार्यकारिणी बना ली। उपर्युक्त दोनों कार्यकारिणी समितियां यूनियन कार्यालय पर अपना अधिकार बताती हैं और दोनों ने सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स को स्वीकृति हेतु भेजी हैं।

श्री बाजपेयी ने अपने ऊपर हमले के सम्बन्ध में अथवा उनको जान से मार डालने की धमकी दिये जाने के विषय में पुलिस स्टेशन शामली में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, किन्तु उन्होंने २२ अप्रैल, १९७० को एक प्रार्थना पत्र जिलाधीश को अवश्य दिया था, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि श्री खजान सिंह व अन्य व्यक्तियों ने यूनियन की एक विरोधी कार्यकारिणी गठित की है, जो गैर कानूनी है तथा यह कि उन्हें शान्ति भंग होने व उनकी जान का खतरा होने की आशंका है।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

इस प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच की गई । यह पता चला कि भारतीय मिल मजदूर यूनियन, शामिली में हुई फूट के फलस्वरूप शान्ति भंग होने की कोई आशंका नहीं है । श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी पर हमला किये जाने व हमला असफल होने पर जान से मारडाले जाने की धमकी दिये जाने का आरोप भी सही नहीं पाया गया। जिलाधिकारी इस मामले में सतर्क हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे । जांच से यह भी पता चला कि श्री सुरेन्द्र वर्मा अथवा डाक्टर वेद प्रकाश का इन घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

यह माननीय नेता विरोधी दल ने दिया था । वह जिसको कहेंगे वह पूछ सकते हैं ।

एक सदस्य---

श्रीमन् यह मेरे क्षेत्र का मामला है, मुझे भी एक प्रश्न पूछने की इजाजत दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है, स्पष्टीकरण चाहने का सवाल है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

जो २० तारीख को बाजपेयी जी ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी उसमें क्या कुछ लोगों का नाम दिया ? अगर दिया तो किन-किन लोगों का नाम दिया?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, अभी इन्होंने जो बयान दिया है उसमें आप देख लें कि २२ अप्रैल के बारे में उन्होंने लिखा है कि एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को अवश्य दिया था जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि श्री खजान सिंह व अन्य व्यक्तियों ने कुछ नाम उनको दिये हैं । इसका मतलब है कि इसकी सूचना इनके पास है । तो श्री खजान सिंह व अन्य लोगों में किन-किन व्यक्तियों के नाम हैं और उसका कारण क्या था?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

हमारे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि आप सूचना मांगें तो मिल जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा निवेदन यह है कि आपको सारी शक्ति है इस प्रश्न को पुनः इस सदन में रखने की । आप मेहरबानी करके इसको नियम ५१ में रख दें क्योंकि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले इस सरकार के जमाने में होते चले जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न में आपने कहीं लिखा नहीं कि हमला हो गया ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह नहीं कि हमला हो गया। आशंका है और उन्होंने स्वयं इस बात को कबूल किया है। मैंने इसलिये यह बात कही है कि एक आदमी का नाम लिया और अन्य के बारे में कहते हैं कि सूचना नहीं है। यह अधूरी सूचना देने की बात है। इसलिये आप इसको पोस्टपोन करा दें और दूसरे दिन ले लें।

श्री अध्यक्ष—

पोस्टपोन कराने का सवाल नहीं है। आप प्रश्न करना चाहें तो मेरे पास अल्पसूचित भेज दीजिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अच्छी बात है।

मुख्य मंत्री से संबंधित अनुदानों को एक साथ लेने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के आय-व्ययक पर मतदान–अनुदान संख्या ३–राज्य आबकारी.....

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चय यह हुआ था कि ढाई दिन ग्रांट होगी। अब एजेन्डा में हमने देखा कि सब की सब, सामान्य प्रशासन, जेल और एक्साइज एक साथ हैं। यह कभी तय नहीं हुआ था। मालूम नहीं यह कैसे आ गया। हमारी आपस में यह बात तय नहीं हुई थी। तिवारी जी यहां हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमने यह तो निश्चय कर दिया था कि ढाई दिन ग्रांट होगी। मैंने मित्थल साहब से पूछा कि यह किसने किया, तो उन्होंने कहा कि कहीं से आ गया।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको पढ़ कर के सुना देता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १८८ के उप–नियम (२) के अनुसार विरोधी दल के नेता से परामर्श कर के नेता सदन ने वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों के लिये जो कार्यक्रम निश्चित किया है वह आवश्यक कार्य हेतु संलग्न है। तो आप से बात करने के बाद उन्होंने लिखा था। अगर कोई चैन्ज कराना है तो कोई मंत्रणा समिति में रख दें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह तो निश्चित बात है कि इसमें कोई परामर्श नहीं हुआ। आज जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, कल पुलिस और परसों एक्साइज। सब को मिलाना ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन वोटिंग तो आखिर में होगी।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसमें हमको कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आपको कोई एतराज नहीं है, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन आप चाहते हैं ।

अनुदानों से संबंधित साहित्य न मिलने पर आपत्ति

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

इस प्रश्न पर आपने तय कर लिया, मुझे एक निवेदन करना है---एक व्यवस्था का प्रश्न है मेरा । जब कोई अनुदान इस सदन में रखा जाता है तो उससे संबंधित साहित्य हम सदस्यों को प्राप्त होता है । कम से कम एक दिन पूर्व प्राप्त होता है । इस अनुदान से संबंधित कोई साहित्य हम लोगों को मिला नहीं है । जब तक साहित्य सदस्यों में वितरित न हो जाय और कम से कम उसके लिए एक दिन की मुहलत न मिल जाय तब तक इस अनुदान को रुकवाया जाय और मंत्री से आप कह दें कि वह इसे पेश न करें, । जब तक कि माननीय सदस्य पढ़ न लें तो वह बहस कैसे करेंगे ? तो परम्पराओं और नियमों के अनुसार इसका पालन करवायें और आदेश दें ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, यह सही है कि यह परम्परा रही है कि साहित्य का वितरण होना चाहिये । जहां तक मेरी सूचना है पर्याप्त साहित्य का वितरण हुआ है । अब किसी विशेष अनुदान, जिसका कि सम्मानित सदस्य उल्लेख कर रहे हैं और आज्ञा देंगे और उचित समझेंगे तो बात करेंगे और पूरा पता लगा लेंगे कि कौन से अनुदानों का साहित्य वितरित नहीं हुआ है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

वित्त मंत्री जी बिलकुल मुगालते में रखना चाहते हैं सदस्यों को । वह बतला दें कि किस किस अनुदान से संबंधित साहित्य वितरण हुआ है । तीन अनुदानों के साहित्य मुझे मिले हैं--एक राजस्व विभाग, दूसरा नागरिक सुरक्षा और तीसरा पुलिस के कार्यकलापों की सूचना । बाकी के लिये बतायें किस-किस अनुदान का वितरित किया है ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय कल्पनाथ सिंह ने प्रश्न उठाया और मंत्री जी ने जवाब दिया कि पर्याप्त साहित्य वितरित हो गया है, लेकिन किस ग्रांट में क्या साहित्य दिया गया है, यह नहीं जानते । जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बारे में एक साहित्य की आवश्यकता पड़ती है और अगर स्थिति मालूम न हो माननीय सदस्यों को तो विवाद नहीं चल सकता । जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी ग्रहण की है कितनी हत्याएं और कितनी डकैतियां हुई हैं यह बताया जाय । आज जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर डिस्कशन होने जा रहा है तो यह भी बताया जाय कि अन्य तीन वर्षों में क्या स्थिति रही है । यदि यह मालूम हो जाय तो विवाद हो सकता है । इतनी जानकारी करा दें ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो भाषण में आ जायगा । साहित्य के बारे में वित्त मंत्री जी ने कहा कि जिस चीज का साहित्य वह कहते हैं कि मिला नहीं है उसको वह बटवा देंगे.... (एक आवाज--कब बटवा देंगे ?) जो बट चुके हैं वे ये हैं एक तो यह है "उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्य--कलापों का विवरण"। दूसरा है " नागरिक सुरक्षा विभाग " । एक शायद राजस्व का है जो इससे संबंधित नहीं है ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जैसा कि मैंने अभी सुझाव दिया था, आप चाहते थे कि वोट आखिर में एक ही दिन हो। तो मैं समझता हूं कि अगर वोट एक ही रोज करना है तो अलग-अलग करने से कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह से एजेंडे में है उसी तरह से करें। मैं तिवारी जी से बात कर लूंगा उसमें हम अलग-अलग दिन अनुदानों को लेंगे। एजेंडे में जैसा है उसी तरह से मुख्य मंत्री जी वाला चलेगा।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न श्रीमन्, बार-बार उठाया गया है, श्री कल्पनाथ सिंह ने और हम लोगों ने भी उठाया है कि पुलिस और ऐडिमिनिस्ट्रेशन की प्रांः सरकार पेश करने जा रही है और जो साहित्य बंटा है वह स्वायत शासन के सम्बन्ध में है। आपको स्मरण होगा और प्रोसीडिंग्स उठा कर भी देख लें कि अब तक जितने भी अनुदान पेशकिये जाते हैं उनके सम्बन्ध में साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य का वितरण नहीं हुआ है। जब तक माननीय सदस्यों को जानकारी न हो, पुलिस की गतिविधियों के बारे में जानकारी न हो और विशेष कर जब से यह नयी सरकार आयी है तब से उसके कार्यकलापों के बारे में सदस्यों को जानकारी न हो तो तमाम विवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है।

श्री अध्यक्ष---

जो सुझाव माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने दिये हैं, मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल उसको स्वीकार करते है। जैसे इसमें लिखा है, पहले आबकारी आता है, उसके बाद फिर आता है---अन्य कर और शुल्क वगैरह, तो यह चलने दें। इस बीच में यह चलता रहेगा और जो साहित्य सम्बन्धी आपको सूचना देनी हो वह कल शाम को दे दें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

श्रीमन् ,इससे तो कन्फ्यूजन हो जायेगा। तय यह हुआ था कि जितनी भी ग्रांट्स हैं सब एक साथ ले लिये जायेंगे। जैसे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर शुरू कर दिया तो उस पर बहस होती रहेगी। परन्तु सवाल यह उठता है कि जो ग्रांट्स रखे ही नहीं गये यह तो अलग चीज है। उस पर आप अलग से फैसला दें कि वह कब लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं कि वे क्या कहते हैं इस सम्बन्ध में ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मेरी बात पहले सुन लें।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र इस पर जोर दे रहे हैं कि सदन में बहस करने के सिलसिले में जो लिटरेचर मिलता रहा है वह नहीं मिला है। पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में भी कोई लिटरेचर नहीं आया है। तो उस तरफ ध्यान देने की जरूरत जरूर है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, व्यवस्था देने से पहले आप सुन तो लें। मुझे यह कहना है कि आप वहां पर बैठे हैं हम लोगों के अधिकरों की रक्षा करने के लिये। यह बात सही है कि नेता सदन जिस

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

तरहसे चाहे जिस दिन चाहें किसी डिमांड पर बहस हो जाय और जिस दिन चाहें उस दिन मतदान हो जाय लेकिन जहां तक लिटरेचर का सम्बन्ध है, कम से कम हमें वे आंकड़े तो मिल जांय जिनको लेकर बहस हो । अन्धेरे में लठ्ठ मारने से आप भी कह सकते हैं कि कहां की बात कर रहे हैं । कम से कम आप यह तो बतला दें कि इन तीन महीनों के अन्दर आपके कार्यकलाप क्या हैं । उसकी जानकारी आये बिना इसपर बहस नहीं होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, सदन यह जानना चाहता है कि जब से नयी सरकार आयी उसने स्वच्छ प्रशासन देने की दिशा में कौन सा ठोस कदम उठाया है या कोई कार्यक्रम लागू होने जा रहा हो तो उसकी भी कुछ जानकारी हो जाय तो हमलोग भी कुछ सुझाव दे सकेंगे । इस प्रकार का और कोई साहित्य उपलब्ध हो तो वह भी हमें दिया जाय स्वच्छ प्रशासन के सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष—

जो साहित्य आप शीघ्र से शीघ्र दे सकते हैं, बतला दें । जो चीजें बंटी हैं, इनके अलावा कुछ चीजें आप और दे सकते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अब कौन सा साहित्य मेरे मित्रों को मिली हैं या नहीं मिली हैं, यह मुझे नहीं मालूम । इसके लिये मैं माफी चाहता हूं लेकिन एक बात मैं आपके सामने आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं । जो साहित्य मिला करता है वह पिछले वर्ष का मिला करता है । मेरे मित्र जो उतावले हो रहे हैं, साहित्य की बाबत, तो वह जो साहित्य मिलेगा वह उनके कार्य के सम्बन्ध में ही होगा । पिछले साल के कामों के सम्बन्ध यानी १९६९–७० का ही साहित्य तो मिलेगा । और वे दोस्त हैं खुद ही जो कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है और जो इतने उतावले हो रहे हैं कि उस सम्बन्ध में बिना साहित्य मिले उस पर बहस हो ही नहीं सकती । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो साहित्य तकसीम किया जाता है वह पिछले सालके कार्यकलापों के सिलसिले में किया जाता है ।

जो हमारे मित्र सवाल उठा रहे हैं, उस समय उन्हीं की गवर्नमेंट थी और उन्हीं के किये हुए कार्याकलाप हैं जो हमें बताने होंगे । यह जो इम्प्रेशन डाला जा रहा है कि हम छुपाना चाहते और बताना नहीं चाहते हैं यह बात गलत है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया । मैंने कहा था कि जिस दिन से यह नई सरकार आई है उस समय से अब तक उसने जो स्वच्छ प्रशासन के लिये कार्य किया है उसका साहित्य मिल जाय, इसके बारे में नहीं बताया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो साहित्य बांटा गया है उसमें हत्या, डकैती, लूट, नकबजनी इत्यादि के १९६७, १९६८ और १९६९ के आंकड़े दिये हुए हैं । अब रह गई विवाद रोकने की बात, श्रीमन् २४ अप्रैल १९६२ को यह प्रश्न उठाया गया था और उस समय आपने रूलिंग दी थी । स्पीकर्स रूलिंग का जो संकलन है उसके पृष्ठ १३१ की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । "२४ अप्रैल, १९६२ को जब राजस्व मंत्री भू–राजस्व संबंधी अनुदान को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे थे तो श्री भीखा लाल ने मांग की कि संबंधित साहित्य के विलम्ब से प्राप्त होने के

कारण सदस्य उसे अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः विवाद को रोक कर पर्याप्त समय दिया जाय ताकि सदस्यगण उसके विवरण का अध्ययन कर के भाषण दे सकें।" इसपर श्री अध्यक्ष ने कहा कि "मैं यह मानता हूं कि जो साहित्य किसी अनुदान के सम्बन्ध में हो वह जल्द से जल्द या पर्याप्त समय पूर्व माननीय सदस्यों को मिल जाना चाहिये, लेकिन जो विवाद आज के लिये निर्धारित है उसको रोकना मेरे लिये असम्भव है।" तो श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि अगर साहित्य नहीं मिला है, उसका भविष्य में ध्यान रखा जायेगा, लेकिन जो विवाद है उसको रोका नहीं जा सकता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, जिस रूलिंग का इन्होंने हवाला दिया है, उसी पृष्ठ १३१ पर २८ फरवरी, १९५८ को बजट साहित्य के समय से वितरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी है। श्रीमन्, उस समय संभवतः आप ही रहे होंगे। इस में लिखा है :

"अगर सम्भव हो सके तो जिस मांग पर बहस होने वाली हो उसके कम से कम १दिन पहले उसका साहित्य बंट जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त आदरणीय सदस्यों को भी उस हालत में उसे सम्भाल कर रखना चाहिये वरना बाद में वे कहेंगे कि साहित्य कल बंटा था, आज नहीं मिल रहा है। साहित्य कम से कम एक दिन पहले मिलना चाहिये, क्योंकि सदस्यगण उसका उपयोग, उसी दिन अगर मिले तो नहीं कर सकते, इसलिये मैं समझता हूं, इस बात का ख्याल सब विभागों के मंत्रिगण रखेंगे।"

श्रीमन्, इसको आप देखें कि इसमें एक दिन पूर्व लिखा है। तो जो तिवारीजी कह रहे हैं वह गलत है। इसमें जो लिखा है यह जो कह रहे हैं उसकी मंशा के विपरीत है। श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी का उपदेश हम लोग न सुनने के लिए तैयार है और न बैठने के लिये तैयार हैं। नियमों और परम्पराओं के बिपरीत हम उनका उपदेश सुनने के लिये तैयार नहीं है।

श्री लक्ष्मी रमणआचार्य (जिला मथुरा)—

सचमुच मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुख्य मंत्री जी ने एक ऐसी दलील दे दी जो बहुत बेमानी है। यहां जो सरकार हम लोगों ने चलाई थी तो क्या उसमें माननीय सदस्य जनसंघ और माननीय सदस्य संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी सम्मलित थे? यदि हमने सरकार चलाई और हमको ज्ञान होना चाहियें तो क्या उन सबसे यह आशा की जा सकती है कि उनको भी ज्ञान होगा जो सरकार में नहीं थे?

हमारे मित्र तिवारी जी ने एक बात कह दी कि साहित्य बांटने में देरी हुई हो तो भी विवाद नहीं रोकना चाहिए। यहां प्रश्न ही दूसरा है। यहां देरी का प्रश्न नहीं है बल्कि साहित्य बंटा ही नहीं है। मान्यवर, मेरा आपसे यह निवेदन है कि सन् १९६२ से १९७० में ८ वर्ष का अन्तर है और अब तक न जाने कितना पानी गंगा में बह चुका है, कितना साहित्य बढ़ गया है। अगर केवल रस्म अदायगी है कि यहां बजट पास हो और कुछ थोड़ी बहुत बहस करके समाप्त किया जाय तो मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर ऐसा नहीं है तो श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि आज आपको इस विवाद को रोक देना चाहिये और सरकार को यह आदेश देना चाहिये कि वह साहित्य हमें दे और उसके बाद विवाद प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

श्री चरणसिंह—

पुलिस की रिपोर्ट तो दोस्तों को मिल चुकी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अभी मिली है।

श्री चरणसिंह—

पुलिस की आपको मिल चुकी है और सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट नहीं होती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

समान्य प्रशासन के बारे में भी रिपोर्ट होती है।

श्री चरणसिंह—

जहांतक मुझे ज्ञात है सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट नहीं होती है। बिक्रीकर की कल मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष—

१२ मई को पुलिस के कार्यकलापों की रिपोर्ट यहां डिस्ट्रीव्यूट हुई है। सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन ११ तारीख को मिला है। नागरिक सुरक्षा का १५ तारीख को बांटा गया है तो यह तीन बंट गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस पर जो तारीख पड़ी है वह बंटने के लिहाज से रेलीवेन्ट नहीं है। जिस तारीख को हमें मिली है वह तारीख इस पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जिस तारीख को हमारे यहां से बंटी है वह बतला रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सारा सदन कह रहा है कि आज सुबह मिली है। हम लोग हाउस में जो कह रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे है। माननीय नारायण दत्त जी तो इतनी घिसी पिटी रूलिंग लाते हैं कि "अगर देरी से बंटा हो" यहां तो बंटा ही नहीं देरी का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

हमारे यहां से बांटा गया है। मैं समझता हूं कि सच्ची बात यह है कि बहुत से लोग यहां के गैर हाजिर रहे। जो लोग गैर हाजिर थे उनको मिला नहीं। मैं समझता हूं कि चूंकि एक हिस्सा पुलिस का पड़ता है और उसका साहित्य बंट चुका है तो उसको ले लें और आज यह प्रारम्भ जरूर हो जायगा और रोका नहीं जायगा। मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी साहित्य आ जाय, शाम तक जो साहित्य मौजूद हो वह बांट दें बाकी कल सबेरे बांटदें। यह सही है कि मैंने कहा था कि एक दिन पहले साहित्य का बटना अच्छा होता है। ऐसी हालत में परिस्थितियों को सामने रखते हुये मैं फैसला देता हूं कि इसके ऊपर कार्यवाही शुरू हो जाय कम से कम पुलिस की और बाकी जो है वह हम कल पेश करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

सरकारी पक्ष अपने विचार प्रकट कर दे और साहित्य हमको दे दिया जाय ताकि हम उसको पढ़ ले तब इसके ऊपर कल चर्चा की जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जो साहित्य वितरण होता है वह पिछले साल का होता है अर्थात् १९६९–७० का साहित्य वितरित किया जायगा। अध्यक्ष जी हम इस वर्ष के वित्तीय वर्ष के बजट पर बहस कर रहे हैं और बजट जो सरकार के कार्य होते हैं उसके बारे में होता है। नई सरकार जो बनी है वह इसमें किस मद पर क्या प्रस्तावित करती है, उसके क्या प्रोब्लेम्स है और वह उनको किस प्रकार से मीट करना चाहती है और क्या उसकी

आगामी नीति होगी वह भी इस साहित्य में होना चाहिये जो साहित्य हमको वितरित किया जाय। इस लिये हमने निवेदन किया है कि जो वर्तमान सरकार बनी है उसने गत तीन महीनों में क्या कार्य किया है, अपराधों की संख्या बढ़ी है या घटी है, क्या-क्या प्रोब्लेम्स इकट्ठे हो गये हैं जब तक मुख्य मंत्री जी इन बातों के फैक्टस और फीगर्स हमारे सामने नहीं रखते हैं और उनका स्पष्टीकरण नहीं करते हैं कि उनके बारे में क्या किया जायगा तब तक हम उस पर क्या विचार विमर्श कर सकते हैं। जो नियम हैं वे बहुत ही आउटडेटेड नियम हैं। पहले की सरकार तो स्थायी होती थी जो पांच साल चलती थी परन्तु आज तो सरकार अस्थायी है जो ३ महीने या ६ महीने चलती है। इस कारण वर्तमान परिस्थिति प्रदेश की क्या हैं जब तक विधान सभा को इसकी जानकारी नहीं हो जाती तब तक इसपर किस प्रकार से बहस की जा सकती है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर अपनी रूलिंग दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस बात के लिये व्यवस्था दे दी। पुलिस विभाग के बारे में साहित्य मिला है, उसको ले लिया जाय क्योंकि उसका साहित्य आपके पास मौजूद है और जो साहित्य नहीं मिला है वह सरकार दे। आपके और दूसरी पार्टी के लोग भी इसको जानना चाहेंगे, साहित्य को पढ़ना चाहेंगे। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि तीन महीनें में इस सरकार ने क्या किया वह भी वे जानना चाहेंगे। वह साहित्य एक दिन पहले बट जाना चाहिए था जो बटा नहीं। एक दिन पहले, जिसे मैं चाहता था जिसकी रूलिंग भी है, लेकिन कुछ साहित्य बट चुका है। यह मेरे यहां से ११ और १२ तारीख को बट चुका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

लेकिन हम लोगों को उस समय नहीं मिला अभी मिला है।

श्री अध्यक्ष—

हमारे आफिस से यह उन्हीं तारीखों में बटा है इस लिये आप इसको शुरू कर दें कम से कम पुलिस की जो है उसको। नम्बर ५ को ले लें और इसी से शुरू कर दें।

श्री चरण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व मैं कुछ निवेदन करूं मुझको दो शब्द कहने हैं। आज तीन अनुदानों पर बहस होनी है सामान्य प्रशासन, आबकारी और पुलिस। सामान्य प्रशासन पर कोई साहित्य नहीं तकसीम होता है, आबकारी पर भी कोई रिपोर्ट कभी पेश नहीं हुई है और पुलिस के बारें में जैसाकि आप खुद फरमाते हैं कि १२ तारीख को तकसीम हो गई है। मैं यहां १२ तारीख को गैरहाजिर था इसलिये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आपने खुद कहा कि वह १२ तारीख को हो गया। फिर शिकायत किस बात की है? अब और डिमान्ड आए और उसके पहले न तकसीम हो तो बात है। लेकिन बिला वजह को एक बात उठा दी गयी है। आपने भी आचार्य जी का अनुमोदन किया कि और लोग हैं.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

उनकी बात पूरी को जाने दीजिये।

श्री चरणसिंह—

तो यह कोई बड़ा भारी प्वाइंट नहीं था। यह तो प्वाइंट आपकी ही तरफ से उठा था इसलिए.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

स्वामी जी ने उठाया था ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुख्य मंत्री जी ने अभी यह कहा कि बिला वजह यह बात उठायी गई । तो क्या मुख्य मंत्री जी को यह कहने का अधिकार है, जबकि आपने भी व्यवस्था दी । अगर बिला वजह थी तो आप कह सकते थे कि बिला वजह है । लेकिन आपकी व्यवस्था के बावजूद मुख्य मंत्री जी का इस बात को कहना आपका, हमारा और सारे सदन का अवमान है । आप मुख्व मंत्री जी को इंगित कीजिये और मैं प्रस्ताव करूंगा कि इनको निकाल दिया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, इस विवाद का अन्त करने के लिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर मुख्य मंत्री जी अपनी सब ग्रान्ट्स को एकसाथ मूव कर दें तो ढाई दिन की बहस के बाद मतदान हो जायगा । इसके अन्दर यह बात खत्म हो जाएगी कि एक दिन पुलिस के लिये या एक दिन सामान्य प्रशासन के लिये । और जैसी कि आपने व्यवस्था दी कि साहित्य ठीक समय पर दिया करें, मैं यह और चाहता हूं कि एक बार इनको तम्बीह जरूर कर दें ताकि वह लोग चौकन्ने रहें । आप इनको डाटते नहीं है इसलिये अपनी मनमानी करते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

तम्बीह का शब्द नहीं कहा जाता । यह कहा जाता है कि मेरा फैसला हो चुका है कि एक दिन पहले बंटना चाहिये । यह तो सन् ५८ का फैसला है । तो मुख्य मंत्री जी, सब पेश कर दें ।

श्री कल्पनाथसिंह—

सुना है यह तो जाने वाले हैं १६ तारीख को, तो काहे पेश कर दें ।

१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या ३–राज्य आबकारी, अनुदान संख्या ५–अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या १०–सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११––आयुक्त और जिला प्रशासन, अनुदान संख्या १५–पुलिस, अनुदान संख्या ४०–राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ४५–नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

*श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३–राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४०,०८,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राजपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५–अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २६,२७,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करना हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५८,२४,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने-वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,५३,२३,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १५–पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,४२,९८,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१, ३१,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,८१,८९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, ये अनुदान मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये हैं और इस पर सामान्य विवाद के बाद, जो माननीय सदस्य अपने सुझाव देंगे, उनका उत्तर दिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इन ७ अनुदानों के ऊपर बहस के सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये ७ ग्रान्ट एक साथ मूव हो गईं। इनमें खास तौर से दो ग्रान्ट ऐसी हैं पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिन पर अलग-अलग डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि एक दिन कम से कम पुलिस पर बहस हो जाय और आगे जो १।। बिन बचे, उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर और दूसरे विभागों पर हो जाय। सदन के अन्दर यह व्यवस्था हो जाय कि बजाय इन सब ग्रान्ट को एक जगह सम्मिलित किया जाय यह उचित होगा कि एक दिन पुलिस के ऊपर और बाकी जगरल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे विभागों पर हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नित्यानन्द जी ने यह सुझाव दिया था कि ये सब एक साथ मूव हो जायं। उसमें यह सहूलियत होगी कि कुछ लोग आबकारी पर दिलचस्पी रखते हैं तो वह उस पर बोल लेंगे और जो दूसरे किसी विषय पर बोलना चाहेंगे तो वह उस पर बोल लेंगे। वह चीज स्वीकृत हो गई। मैंने सब लोगों से पूछ लिया था।

श्री रियासत हुसैन—

अगर २॥ दिन डिबेट एक साथ चलेगी तो यह सब डिबेट का टुकड़ा माना जायगा। अगर कोई व्यक्ति पुलिस पर बोलना चाहता है तो वह उस पर बोल ले। दोनों पर वह नहीं बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह दोनों पर बोल सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से अनुदान संख्या ३, अनुदान संख्या ५ एवं अनुदान संख्या १० में यह प्रस्ताव करता हूं कि इन सम्पूर्ण अनुदानों के अधीन मांग की धनराशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

मान्यवर मुझे दुख है कि जिस दिन मेरे मित्र वित्त मंत्री जी ने इस सदन में इस वर्ष का आय-व्ययक प्रस्तुत किया था, मैं उस दिन सदन में हाजिर नहीं था। और उसके बाद.....

श्री अध्यक्ष—

आपने कौन-कौन से अनुदान लिये हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने अनुदान संख्या ३ लिया है, ५ लिया है अन्य कर और शुल्क और १० व ११ सामान्य प्रशासन और १५ लिया है, पुलिस का।

तो अभी मैं यह कह रहा था कि मैं दुर्भाग्य से उस दिन यहां मौजूद नहीं था जिस दिन यहां बजट पेश हुआ और सदन में बजट पर जो भाषण हुये उसमें जिन्होंने भाग लिया उनके विचार सुनने के लिये भी मैं उपस्थित न रह सका। मैंने कल से, जब से मैं यहां आया हूं अपने मित्र माननीय नारायण दत्त जी के भाषण को पढ़ा। मैं यह सोच रहा था कि अभी यह नई सरकार बनी है और उसने अपनी नई किस्म की नीतियों को प्रतिपादित करने की चेष्टा की होगी और मेरा ख्याल था जैसा कि मैं अपने माननीय मित्र नारायण दत्त जी को जानता हूं कि वह काफी पढ़ते लिखते हैं और आम तौर से वह चीजों को समझने की चेष्टा करते हैं, इससे मैं सोचता था कि वह अपनी कुछ नई नीतियों को सदन के सामने प्रतिपादित करेंगे लेकिन मुझे दुःख है कि उनके समस्त भाषण में मैंने किन्हीं नई नीतियों को या अन्य प्रकार की किसी अप्रोच को नहीं पाया। मान्यवर, मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि मैं स्वयं इस प्रदेश का वित्त मंत्री रह चुका हूं और इसमें जितनी चीजें आई हैं उनमें से हर चीज मेरे सामने आ चुकी है। मैं सोचता था कि माननीय नारायण दत्त जी उससे कुछ आगे बढ़ कर हमारे सामने कोई चीज लायेंगे। यह जरूर है कि उन्होंने भाषण के पहले २ पृष्ठों पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के सम्बन्ध में और दूसरे कुछ कोटेशन्स देकर यह बताने की चेष्टा की है कि उनका यह बजट एक प्रगतिशील बजट है और उसमें नई चीजें आयेंगी, लेकिन उसमें कोई नई चीज कहीं भी नहीं है बल्कि इसके बिलकुल विपरीत मुझे ऐसा आभास हुआ कि उसी पुराने तरीके पर समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जा रही है और उनको भी कतिपय कारणों से छोड़ दिया गया है, मैं उन कारणों की इस समय चर्चा नहीं करूंगा। मुमकिन है उनकी कोई कठिनाई हो अन्यथा

मै समझता हूं कि वह एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं और शायद वह उन कारणों पर स्वयं प्रकाश डालेंगे जिनसे उन्होंने कुछ चीजों को इस में छोड़ा है।

आज की बहस का दायरा कुछ महदूद हो गया है और मैं भी एक सामान्य तौर पर इस बजट पर नहीं बोलना चाहता और वह एक गैर जिम्मेदारी की बात होगी अगर मैं इस समस्त बजट पर बोलने की चेष्टा करूं। जो विषय आम तौर पर इसमें आये हैं और जिन पर मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनमें समस्त प्रदेश का एक मानचित्र आ जाता है। पुलिस, आबकारी, सामान्य प्रशासन में ही एक प्रकार से सारे प्रदेश का मानचित्र समाहित है जिससे पूरे प्रदेश का नकशा बना है।

इस समय मैं अभी केवल एक बात की चर्चा करूंगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। मैं बड़ी कठिनाई में हूं कि उत्तर प्रदेश में यह संयोग की बात है कि वह आज उधर हैं और हम आज इधर हैं और उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है, जनतंत्र में ऐसा होता ही रहता है और मैं कहता हूं कि होना भी चाहिये।

(इस समय १ बज कर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

ऐसी कोई चीज, कोई हानि किसी को होने वाली हो, मैं यह नहीं मानता हूं। हम सब लोग समस्याओं में उलझे हुए हैं और हमारे हाथ उन समस्याओं से बाहर आ सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। १९६०–६१ के आंकड़ों के आधार पर १९६१ में हमारी पर कैपिटा आमदनी २४६ रुपया थी, और १९६७ में २४७ रुपया हो गयी है। सारे देश के मुकाबले में हमारी पर कैपिटा इनकम गिर गयी है। इससे स्पष्ट है कि हमारी समस्यायें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। हमारे यहां पर जो भूमिहीन लोग हैं, उन की संख्या भी बराबर बढ़ती जा रही है। मुझे, श्रीमन् यदि ठीक स्मरण है तो हमलोगों ने विचार किया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना जिस समय हमारे यहां आरम्भ होगी, तो हमारे यहां करीब १७ लाख पढ़े लिखे लोग बेकार होंगे। और उसके बाद फिर हमने सोचा था कि जब चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी तो १८ लाख और नये बढ़ जायेंगे। अर्थात इस प्रकार से चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ३५ लाख नये आदमी बेकार हो जायेंगे।

मान्यवर, खेती की उन्नति का प्रश्न भी अपने स्थान पर है। यह हमारा प्रयास रहा है कि कृषि की उन्नति हो। मैं उनमें से नहीं हूं कि जो कहे कि कृषि की उन्नति नहीं हुयी है। मैं उन लोगों में भी नहीं हूं कि जो ऐसा समझते है कि हमारी कोई प्रगति कहीं नहीं हुयी है। लेकिन जिस प्रकार की प्रगति होनी चाहिये थी, वह नहीं हुयी है। इसके लिए हम बहुत कुछ अपने को भी दोष दे सकते हैं। आज हम कौन-कौन सी चीजें लें, जिनका हमें निराकरण करना है और अगर कुछ उपाय हो जाय तो अच्छा हो। मुझे निराशा हुयी जब मैंने यह देखा कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का इसमें जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री कुछ उन पर विचार करेंगे और हमारे मुख्य मंत्री जी भी उन पर विचार करेंगे और ध्यान देंगे, लेकिन इसमें कुछ अभी नहीं हुआ है।

आज देश में एक एक छोटे से छोटे प्रश्न को लें। मेरा मतलब है आबकारी से। इससे हमको २९ करोड़ रुपये की आय होती है और ऐसा ख्याल था कि यह बढ़ जायगी लेकिन हमने गांधी शताब्दी में नयी दुकानें देना बन्द कर दिया। हमने यह भी तय किया था कि ७ वर्ष में हम पूर्ण मद्य निषेद कर सकें। यह बात तय कर ली थी। मेरे दोस्त हमेशा से एक चीज को कहते रहे हैं और गम्भीरता से कहते रहे हैं कि हमारे यहां पर सम्पूर्ण रूप से मद्य निषेध होना चाहिए। मैं इसको नहीं मानता कि इसके रास्ते में बहुत रोड़े आयेंगे।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

पिछले वर्ष ही हमने टीचर्स को उनकी वेतन की बढोत्तरी के सिलसिले में और उनके भत्ते की बढोत्तरी में ८ १/२ करोड़ से अधिक का खर्च इस सरकार ने अपने माथे पर लिया था। और ८ करोड़ के करीब सरकारी अधिकारियों के भत्ते आदि के देने में खर्च किया। इसके अतिरिक्त और खर्चा लगाकर करीब-करीब २०–२२ करोड़ रुपये का नया खर्चा लिया था। यदि उन खर्चों को वह सरकार एक वर्ष में वहन कर सकती थी तो कितनी बड़ी बात होगी। यदि इस प्रदेश में सम्पूर्ण मद्य-निषेध की बात को स्वीकार लें। उसके बारे में हम केवल बहानेबाजी कर रहे हैं। अभी मैं एक मेले के सिलसिले में एक स्थान पहाड़ पर गया था बागेश्वर के मेले में। श्रीमती सरस्वती टमटा मुझे वहां ले गयी थीं और वह एक बड़ा मेला होता है। आप मेरा यकीन कर सकेंगे श्रीमन्, कि रात्रि को ८ बजे मैंने उस मेले में प्रत्येक को शराब पिया हुआ पाया और बहुत थोड़े लोगों को छोड़कर। आम तौर पर प्रत्येक युवक वहां पर शराब के नशे में चूर था। मैंने शब्द "आम तौर" का प्रयोग किया। जब मुझे यह पता लगा कि पहले इस क्षेत्र में दूकान थी ही नहीं शराब की। लोग कम पीते थे, बहुत कम पीते थे। लेकिन दुकान होने के बाद हर एक आदमी पीने लगा और इस प्रकार से वह सारा क्षेत्र शराबियों का क्षेत्र बनता जाता है।

मान्यवर, यही नहीं, मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इल्म में यह है कि जहां पर मद्य-निषेध हुआ जैसे कि कानपुर की बस्तियों में हुआ था, उससे लोगों का जीवन क्रम सुधर गया है। उनके घरों में ट्रान्जिस्टर सेट और रेडियो आने लगे। लोगों का जीवन अच्छा बनने लगा। मैं इस चीज से अवगत हूं कि जब-जब मद्य-निषेध होता है, जहां-जहां होता है, वहां-वहां पर यह फर्जी बनी हुई शराब, आम तौर पर वह खैंची हुई शराब, अपने तौर पर जिसे इन्डीजनस कहते हैं, बिकने लगती है। इस तौर पर अपराध की वृद्धि होती है। न जाने, कितने तौर पर अपराधों की वृद्धि होती है। अगर उससे भी हो तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये। मैं आप से अत्यन्त विनम्र तापूर्वक कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हम लोगों ने गान्धी शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में यह तय किया कि हम लोग दस प्रतिशत बिक्री कर शराब की बिक्री पर लायेंगे। आज मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री से वे आंकड़े दें और बतायें कि दस प्रतिशत बिक्री कर कितना वसूल हुआ। मैं बहुत थक गया था श्रीमन्, और मैंने आम तौर पर यह पाया कि यह दस प्रतिशत बिक्री कर हमने इसलिये लगाया था कि लोगों में शराब की लत कम हो। शराब मंहगी हो, तो पीने की आदत कम होगी। लेकिन मुझे स्मरण आता है बड़ी कठिनाई हो गई उस की वसूलयाबी में। प्रारम्भ में ही रिट फाईल हो गई हाई कोर्ट में। वह कुछ अर्से तक तो रुकी पर फिर खुल गई। लेकिन उसके बावजूद आबकारी विभाग के नीचे के अधिकारियों ने आमतौर पर यह कोशिश की कि दस प्रतिशत बिक्री कर वसूल न हो और उसका परिणाम यह हुआ कि वह दस प्रतिशत वसूल नहीं हुआ।

१९५७–५८ में या किसी और साल में पहले एक बार बिक्री कर और भी लगा और सन् १९५७ का जो कर आबकारी विभाग की शराब पर था वह बिना वसूल हुआ पड़ा है। मान्यवर मेरा यह निवेदन है वित्त मंत्री जी से कि अब तो शायद उस बिक्री कर को समाप्त करके कुछ और करना चाहते हैं। ऐसा मुझे मालूम हुआ है वे बिक्री कर को समाप्त करें या न करें। आप एक्साईज ड्यूटी कर दें और वह भी एक दम बेस पर ही वसूल की जा सके तो अच्छा होगा।

इसी प्रकार का एक दूसरा कर लगा हुआ है और वह टिम्बर के सम्बन्ध में, लकड़ी के सम्बन्ध में है। और टिम्बर का वह बिक्री-कर जिस समय टिम्बर ईशू किया जाता है वसूल हो जाता है। हम लोगों का यह सुझाव था कि टिम्बर के बिक्री-कर की वसूलयाबी के समान ही शराब का बिक्री-कर उस समय लिया जाय जबकि शराब ठेकेदार को इशू हो

मुझे नहीं मालूम कि वह बिक्री कर वसूल हो चुका है या नहीं और इसके सम्बन्ध में भविष्य में क्या नीति होगी।

जहां तक फारेन लिकर का संबंध है वह एक अर्से से सबके सामने प्रश्न रहा है कि फारेन लिकर की शाप को नीलाम क्यों नहीं किया जाता। कई स्टेट्स में वे नीलाम होती हैं और नीलाम होने के बाद आमदनी होती है। हम लोगों ने यह तय किया था कि उनकी नीलामी शुरू हो। हम लोगों ने अपने समय में कुछ एक दो जिले भी तय किये थे, देहरादून को ही पहले लिया था कि सबसे पहले यहां पर ही फारेन लीकर्स की दुकानों की लीलामी शुरू हो। यह प्रश्न भी सामने आया कि जिस प्रकार देशी शराब में अडल्ट्रेशन हो सकता है उसी प्रकार विदेशी शराब में भी होने लगेगा, लेकिन मान्यवर, जो उपाये देशी शराब के अडल्ट्रेशन को रोकने के लिये किये जाते हैं, वही इसमें भी किये जा सकतें हैं। आबकारी विभाग भी माननीय मंत्री जी के पास है, शायद उन्हें अपने मंत्रियों में से किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिये उसे अपने पास ही रखा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे विदेशी शराब की दुकानों की भी नीलामी करायें।

एक और बड़ी कठिनाई है ठेकेदारों के संबंध में। जिले-जिले में २–३ आदमी पूल करते हैं और सारी दुकानों को वे ही ले लेते हैं और कहीं अपने नौकर के नाम से, कहीं स्त्री के नाम से, कहीं लड़के के नाम से कही किसी अन्य रिस्तेदार के नाम से। इस प्रकार जितने भी टैक्सेज की वसूली पिछली होती है वह सब वसूल नहीं हो पाती है। इसके लिये मै समझता हूं कि आबकारी में एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और इसके लिये आवश्यकता यह है कि हम मद्य-निषेध को पूरी तरह लागू करने की घोषणा करें। इससे सरकार की आय पर कुछ असर पड़ सकता है, मगर उसके लिये दूसरे मार्ग निकल सकते हैं।

पुलिस विभाग के संबंध में, मेरे पास आंकड़े इस समय नही हैं, लेकिन आज ही सवेरे मैं पेपर पढ़ रहा था जिसमें छोटा सा एक न्यूज आइटम यह था कि "इन्क्रीज इन क्राइम्स इन उत्तर प्रदेश" इसलिये हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और वह कदम मान्यवर, इस देश और प्रदेश के इतिहास में अनोखा था, और वह यह कि जिस दिन श्रीमान्, तशरीफ लाये उसी दिन उन्होंने आई० जी० सांहब को विदा कर दूसरे साहब को लाकर बिठा दिया। मुझे नहीं मालूम कि इस तरह की दूसरी मिसाल भी मिल सकती है। वह आई० जी० ईमानदार हैं। पढ़ुई, इसमें कोई शक नहीं, उनको हमारे मुख्य मन्त्री जी ही उस समय लाये थे श्रीमन्, जिस समय सन् १९६९ में, २६ फरवरी को हमने बागडोर शासन की सम्भाली थी उस समय बहुत सारी शिकायतें हमसे भी की गयी थीं, खास तौर से यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जिस प्रकार निर्दयता पूर्वक हत्यायें हुई हैं, जिस प्रकार कुछ वर्गों द्वारा कुछ वर्ग के लोगों को मतदान करने से रोका गया, और जिस पर शासन द्वारा आंख बन्द कर ली गयी, जिस प्रकार केन्द्रीय पुलिस को आने से रोका गया, उस सब के लिये आई० जी० साहब ही दोषी थे, लेकिन हमने कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की। कुछ और भी बातें कही गयीं जो बहुत छोटी छोटी थीं, उनकी चर्चा करना यहां क्षुद्रता होगी, वह ठीक हैं, लकिन वे आई० जी० साहब हमारे मुख्य मन्त्री जी को तो बहुत पसन्द थे, मगर मुख्य मन्त्री जी ने, यदि मैं एक शब्द में यह कहूं कि २४ घंटे के अन्दर ही उनको सैक कर दिया तो उचित ही होगा। श्रीमन्, अंग्रेजी की कहावत है "लायलटीज आर नाट परचेज्ड नार फोर्स्ड"। क्या इस तरह से हमारे अधिकारी लोग देश और प्रदेश के प्रति अच्छे बन सकेंगे? क्या इस तरह के आतंकवाद से प्रशासन के अन्दर एक नये प्रकार की भावना पैदानहीं होग? आतंकवाद के जरिये, लोगों को डरा धमका कर यदि कार्य किया जायेगा तो उससे श्रीमन्, काम नहीं चलेगा।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

जिले-जिले में आज आतंकवाद फैलाने की कोशिश की गयी है। थोड़े दिन पहले तक यह शासन अधूरा था। कुछ साथी अभी उसमें और सम्मिलित हो गये। कुछ पूरे तौर पर अभी सम्मिलित नहीं हैं। कुछ चैवस भी लगे हुये हैं। मान्यवर, अगर इसी तरह से आतंकवाद की भावना को उच्छृंखल रूप से लाग किया गया तो उससे कुछ लाभ होगा नहीं। पुलिस के सम्बंध में नारायणदत्त जी के भाषण में बहुत सी चर्चायें सुनीं। उन्होंने कहा कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों तथा एस० पी० लोगों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वे करप्ट न रहें। मान्यवर, इसके पहल क्या कभी इन लोगों को नहीं बुलाया गया? इसके पहले भी इन लोगों के सम्मेलन बुलाये गये हैं और उनसे करप्ट न रहने के लिये कहा गया है। यह बात तो न जाने कितने युगों से कही जाती रही है। यह कौन सी नयी बात इन्होंने की है। आज जिले-जिले में लोग डरे हुये हैं इसलिये कि कोई भी व्यक्ति आतंकवाद का शिकार हो सकता है। वे आज इस बात से नहीं डरे हुये हैं कि कोई भ्रष्टाचार के आरोप में उन को पकड़ लेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि इनके पीछे चोला कौनसा है,। उनको डर है कि आज अमुक एम० एल० ए० उन की शिकायत न कर दे। उनको इधर वालों से तो कोई डर है नहीं। आज समस्त शासन में मुर्दनी सी छायी हुई है। अगर यही स्थिति रही तो नैक्सलाइट्स का आप दमन नहीं कर पायेंगे।

मैं बहुत व्यथित हृदय से एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। मथुरा जिले में मेरे चुनाव क्षेत्र में ३ थाने हैं---एक सुरीर, एक नौझील और एक शेरगढ़। मुझे मालूम भी नहीं था कि उन थानों पर कुछ वर्ग विशेष के आदमी नियुक्त थे। मुझे यह बताया गया, जब मैं वहां इस सरकार के बनने के बाद गया, कि अमुक-अमुक साहब कहते हैं कि लक्ष्मीरमण के जो जो आदमी हैं उनको तुरन्त हटाया जाय। मैंने कहा ऐसे तो नहीं हटाया जा सकता। उनमे से नौझील थाने में एक श्री रघुनन्दन शर्मा नियुक्त थे, उम्र २७ साल थी, और उसके संबंध में केवल इतना कह सकूंगा कि उसने क्राइम को कन्ट्रोल किया और जितना भी उससे हो सकता था कन्ट्रोल किया। २६ अप्रैल, को मैं भी वहां था, बायनियल एलेक्शन के चुनाव का दिन था, तो एक साहब ने उनसे आकर मेरे सामने कहा कि अमुक गांव में यानी घांगौली, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ में डाकू व कातिल छिपे हुए हैं। दरोगा बोला मैं उनको जरूर पकड़ूंगा। मैंने कहा इसको देखना चाहिये, यदि इस प्रकार की बात है। उसके बाद मैं चुनाव के बाद मुझे मालूम हुआ कि उन्हें मालूम हुआ कि डाकू मानागढ़ी चला गया है। बाद में बतलाया गया कि वह भागा भागा मानागढ़ी गया और वहां मालूम हुआ कि घांगोली भाग गया। वह भी उनके पीछे-पीछे घांगोली भागे गये और उस घांगोली में अत्यन्त निर्दयतापुर्वक उस की हत्या की गई। इतनी निर्दयता से उस की हत्या की गई कि बाद में उसके सिर की कोई पहचान नहीं हो सकी कि वह रघुनन्दन शर्मा का सिर है। दो सिपाहियों को बांधकर नीम के पेड़ से लटका दिया गया। मैं चाहता था कि इस विषय को सदन में एडजर्नमेंट मोशन के जरिये लाता, लेकिन यहां पर बजट का अवसर था, इसलिए सिर्फ इसी में इसका जिक्र करना चाहा।

आज, २७ अप्रैल से २० मई तक वहां पर एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। न जाने कितने प्रकार की कहानियां कही जाती हैं। मैं उनमें से बहुत पर यकीन नहीं करता और न सभी साथियों पर यकीन करता हूं कि सभी ईमानदार हैं, लेकिन कहानियां जो कही जाती हैं उनमें से कुछ सत्य अवश्य हैं। कोई अपराध करके भाग जाए ठीक है, लेकिन उनमें उनके खिलाफ धारा ८७/८८ की कार्यवाही करके कुर्कियां क्यों नहीं की गयी? इसमें क्या दिक्कत थी? यह चीज क्या सिद्ध करती है? इसके अलावा इसी बारे में एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं कि उस की तफतीश सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दी गई। इसलिये कि लोकल पुलिस न जाने उस को करे या न करे। न जाने कितने प्रकार की बातें आईं। पुलिस

क्षेत्रों में आम धारणा यह है कि इस व्यक्ति के कत्ल को छुपाने के लिये लोगों को गिरफ्तार न किया जाए, इसके लिये यहां के आदमी प्रयत्नशील हैं, और इसीलिए यह मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द किया गया है। बहुत से मुकदमे होते हैं। लेकिन सी० आई० डी० को नहीं भेजा जाता। मुझे बताया गया कि सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, अलीगढ़ जब उस गांव में गये तो उनसे एक आदमी ने कहा कि क्या बकता है जब हमारे वह साहब –एम० एल० ए० साहब –आयेंगे तो तेरी जबान खिचवा ली जायगी। तो क्या इसी तरह से पुलिस का प्रशासन ठीक होगा ?

आज मेरे जिलें मे और आस-पास के जिलों में जो कोई इस बात को सुनता है, उसमें यह हिम्मत नहीं रही है कि वह चोर- डाकुओं को पकड़ने के लिए गांवों में जा सके। क्योंकि उसके बारे में कठिनाई पड़ गई है। पहले यह चीज और तरह से चल रही थी।

रघुनन्दन शर्मा पकड़ने को गये थे चरण सिंह को, चरण सिंह वहां का एक डकैत और कातिल है और उसमें उनकी हत्या की गयी। लेकिन यह हत्या होने के बाद भी उसके सम्बन्ध में एक भी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। लेकिन यह पूछा जायगा कि ७७/७८ की कार्य वाही क्यों नहीं हुई, कुर्की क्यों नहीं हुई ? सुरील क्षेत्र का जो दूसरा दरोगा था, दुबे, उस गरीब की शामत आ गई। यह चुनाव क्या आया लोक सभा का उसकी भी शामत आ गयी। उसको आज्ञा दी गई कि तुम २४ घंटे में चले जाओ और वहां दूसरा दरोगा वर्ग विशेष का लाया गया। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी की भाषा से वर्ग विशेष लिया है जिस भाषा का उन्होंने बजट समय तक प्रयोग किया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता। नाम लेना मैं छोटापन समझूंगा। यह कहा गया कि दुबे साहब २४ घंटे के अन्दर गायब और गायब करने के बाद फिर दूसरे साहब वहां लाकर बैठाये गये। दुबे साहब को शेरगढ़ भेजा और शेर गढ़ वाले साहब को लाया गया और फिर चुनाव से पहले आज्ञा दी गयी कि हिल्स पर जाओ २४ के घंटे के अन्दर। इसी तानाशाही से पुलिस चलेगी। ? मैंने केवल दो ये घटनायें कहीं हैं।

मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को खास तौर से अभी से नियत कर दिया गया है कि अमुक अमुक आदमी लिस्ट में हैं जिन का तबादला होगा। ट्रांसफर और पोस्टिग के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने ४ घंटे लिये थे। उन्होंने बहुत चर्चा की थी। मैं उस पर अधिक समय नहीं लेना चाहता, इस सदन के साथ वह अन्याय होगा और सार्वजनिक द्रव्य का अपव्यय होगा। माननीय मुख्य मंत्री ने ट्रांस्फर्स और पोस्टिंग के सम्बन्ध मे जिस प्रकार की मांग की थी मैंने उनको उत्तर दिया था। मैंने कहा था, श्रीमन् को याद होगा, जिस दिन डिबेट हुआ था सामान्य प्रशासन पर, प्रत्येक ट्रांस्फर और पोस्टिंग के सम्बन्ध में, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ माननीय मुख्य मंत्री जी से जब यह पूछा गया तो कह दिया कि यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं है। पूछा गया कि कारण बताया जाय क्यों सार्वजनिक हित में नहीं है। लेकिन क्या एक प्रकार से यही बताया गया कि मेरी मर्जी से हुआ है, इस लिए यह सार्वजनिक हित में नहीं है। क्या यह बताया जाय कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध यह सरकार प्रेजुडिस थी इसलिए सार्वजनिक हित में है ? यह कौन से विधान मे लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध मेरे मन मे गांठ बन गयी है और उसे आज नहीं किसी दिन देखना पड़ेगा और जिस दिन वह अवसर मिले सबसे पहले कुल्हाड़ी लेकर उसे काट दो। क्या यह सार्वजनिक हित में है ?

मैंने यह भी सवाल पूछा था, आज चूंकि तजकिरा है सामान्य प्रशासन का इसलिये उसका तजकिरा करना अनुचित नहीं होगा। सार्वजनिक हित की बात अलग है, श्रीमन् को याद होगा सेक्रेटरी थे इर्रीशन के मिस्टर तिवारी। उनको सार्वजनिक हित में ऐक्स किया गया, समाप्त किया गया। गाजीपुर में डी० एम० बना दिया गया। ऐसा ही जैसे श्रीमन् किसी दिन इस सदन के किसी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सदस्य से कहें कि तुम्हारी तनज्जुली की जाती है, कुलीगीरी का काम करो। बेचारे सेक्रेटरी के लेविल के आदमी से यह कह दिया गया कि जाइये गाजीपुर में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो जाइये। ठीक है। श्रीमन्, पूछा गया कि क्यों हुआ ? कहा सार्वजनिक हित में नहीं बताते। यह तनज्जुली है। यह पनिशमेंट है। पनिशमेंट में आपको रीजन देना पड़ेगा। इसके सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा है। सार्वजनिक हित में नहीं बताते, शायद यह उत्तर वहां भी हो। मैंने इसलिये कहा था कि अगर इस प्रकार का कोई नियम है तो उसे भी समाप्त करना पड़ेगा।

इसी प्रकार का एक मामला था हर स्वरूप शर्मा का। वह हर स्वरूप शर्मा बदायूं में कलेक्टर थे। जहां तक हम लोग जानते हैं हमारे किसी मित्र ने जिनका इतिहास सदन में सभी को मालूम है, मुख्य मंत्रीजी से कहा कि वह हमसे कहते हैं कि तुम गुप्ता जी के साथ हो जाओ। मुमकिन है बात गलत हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं लेकिन कम से कम यह इत्तिला जरूर सही है कि आज तक कोई यह नहीं बतला सका कि उन्हें क्यों दो महीने की छुट्टी दिलवाई गई। वह बेचारा दो महीने की छुट्टी लिए हुए पड़ा है। पता नहीं उनकी कोई नियुक्ति हुई या नही हुई। हो सकता है कि इसके कुछ कारण और हों लेकिन जो आम अधिकारी वर्ग हैं उसकी इन कारणों के सम्बन्ध में क्या धारणा बनेगी ? कोई बात है तो आप चार्जशीट दीजिये, सदन में वह चीज बतलाइए और बतलाइये कि इसने यह खराब काम किया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि सार्वजनिक हित में यही है कि कोई आदमी बुरा है, करप्ट है तो बतलाइये, अपनी आशंकायें प्रकट कीजिये तब उसकी उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी कि चर्चा अथवा आशंका बगैर बतलाये होती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार की नीतियों को लेकर यह सरकार चली है वह बहुत गलत हैं और उनका असर अगर कुछ भी सामान्य प्रशासन पर पड़ेगा तो वह चौपट करने वाला ही पड़ेगा।

यहां पर इससे पूर्व एक सरकार काम करती थी। मैं भी उस सरकार का एक सदस्य था, वित्त मंत्री की हैसियत से काम करता था। माननीय चन्द्रभानु मुख्य मंत्री थे। पता चला कि इस सरकार ने जिस दिन शपथ ग्रहण की थी उसी दिन यह आज्ञा प्रसारित की कि दो फरवरी के बाद पहली सरकार ने जो आदेश दिये उनको खत्म कर दिया जाय और उनको रेग्यु किया जाय। मोटे तौर पर उसके माने यह हुये कि उस सरकार ने जो कार्य किये थे उस सरकार में काम करने वाले सब गलत थे, बुरे थे अथवा उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे यह हैं। एक अर्थ यह भी हो सकता है कि देखो हम लोगों मे यह क्षमता है कि हम तुम्हारे आर्डर्स को बदल सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यह कहा जा रहा है कि तुम लोग नालायक थे हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया, तुम्हारे आर्डर्स को हम नहीं चलने देंगे। अध्यक्ष महोदय, वैधानिक रूप से, सार्वजनिक रूप से, सौजन्यता के नाते अथवा नैतिक रूप से आप जरा इस आज्ञा पर विचार करें, इसका विश्लेषण करें कि यह आज्ञा कहां तक उचित थी ?

मुझे एक पुरानी बात याद आती है जब एक जमाने मे दो दल थे। एक दल था माननीय चन्द्रभानु गुप्त का और दूसरा था जिसमें थे आज के मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह। उसमें कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया जिसमे मुजफ्फर साहब भी थे। सौभाग्य से मुझे उनका महकमा जेल का मिला। आई० जी० प्रिजन्स ने अल्मोड़े के किसी जेलर का जिसको टी० बी० हो गयी थी ट्रान्सफर कर दिया। इस पर मुजफ्फर साहब ने लिख कर भेजा कि यह आदमी पहाड़ का रहने वाला है। इसे टी० बी० हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसको अल्मोड़ा, नैनीताल अथवा किसी पहाड़ी स्थान पर रखा जाय जिससे इसे लाभ हो बीमारी में और साथ ही अपने घर के निकट भी हो। आई० जी० प्रिजन्स ने उस पर नोट लिख कर भेजा। उन्होंने कहा कि इस सरकार को यह आदत पड़ती जाती है कि यह हम लोगों के कार्य में बाधा डालती है। मैंने उनको बुलवाया और पूछा कि आपने क्या लिखकर भेज दिया। श्रीमन्, मुझे क्रोध आया और मैंने उनसे कहा कि आपको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिये यह

बहुत अनुचित है। मैंने तुरन्त आर्डर दिया और कहा कि इसको तुरन्त कार्यरूप में परिणत किया जाना चाहिये। श्रीमन् उसके बाद क्या हुआ आई० जी० प्रिजन्स की सेवायें समय से पूर्व समाप्त कर दी गई। श्रीमन्, यह कहां का न्याय है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जीवन भर मुख्य मंत्री तो रहें ही परन्तु इस प्रदेश और देश तथा समस्त संसार के जाने-माने व्यक्तियों में रहें।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)––

हंसने को तो आप तिरस्कार नहीं समझेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––

मैं तो आपको देखकर हंस रहा हूं। तो, श्रीमन् मैं नम्रतापूर्वक यह कहने जा रहा था कि भगवान करे आप सब कुछ रहें और बहुत बड़ी मुद्दत तक रहें मुझे कोई ऐतराज नहीं है किन्तु श्रीमन्, कल यहां पर दूसरी सरकार आ जाय और उसने कहा कि चरण सिंह की जितनी भी आज्ञायें हैं उन सबको उलट दो और उनके मंत्रि-मंडल में जो लोग हैं उनकी सब आज्ञाओं में उलट-फेर कर दो तो श्रीमन इसके माने क्या होंगे? क्या विधान और वैधानिक परम्परायें इसी प्रकार चला करती हैं? क्या नैतिक परम्परायें इसी प्रकार चला करती हैं। होना तो यह चाहिये था किंग नेवर डाइज इन दि कांस्टिट्यूशन एण्ड गवर्नमेंट नेवर डाइज इन दि कांस्टीट्यूशन। कोई भी सरकार हो, चूंकि वह सरकार है इसीलिये वह सभी आज्ञाओं को उलट सकती है। कोई दूसरी या तीसरी सरकार आ जाय वह भी एक दूसरे की आज्ञाओं को उलट सकती है। किन्तु इसका अन्त क्या होगा? मान्यवर, मुझे दुख है कि यह सरकार इसी नीति और परम्परा से चली है। यह आशंका और प्रति आशंका की नीति है। यदि मान्यवर, मुझे कहने की इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि यह हीन भावना की नीति है जिसे अंग्रेजी में इनफीरिओरिटी कांप्लेक्स कहते हैं। हर रोज और आये दिन करेप्शन की बात कही जाती है। इस सदन में भी कही जाती है कि यहां करेप्शन न रहे। किन्तु श्रीमन्, करेप्शन कोई ताबीज नहीं है कि जिसके बांध देने से करेप्शन दूर हो जाय। करेप्शन कोई तिलस्म नहीं है। करेप्शन डेमोक्रेसी में एक बहुत भयंकर चीज है। मैं अपने हृदय की समस्त भावनाओं से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब-जब करेप्शन के सम्बन्ध में कोई भी कदम उठाते हैं तो मेरा माथा उनके प्रति झुकता है।

श्री चरण सिंह––

मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त संविद सरकार की तरफ से पब्लिक मेन्स इन्क्वायरी कमीशन का आर्डिनेन्स हम लाये थे जिसमें कि सभी लोग मिनिस्टर, एम०एल०ए० और जिला परिषद् आती हैं तो आपने उस समय विरोध किया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––

मैं उसी पर आ रहा हूं। हमारे मुख्य मंत्री वकील तो नहीं लेकिन वकालत अच्छी करते हैं। वे समझ लेते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। ३ माह से आपने क्यों छुट्टी कर रखी है फिर भी कहना चाहता हूं कि पब्लिक मैन्स इन्क्वायरी कमीशन अपने स्थान पर रहा है। यदि वह इस प्रदेश में लागू किया जाय तो अच्छा हो। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की यह वृत्ति गलत है और इस वृत्ति के जरिये से आप ऐसी परम्परायें स्थापित करते हैं जिनसे इस प्रदेश को सदैव क्षति पहुंच सकती है। बहुत से उदाहरण हो सकते हैं बहुत से कार्य हो सकते हैं। श्रीमन् मैं उनकी यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं जिनमें यदि हम चाहें या कोई भी सरकार चाहे तो बहुत से किये हुये कामों को न किया हुआ कहा जाय। और अगर उन्हें कर दिया जाता तो अनु-

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

चित न होता, जनता उसको बुरा न कहती लेकिन अगर सरकार कर देती तो कम से कम यह तो जरूर जाहिर होता कि हम इन्फीरियरिटी फीलिंग के रोगी नहीं हैं, उसको समाप्त किया जाना चाहिये ।

मान्यवर, जहां तक पुलिस के अन्य कार्यों का सवाल है, हम समय-समय पर उसकी चर्चा करते हैं । न जाने कितनी मर्तबा हम उसकी बुराई करते हैं । न जाने कितनी मर्तबा हम सार्वजनिक हित में उचित नहीं समझते बहुत सी उसकी चीजों की चर्चा करना । लेकिन जहां समाज की सुरक्षा का सवाल आता है, अगर उसकी सुरक्षा न होगी तो किस प्रकार से समाज चलेगा । मुझे एक ऐसी बात मालूम हुई है जो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई कि अगर किसी दरोगा की हत्या कर दी गयी हो और उसके घर वालों को तुरन्त आर्थिक सहायता न दी गयी हो । जहां तक मुझे स्मरण है, मुझे यह भी मालूम है कि कुछ अधिकारियों ने उसके लिये लिखा कि उसकी २३ वर्ष की विधवा पत्नी है तथा २ छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि अधिकारी ने यह लिख कर भेजा कि उसके घरवालों को, उसकी पत्नी को १० हजार रुपये की सहायता दी जाय । लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया । सहायता नहीं दी गयी । फिर किसी ने लिख कर भेजा कि ५ हजार रुपया दे दिया जाय । वह भी नहीं दिया गया । उसने क्या दोष कर दिया था कि अगर वह डाकू के साथ लड़ाई में मारा गया । मैं पूछना चाहता हूं कि उस बारे में यह सरकार आज तक क्यों सोई पड़ी है, क्यों उस संबंध में कुछ नहीं करना चाहती मैं समझता हूं कि कभी भी इसका उत्तर नहीं मिलेगा । लेकिन श्रीमन्, मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि यदि सरकार की इस प्रकार की भावना रही तो प्रदेश का शासन एक दिन समाप्त जरूर हो जायगा ।

मैंने केवल उदाहरण की बात कही, लेकिन एक बात याद रखें कि रघुनन्दन शर्मा का मामला प्रान्त के सारे पुलिस वालों के सामने है । वह यह समझ सकते हैं कि हम अगर डाकुओं को पकड़ने के लिये जायेंगे तो इस प्रकार मरने पर भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है । अगर गांव-गांव में इस प्रकार की हत्यायें होने लगेंगी तो पुलिस वाले वहां क्यों जायेंगे ? यही नहीं क्या इसके आगे वे नहीं जायेंगे, क्या पुलिस वाले यह भी नहीं सोच सकते कि जिस समय कोई ऐसा अवसर आये, चाहे वह कोई जलूस या अन्य अवसर हो, या किसी परीक्षा केन्द्र पर इनविजिलेशन का अवसर हो, उस समय पुलिस वाले क्यों अपनी छाती खोल कर लड़ाई लड़ेंगे, अथवा टीअरगैस आदि छोड़ेंगे या बन्दूक से सुरक्षा करने में संलग्न होंगे । मुकाम-मुकाम पर पुलिस द्वारा जुर्मों की बात होती है और न जाने कितने सवाल उसके बारे में किये जाते हैं । मुझे कहने में संकोच नहीं होता कि एक ओर तो ऐसी बात होती है और दूसरी ओर पुलिस को हम उद्दंड भी नहीं बना सकते । मेरे सामने बहुत ऐसे-ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस उद्दंडता की ओर बढ़ती जा रही है । जहां पर राजनैतिक कारणों से लामुहाला मुकदमें कायम किये जाते हैं, सच्चे मुकदमें राजनैतिक कारणों से छिपाये जाते हैं । यही नहीं कि झूठे मुकदमें ही कायम किये जाते हों, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर थर्ड डिग्री मेथड भी इस्तेमाल किये जाते हैं ।

बीसवीं सदी के सत्तरवें वर्ष में क्या आप इस बात को नहीं जानते कि थर्ड डिग्री मेथड्स के स्थान पर वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? दूसरे मुल्कों में जहां तानाशाही है, वहां पर क्या किया जाता है । लेकिन जहां तक हमारे देश का प्रश्न है अभी तक वह लाठी वाली बात यहां समाप्त ही नहीं हुई है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके वे जरा पता लगावें और कृपा कर सदन को इस बात की सूचना दें कि वैज्ञानिक अनुसन्धान के सम्बन्ध में उन्होंने क्या प्रगति की है या क्या प्रगति करना चाहते हैं । मैं मानता हूं कि इसके सम्बन्ध में पहले भी कोई बहुत प्रगति नहीं हुई है । मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में चर्चा की थी और आज भी कर रहा हूं । न जाने कितने प्रकार के उपन्यास, साहित्य, जासूसी साहित्य हम पढ़ते हैं जिसमें डिटेक्टिव टाइप के मामले भी हम पढ़ते हैं । खासतौर से इंगलैंड और अमेरिका की ला रिपोर्ट में उनका जिक्र भी होता है कि किस प्रकार से किसकी हत्या हुई

और पुलिस ने उस सम्बन्ध में किस तरह से क्या कार्यवाही की, किस तरह से डाक्टर वहां पहुंचे, किस तरह से फिंगर एक्सपर्ट पहुंचे और किस तरह से पुलिस अपने कैमरे के साथ पहुंची। डाक्टर अपना कार्य प्रारम्भ कर देता है लेकिन यहां तो श्रीमन् मैंने मुख्य मंत्री जी से भी एक बार जिक्र किया था और यह सही है कि इसका नितान्त अभाव है। मैं फौजदारी का वकील एक लम्बे अर्से तक रहा हूं और यदि समय मिल जाय तो अभी भी फौजदारी का केस कर लेता हूं। आज हालत यह है कि समय पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आमतौर पर हमारी जो केस डायरी होती है वह फर्जी होती है। आमतौर पर केस डायरी समय से एस० पी० के दफ्तर में नहीं पहुंचती। आमतौर पर अगर दरोगा साहब को किसी मुलजिम को बचाना हो तो केस डायरी में जगह रख देते हैं और यदि किसी मुलजिम को झूठे मामले में घसीटना हो तो केस डायरी में मुकम्मिल नोट कर देते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ मनन कर, विचार करें क्योंकि वे इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के गृह मंत्री हैं। भारतवर्ष की एक बटा ६ आबादी वाली प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। मेरा उन्हें नम्र निवेदन है कि वे कृपाकर इस पर ध्यान दें।

बहुत समय हुआ यहां पर एक पुलिस कमीशन अप्वायंट हुआ। पुलिस कमीशन ने कुछ सिफारिशें की थीं और उनमें एक सिफारिश यह भी थी कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के सम्बन्ध में ध्यान दिया जाय। एक सिफारिश और भी थी जिसका विशद विवरण उस पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में है। उस कमीशन की दो एक सिफारिशें मानी भी गयी हैं जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी किया है। उसमें एक सिफारिश यह भी थी कि इनवेस्टिगेशन और एक्जीक्यूटिव ब्रांच पुलिस के अलग कर देने चाहिये। मैं यह स्वीकार करता हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इनवेस्टिगेशन ब्रांच आमतौर पर एक्जीक्यूटिव पुलिस से अच्छा कार्य करती है। मैं नहीं जानता कि कल उनकी क्या दुर्दशा होगी। मेरा ख्याल है कि यदि इनवेस्टिगेशन का कार्य किसी दूसरे विभाग के सुपुर्द कर दिया जाय तो वह यहां अच्छा कार्य कर सकेगा। मान्यवर पुलिस प्रशासन से ही सम्बन्धित हमारा न्यायिक प्रशासन भी है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां का जो जुडिशियरी ऐडमिनिस्ट्रेशन है उस सम्बन्ध में हम यहां पर विचार करते रहे हैं और सदन के सामने भी इस बात को मैंने कहा है कि सरकार इस सम्बन्ध में भी देखे और सोचे कि उस तरफ हम क्या कर सकते हैं।

मान्यवर, इस सदन को शायद यह मालूम हो कि जापान में जब कोई अभियुक्त पकड़ा जाता है तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका पुलिस द्वारा चालान होता है, वह दोषी है जब तक कि वह सिद्ध न कर दे कि वह निर्दोष है। ऐसी न्यायिक मान्यता है। और हमारी न्याय प्रणाली है ब्रिटेन के अनुरूप। अमरीका से भी अब भिन्न होती चली जाती है। हम लोग प्रारम्भ करते हैं कि प्रत्येक जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाय निर्दोष है। यही नहीं, बल्कि कानून शाहदत की जो अड़चनें हैं इनके द्वारा भी सच्चा साक्ष्य और प्रमाण अदालत में आ सके इसके बारे में कुछ कठिनाइयां हैं।

एक वकील की हैसियत से जब मैं कानून शहादत की कुछ चर्चा करता हूं तो यह कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि इससे अच्छा शहादत कानून दुनियां में नहीं है। लेकिन एक बात याद दिला दूं। यों तो आपने सुना होगा, सारे सदन ने सुना होगा कि एक आम कहावत मशहूर है कि जो पंचायत में झूठ बोले उसका कुनबा मिटे और जो अदालत में सच बोले उसका कुनबा मिटे। और जब कभी कोई आदमी अदालत में जाता है तो वह इस कहावत को अपने मन में बांध कर जाता है। जिस समय वह शपथ लेने के लिये खड़ा होता है तो यह सोच कर खड़ा होता है कि जो कहूंगा सच कहूंगा, अलावा सच के कुछ नहीं कहूंगा और चुपचाप कह लेता है कि अलावा झूठ के कुछ नहीं कहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि हर एक का चरित्र गिर गया है, लेकिन

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

आमतौर पर यह गिरा है। एक ओर हमारी पुलिस का प्रशासन, दूसरी ओर पुलिस का इन्वेस्टीगेशन और तीसरी ओर न्यायिक प्रणाली, इन तीनों के सम्बन्ध में बहुत चिन्तन हुआ है, बहुत सी रिपोर्टें हमारे सेक्रेटेरियट में जमा हैं, यहीं नहीं, बल्कि केन्द्र में भी जमा हो चुकी है। प्रश्न तो यह है कि क्या हम पहल करना चाहते हैं उन रिपोर्टों के सम्बन्ध में और क्या अब तक कोई पहल की है। माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा है कि मुकदमें बकाया पड़े हुये हैं अदालतों में और बराबर एरियर्स बढ़ते जाते हैं। वह कैसे समाप्त होंगे? क्या किसी मशीन के जरिये से निर्णय हो कर समाप्त होंगे? क्या हमको इसके सम्बन्ध में विचार नहीं करना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं निकालना पड़ेगा? कुछ थोड़ा सा प्रारम्भ हुआ था पिछले वर्ष और हमने तय किया था कि अपीलें सब की सब सुनी जाया करें जजों में दीवानी की ५० हजार तक। इसके अलावा हमने कुछ थोड़े से और निर्णय लिये और उनमें से कुछ निर्णय कार्य रूप में परिणित करने की चेष्टा की गयी। मैं चाहता हूं कि वह निर्णय तो कार्यरूप में परिणित किये ही जायं, लेकिन एरियर्स के बारे में भी तो गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक और निवेदन करना चाहूंगा टामिलनाडू में एरियर्स बहुत कम हैं। सुप्रीम कोर्ट में एरियर्स नहीं हैं। कोई कारण नहीं है कि हमारे प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में एरियर्स क्यों बढ़ते चले जाते हैं। जबतक हम उसके सम्बन्ध में चिन्तन नहीं करेंगे तब तक एरियर्स बढ़ते जायेंगे। यह एक पुरानी कहावत है कि जितनी जजों की तादाद बढ़ती जायगी एरियर्स भी उतने ही बढ़ते जायेंगे। जज साहबान की तादाद बढ़ाने से एरियर्स समाप्त होने वाले नहीं हैं जहां तक पुलिस का प्रश्न है, मैं एक चीज कह कर समाप्त कर दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने नक्सलवादी कार्यों के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया था। नसलवादियों की स्पष्ट नीति है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में भी माओ के कुछ पोस्टर्स टांगे गये और यह भी कहा गया कि माओ ने दिल्ली की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। मेरा खयाल है कि और थोड़े दिन में इस प्रकार के भी पोस्टर्स आ जायेंगे कि माओ ने स्वीकार कर लिया है चुनौती उत्तर प्रदेश की। माओवाद की नक्सलवाद के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने अपने विचार दिये, एक बात कही। वह अपने तौर पर बात सही है। उन्होंने कहा था मुख्य मंत्री जी ने कि माओवाद या नक्सलवाद की जड़ में हमारा समाज का वह अंग है जो पिछड़ा हुआ है, जो कि अभी दीन-हीन बना हुआ है, जिसके पास रोटी-कपड़ा और मकान नहीं है। उसमें माओवाद पनपता है। बात सही है। रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या को यह प्रदेश अपने तौर पर हल करने में लगा हुआ है, लेकिन एक दिन में हल होना संभव नहीं है। आज हमको स्पष्ट रूप से दो बातों पर विचार करना होगा कि क्या हमारी पुलिस का परसोनल माओवाद के इस आतंक से मुठभेड़ लेने के काबिल बनाया जा रहा है? मैं इस चर्चा को केवल यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि नक्सलवाद अथवा अराजकता की बात या कानून के प्रति अवज्ञा की आम बात अगर समाप्त करने की बात है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आपको बात करना है तो धीमे सें बात करें, गंगा प्रसाद जी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि पुलिस को इस आतंक का मुकाबला करने के लिये सक्षम बनाने की ओर हमको ध्यान देना होगा। मुझ को मालूम है कि पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमने तय किया था कि इतने थानों पर इतनी संख्या में—मुझे याद नहीं पड़ रहा है—टेलीफोन लगा देना चाहिये और इनमें से कुछ स्थानों पर लग चुका है और कुछ पर नहीं लगा है। मुकाम-मुकाम पर पुलिस के परसोनेल को सक्षम बना सकें, इसके बारे में भी हमको ध्यान देना चाहिये और किस प्रकार से बनाया जाय उसके संबंध में मुख्य मंत्री जी चिन्तन करेंगे, गम्भीरता

से विचार करेंगे और मेरा खयाल है कि शायद वह इसमें समक्ष हो सकें कि पुलिस के इस परसोनेल को अधिक सक्षम बनाया जा सके।

मेरे एक मित्र ने पीछे से कहा कि यह अनर्गल ट्रांस्फर्स हो रहे हैं उनकी चर्चा करूं। उनकी थोड़ी सी चर्चा मैंने की और मैं बहुत जरूरी नहीं समझता कि फिर चर्चा करूं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरुर कहना चाहूंगा ट्रांस्फर्स के बारे में। ट्रांस्फर्स होते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। यदि समय पर होते हैं, तीन वर्ष बाद, वह हों, किसी को कोई एतराज नहीं है और यदि मुख्य मंत्री जी यह चाहें, जैसा कि उन्होंने चाहा है कि उस सबंध में माननीय सदस्य विधान मंडल या विधान सभा के कोई रुचि न लें, तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये माननीय सदस्य यदि केवल विरोध में बैठने वाले होंगे और केवल उधर बैठने वाले सदस्यों का यह रोल रहेगा कि वह अधिक से अधिक रुचि लेते रहें तो उनकी आशा निराशा में परणित हो जायगी। निरंतर, आज जिले-जिले में इस प्रकार का आतंक छाया हुआ है। अगर दोनों दल सरकार बनाये हुये हैं तो आज होड़ लगी हुई है कि किस दल की बात मानी जाती है और किस की नहीं। यदि इसको नहीं रोका गया तो कुछ कठिनाइयां बढ़ सकती हैं।

मान्यवर, जहां तक प्रश्न था सामान्य प्रशासन का, मैं समझता था कि शायद हमारे वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी कुछ नयी चीजों पर विचार करेंगे। यह लम्बा पुराना रोग है। कल के अखबारों में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी थी वह ज्यों की त्यों है और उसको बदला जाना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि अबतक उन्होंने क्या प्रयास किया है इसके संबंध में ?

प्रशासनिक मशीनरी के बहुत रूप बन गये हैं। एक तो प्लान वाली मशीनरी है, दूसरी पब्लिक सेक्टर वाली मशीनरी है और एक सामान्य प्रशासन की मशीनरी है। इसके अलावा हमारे सरकारी अधिकारीगण हैं और वह अध्यापक हैं जो सार्वजनिक सेवा में लगे हुए हैं। श्रीमन्, मुझे यह कहने का संकोच नहीं कि आज प्रत्येक वर्ग को चिन्तन की अपेक्षा है। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की तो शायद अनुचित नहीं होगा। उन्होंने इकोनामिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, डाइरेक्ट टैक्सेज इत्यादि के सम्बन्ध में अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्टें दी हैं। इसके अलावा जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स पर कांफरेंस हुई, उसमें भी एक निश्चित धारणा बनाई गई। उसमें लिखा है :

"It is fundamental to the success of democracy that, on the one hand, the administrative machinery and the administrative processes of Government should receive the respect and confidence of citizens and, on the other, they should be responsive to their needs, motivations and attitudes. In the context of administrative reforms in India, this represents an area of serious weakness and one in which there is need for a determined and forward looking approach on the part of the Government and the administration"

मान्यवर, बड़ी चिन्ता का विषय है। हम नागरिकों के हृदय में सार्वजनिक सेवा के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक सेवा में लगे हुये व्यक्तियों को इस देश की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति जागरूक होना चाहिय। क्या श्रीमन्, आज हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे देश की सेवाएं देश के प्रति जागरूक हैं और यदि जागरूक नहीं हैं तो उनको जागरूक कैसे किया जायेगा ? जहां तक प्रश्न है उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन का हम नागरिक उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित ही नहीं करते बल्कि उनसे डरते भी हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या वह इस देश में सार्वजनिक सेवा और रक्षा करने के लिए

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

तत्पर हैं ? श्रीमन्, लज्जा से सदन के प्रत्येक सदस्य का सिर झुक जायेगा यदि कहीं एक इमारत में कहीं दूसरी इमारत में, कहीं स्कूल की बिल्डिंग में, कहीं पंचायत की बिल्डिंग में, कहीं पर एक चीज में और कहीं पर दूसरी चीज में एक किलो के बजाय चौथाई सीमेन्ट लगाया जाय। यह नहीं कहता कि इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। इसके लिये जो इस कार्य में लगे हुए उनसे पूछा जा सकता है कि यह चीज ऐसी क्यों हुई ?

मान्यवर, मुझे स्मरण है, एक बार मैं एक सेक्रेटरी से मिलने गया था। उस समय मैं इस सदन का एक सदस्य था। मान्यवर, सेक्रेटरी साहब ने मुझे बठने के लिये नहीं कहा। मुझे उनसे धृष्टता करनी पड़ी और मैं स्वयं बैठ गया। मैंने उनसे कहा कि इस कार्य के लिये आप के पास आया हूं। इस पर उन्होंने कहा :

You should go to Mr. X, you should go to Mr. Y, You should go to Mr. Z.

मैं उनकी बात सुनता रहा और मैंने कहा कि आप किस काम के लिये हैं जनाब ? वह कुछ नाराज हुए और मैंने भी उनकी नाराजगी का जवाब नाराजगी से दिया। उस जमाने में मुख्य मन्त्री थे पंत जी और उन्होंने उसके संबंध में बाकायदा कार्यवाही की और उनको सेक्रेटरी पद पर बाद में नहीं रखा। मान्यवर, हमारे सेक्रेटरीज के बारे में आज कोई इस प्रकार की शिकायतें नहीं हैं लेकिन आज हमारी आम सार्वजनिक सेवाओं में लगे हुये व्यक्तियों का एटीच्यूड बदला नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो यह सोचना नहीं चाहता कि सचमुच वह सेवा में लगा है या नहीं। मान्यवर, बहुत लम्बी चीजें मैं नहीं कहना चाहता। आज तो यह आम धारणा है कि किसी पत्र का उत्तर मिलेगा ही नहीं।

श्री चरणसिंह—

इतनी बड़ी मशीनरी पर इतना खर्च करने के लिए पैसा कहां से आयेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि उनसे कुछ स्ट्रिक्टनेस हो सके तो कम से कम कुछ पत्रों का उत्तर दिला सकें। श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने मुझे उत्तर दे दिया कि इतनी बड़ी मशीनरी पर इतना पैसा खर्च के लिए कहां से आवेगा ? उन्होंने आज ही उत्तर दे दिया। लेकिन कुछ पत्रों के उत्तर देने के लिए जिलाधीशों को वह निर्देश दे दें। मान्यवर, कितने अधिकारी पेंशन पर गये और मर गये उन को आज तक पेंशन नहीं मिल सकी। श्रीमन्, कितने ठेकेदार मर गये और अन्त तक उनके ठेके का हिसाब नहीं हो पाया। श्रीमन्, न जाने कितना रुपया लोगों का सरकार पर चाहिए लेकिन उनका हिसाब आज तक किसी ने नहीं किया। सरकार के रुपये के लिए तो रेवेन्यू की एजेन्सी मौजूद है किसी वक्त भी तहसीलदार किसी भले आदमी को तहसील के अन्दर बन्द कर सकता है, लेकिन जिनका रुपया सरकार पर चाहिए उनके लिए कोई जवाब देने वाला नहीं है। मेरे सामने बहुत उदाहरण हैं श्रीमन्। मुख्य मन्त्री जी ने जो उत्तर दे दिया उसकी तहत में मैं कहना चाहता हूं कि मत उत्तर दें उस आदमी को जो कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई है शादी करवा दें लेकिन कृपा करके जहां आवश्यक है वहां तो उत्तर दीजिए। न मालूम कितने सरकारी मुलाजिम बैठे हैं उन गरीबों के तीन, तीन वर्ष के भत्ते नहीं दिये गये।

मान्यवर, १९६२–१९६७ में जो चुनाव लड़ा गया उसका रुपया आज तक अदा नहीं हुआ है। हजारों एकड़ जमीन किसान की सार्वजनिक कार्यों के लिए एक्वायर कर ली गई लेकिन उस को मुआवजा नहीं दिया गया। आखिर इस प्रकार की इनएफिशिएन्सी, इस प्रकार की भावनाओं का कैसे अन्त होगा ? श्रीमन, क्या हम थोड़े से ट्रांसफर के जरिए से इन भावनाओं को दूर करेंगे ? यद्यपि यह केन्द्र का विषय है फिर भी एक उदाहरण है। आज सबेरे एक साहब ने मुझे कानपुर से फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं आप को टेलीफून नहीं कर सका

क्योंकि मेरा टेलीफून ८ दिन से खराब पड़ा है और उसे कोई ठीक नहीं करता। हम लोग तो आज ग्लास हाउसेज में रहते हैं हम मिनिस्ट्री वाले और एम० एल० ए० लोग लेकिन आम जनता से जाकर पूंछे। किसी का कभी टेलीफून चार दिन तक ठीक नहीं होता है तो किसी को डाक नहीं मिलती है। यह नहीं बल्कि आये दिन यह रोना है। हमारी एफीशियेन्सी इस कदर गिर गई है कि हम स्वयं नहीं जान पाते कि एफीशियेन्सी क्या है और इनएफीशियेन्सी क्या है। इट इज बियान्ड रिकगनीशन दैट इट इज एफीशियेन्सी, इतनी अधिक वह नीचे गिर गई है। वह कभी सक्षम हो भी सकते हैं अथवा नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप लें, एक क्षेत्र की बात नहीं है बल्कि यह हर क्षेत्र में इनएफीशियेन्सी आगे और आगे बढ़ती चली जाती है। इसके लिये किस को दोष दें। अगर इसको सरकार न करे तो कौन करेगा और कैसे एफीशियेन्सी बढ़ेगी।

एक चीज आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ६ महीने हो गये, ८ महीने हो गये, १० महीने हो गये माध्यमिक विद्यालयों के बारे में जिनकी संख्या इस प्रदेश में १,४०० है उसमें से ९०० ऐसे भी विद्यालय हैं जिसमें शिक्षकों को समय पर पैसा नहीं मिला बल्कि ६, ६ महीने १०, १० महीने और १४, १४ महीनों से वेतन नहीं मिला है। ये जो हमारी प्राइमरी पाठशालायें हैं उनके लिये पैसा गया जिला परिषदों के पास लेकिन न जाने वह पैसा कहां से कहां खर्च हो गया लेकिन प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को ५, ६ महीने तक वेतन नहीं मिला। हम लोग भी इसके लिये दोषी थे।

हम लोगों ने सोचा कि मासिक रूप से उन को वेतन मिले। हम लोगों ने आंकड़े देखे। पता नहीं सदन में उसको कहने से उसका कोई दूसरा रूप धारण करे। जो रुपया अनुदान का सरकार देती है उस अनुदान के द्वारा उन अध्यापकों का वेतन वितरित किया जा सकता है तथा कुछ रुपया फिर भी बच रहेगा। मान्यवर, एक आज्ञा प्रसारित कर दी गई, २ फरवरी से पहले वह आज्ञा प्रसारित कर दी गई, न्यूज पेपर्स में न्यूज आइटम्स दे दिये गये, सचिवालय पत्रावली में वह आज्ञा अंकित कर दी गई परन्तु मुख्य मन्त्री ने उस आज्ञा को निरस्त कर दिया। यह है तानाशाही। मैं शिक्षा मंत्री महोदय की बहुत कद्र करता हूं, उनके प्रति मेरे दिल में बहुत सम्मान की भावना है वे कर्मठ व्यक्ति हैं। मुझे दुख है कि उनकी कलम से ऐसा हुआ। वे सारे आंकड़े पत्रावली में मौजूद हैं। वह बेचारे कुछ कर नहीं पाये। बल्ब तो एक ही स्वीच से जलता है परन्तु उसके लाइट प्वाइन्ट्स कई हैं और स्वीच एक ही है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता भी है। स्वीच एक ही रहे सारे लाइट प्वाइन्ट्स में और कुछ लाइट्स फ्यूज हो जांय। क्या कारण था यह तो एक समाजवाद की ओर कदम था और समाजवाद ऐसा कि मैं ठीक ढंग से समझता हूं मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मैं तो यह भी सोचता हूं कि किसी दिन शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा। उस दिशा की तरफ हमने एक कदम उठाया था। कौन से पाप किये थे। इन बेचारों ने जिन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। अपराध है उन लोगों का जिन्हों ने कुर्सियों पर बैठकर समाजवाद से बचने के लिये चेष्टा करना आरम्भ कर दिया है। मान्यवर, क्या कारण है कि इन अध्यापकों का जिनके बारे में कहा गया था समय पर वेतन न मिले। उसके बारे में हमने एक मशीनरी भी तैयार की थी।

हमने यह सोचा था कि जहां वेतन नहीं मिलते हैं वहां पर यहां के अनुदान का रुपया ट्रेजरी में जाएगा। एक अध्यापकों का प्रतिनिधि होगा, एक सरकार का होगा और दोनों मिल कर पहले अध्यापकों को दे और शेष धन को इंस्टीट्यूशन को देंगे। इसमें क्या बुराई थी? लेकिन वह आज्ञा रोक दी गई। मैंने यह भी कहा था उस दौरान कि जो हमारी प्राइमरी पाठशालाएं हैं उनके भी अध्यापकों को समय पर वेतन मिलना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था सरकार करे। आजकल तो जिलाधीश हमारी जिला परिषदों के कर्ता-धर्ता हैं। शायद अब कुछ ऐसा हो जाय। लेकिन मैं तो इस प्रश्न पर आ रहा था कि आप की अकर्मण्यता, हमारी सरविसेज में जो नित्य

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

प्रति नीचे जाने की भावना है, उस को कैसे रोका जाय ? एक अजीब भावना व्याप्त हो गयी है और वह यह है कि यदि कहीं पर यह अनुभव किया जाता है कि यह काम इतने आदमियों का है, इतने के बीच इतने हैं, इतने कम हैं तो चाहे दिन भर डैस्क पर बैठा जाय पेन्सिल और किताब ले कर लेकिन काम करन की प्रवृत्ति का अभाव होता जाता है। हमारी सेवाओं के लिए यह कोई नेकनामी की बात नहीं है। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिये यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और मैं नम्रतापूर्वक किन्तु दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से और बहुत सी चीजों को इस देश में बहुत दिनों तक स्वीकार नहीं जा सकेगा उसी प्रकार इस तरह की भावना को भी यह देश बहुत दिनों तक बरदाश्त नहीं करेगा। लेकिन मैं इस सरकार से पूछ ना चाहता हूं कि सरकार ने क्या किया इसके सम्बन्ध में ? हां, एक काम किया--पुनरावृत्ति के लिए माफी चाहता हूं---इतना डरा दो, इतना आतकित कर दो, इतना नीचे गिरा दो, इतना डिमारेलाइज कर दो, कि कहीं किसी आदमी की हिम्मत न हो सिर उठाकर यह कहने की कि आप की यह आज्ञा गलत है या कि इस आज्ञा का पालन अहित कर है। डिमारेलाइजेशन एकमात्र कार्य इस सरकार का है सर्विसेज के सम्बन्ध में। और अगर यह प्रवृत्ति बहुत दिनों तक इस प्रदेश में काम करती रही तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि लायलटीज कैन नेवर बी परचेज्ड, नार कैन बी फोर्स्ड। दे हैव टू बी अर्नड (Loyalties can never be purchased nor can be forced. They have to be earned)

आपने कभी चौथी श्रेणी की सर्विसेज के सम्बन्ध में विचार नहीं किया। उनको कभी बढ़ावा नहीं दिया और यह भी नहीं सोचा कि उनकी आवश्यकताएं भी हमारी जैसी हैं। डिपार्टमेन्ट्स में चले जाइये। दस-दस, बारह-बारह, और बीस-बीस वर्ष के आदमी अनकन्फर्म्ड पड़े हुए हैं। आज तक स्थायीकरण नहीं हुआ। शुरू में जब मुझे सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट मिला तो मैंने जब आंकड़े इकट्ठे किये तो पाया कि लगभग ५५-६० प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जो स्थायी नहीं हैं। तो श्रीमन्, सेवाएं कभी भी एफीशियेन्ट नहीं हो सकेगी यदि उनका स्थायीकरण हम नहीं करेंगे, यदि हम उनके प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, यदि हम घर के नौकरों की तरह उनके प्रति बरताव करेंगे, यदि हम तानाशाही के द्वारा उन को दबाएंगे और डिमारेलाइज करने की चेष्टा करेंगे। बिलकुल यही आज इस प्रदेश में हो रहा है। और मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, कहीं वर्ग के नाम पर, कहीं इस नाम पर, कहीं उस नाम पर जिस प्रकार आज सर्विसेज को दबाने, धमकाने के लिए, आतंकित करने के लिए ट्रांसफर्स किये गये जिस प्रकार से सेवाओं में तनज्जुली की गई, जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान को लोगों को भेजा गया वह किसी सभ्य सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है।

मान्यवर, मैं एक दूसरे विषय की चर्चा करना चाहता हूं। इसमें डाइरेक्ट टैक्सेशन की बात आई। श्रीमन्, आपने भी सुना होगा अभी यह चीज इस सदन के सामने नहीं आई कि इस समय बिक्री-कर का २५.७५ करोड़ रुपया बकाया है। कानपुर के उद्योगपतियों पर ३७ करोड़ रुपया बकाया है। सभी मिलाकर लगभग १०० करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में इस समय बकाया है वसूलयाबी के लिये। मेरे समय में भी वह था। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वह आज का ही है। वे सब एरियर्स आज नहीं हुये, लेकिन बहुत से आप के जमाने में भी हुआ है। चीनी शुगर मिल्स हैं जिनकी चर्चा की जाती है उन शुगर मिल्स पर जितना आज बिक्री-कर बकाया है उतना पहले कभी नहीं था। आज इस वसूलयाबी के लिये आप क्या करना चाहते हैं। डाइरेक्ट टैक्सेशन की क्या पालिसी है ? वसूलयाबी के लिये आप के पास एक एजेन्सी है रेवेन्यू विभाग की। उस रेवेन्यू एजेन्सी का सब से पहले कार्य, जिसमें कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब और नीचे में अमीन वगैरा सब होते हैं, यह होता है कि रेवेन्यू ड्यूज को वसूल किया जाय। रेवेन्यू ड्यूज को वसूल करना पहला कार्य है। मालगुजारी का टैक्स, मालगुजारी का पैसा वसूल हो जाय यही उन्होंने अपना सारा कार्य समझा।

मालगुजारी के पैसे के अलावा और जितनी वसूलयाबी हैं उन को दूसरे दर्जे पर वह रखते हैं। मैंने इस चीज का एहसास किया और इस चीज के सम्बन्ध में चर्चा की और एक योजना बनाई कि यह जो हमारी वसूलयाबी बिक्री-कर की है इस बिक्री-कर की वसूलयाबी के लिये एक अलग एजेन्सी बनाई जाय जो उनकी अपनी एक एजेन्सी हो। लेकिन उसका परिणाम भी यह हुआ कि उसका सम्बन्ध रेवेन्यू विभाग से है तो वह अपनी बात कहने लगे। जी बोर्ड आफ रेवेन्यू के जे० डी० शुक्ल जी थे उन को मैंने बुलाया। वह भी कहने लगे ठीक है और सहमति प्रकट की। इस देश के कई प्रदेशों में और कई इलाकों में इस प्रकार की एजेन्सी हैं जिसमें कि वह वसूलयाबी करती हैं अपनी एजेन्सी के द्वारा और वहां पर इतनी वसूलयाबी के लिये धनराशि बाकी नहीं रहती है।

अन्त में सेल्स टैक्स ही इस प्रदेश का एकमात्र बड़ा टैक्स रहेगा जिस पर इस प्रदेश को अपना सारा काम चलाना और प्रदेश को कदम बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स टैक्स पिछले वर्ष से काफी बढ़ गया है। पता लगा कि अब ४७, ४८ करोड़ रुपया केवल सेल्स टैक्स की सम्भावना है। मेरा ख्याल है कि १, २ वर्ष में ६५, ७० करोड़ रुपया की वसूलयाबी होगी किन्तु अगर यह इतनी बड़ी वसूलयाबी पड़ी रहे तो क्या होगा। बकायेदार पड़े रहें तो कैसे उनके साथ बरताव किया जाय। मैं आज इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष बकाया के लिये आपने क्या किया। बकाया वसूलयाबी के लिये १० डिप्टी कलक्टर मांगे गये थे। यह बड़ी रोचक बातें सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि एक वर्ष तक ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट १० डिप्टी कलेक्टर सेल्स टैक्स के लिये नहीं दे सका इस कार्य के लिये कि जो कुछ एरियर्स हैं उनके बारे में यह तय किया जा सके कि यह रियलाइजेशन के काबिल हैं या यह रियलाइज नहीं होंगे। और ६ मास लग गये इसमें, हम ने सोचा था कि स्पेशल स्कवेड चेकिंग के लिये बने लेकिन वह अन्त तक नहीं बन सका, न मालूम अब क्या स्थिति है। चेकपोस्ट्स की भी ऐसी ही योजना हुई, भ्रष्ट प्रशासन न हो, क्लीन प्रशासन हो, नारे बाजी में तो बहुत तेजी है और हर रोज एक नया नारा सुनाई देता ह—कुशल प्रशासन हो, क्लीन प्रशासन हो, अनकरप्ट प्रशासन हो, स्वच्छ प्रशासन हो नित्य प्रति के नये नारे हैं लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी प्रकार का भी कोई कुशल प्रशासन वह दे सके हैं।

मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट १२–१२ माह तक छोटे-छोटे कर्मचारियों की स्वीकृति नहीं देते और नित्य प्रति लिखने के बाद भी नहीं देते और हर रोज झगड़े और तनाजे होते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस सदन के अध्यक्ष की ओर से न जाने कितनी बार इस सदन की कार्यवाही को अधिक कार्यकारी बनाने के लिये कितनी मांगें की गईं यहां के प्रशासन से, मैं उन तमाम की चर्चा न कर के केवल १–२ उदाहरण ही देना चाहता हूं और उतना ही इस समय काफी होगा।

आज से ७–८ माह पहले इस सदन की यह आवाज ठीक हो सके, यह अकास्टिक्स ठीक हो जायं, इसके लिये रुपया भी मंजूर किया गया, माइक का यथोचित प्रबन्ध हो जाय इसके लिये माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया लेकिन आज भी हम वैसे ही बैठे हैं और ३० जून तक बैठे रहेंगे लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सका। हम सरकार से बाहर आये उससे पहले ही यह तय किया गया था कि यह सदन गर्मियों में भी यहां बैठे और इसे वातानुकूलित बनाया जाय ताकि कार्य गर्मी में सुचारु रूप से किया जा सके लेकिन पता लगा कि उस समय माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी मुख्य मंत्री थे और एक-एक पाई के व्यय के बारे में न मालूम कितनी-कितनी बातें उनके मन में रहती थीं, कोई मंत्री चाहे कि मेरी ५ गज कार्ड बढ़ाई जायं तो उनके सिर में दर्द होने लगता था।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

हमारे आज के मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह जी तो उनसे भी आगे हैं वह तो शायद एक गज कार्ड भी किसी का न बढ़वायेंगे। यह मैं कह सकता हूं कि वह किसी हालत में उनसे कम नहीं हैं। तो आप देखें कि अध्यक्ष जी और सदन की इच्छा होते हुये भी और जरूरत होते हुये भी सदन को बातानुकूलित नहीं किया गया। इस तरह से टालने की, देरी करने की एक प्रवृत्ति हो गई है। केवल एक पहलू को ही प्रशासन के ले लें कि प्रशासन में यह देर लगने की बला कब से दूर होगी, किसी चीज को तेजी से करने की आदत कब पड़ेगी यहां के प्रशासन के लोगों को और कब यहां के जनमानस को यह विश्वास होगा कि उसका कार्य यहां तेजी से हो सकेगा।

मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि हमारे ला मिनिस्टर साहब जो इस वक्त यहां नहीं हैं श्री स्वामी प्रसाद सिंह जी वह मुझे अपने यहां के एक पुल पर ले गये और मैं वहां गया। उस पुल का रुपया ९ साल पहले मंजूर हुआ था, ७–८ साल हो गये उस पुल में ९ पायर्स बनाये गये थे उसमें से १ या कुछ फट भी गये थे और तब से आज तक वह पुल नामुकम्मिल पड़ा है मैंने उसके विषय में लिखा-पढ़ी की। मैंने सार्वजनिक विभाग के सचिव महोदय को भी बुलाया उनसे पूछा क्या बात है। तो मुझे पता लगा कि उसका जो ठेका हुआ था उसमें एक नई कलात्मक प्रवृत्ति ने जन्म लिया और वह कलाकारी का काम उस में यह हुआ कि ठेकेदार के सामने एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम आया कि तुम नीचे के पायर्स का पैसा ज्यादा लगाओ। आप जो एस्टीमेट बनावें उसमें ऊपर के स्ट्रक्चर का कम बना दो, मंजूर हम कर देंगे। मंजूर हो गया और जो रनिंग पेमेंट होता है, नीचे के पायर्स का वह ४–५ लाख रुपया ज्यादा मिल गया। फिर यह कार्य करे उसकी बला और नित्य प्रति उसी प्रकार के हर रोज न जाने कितने काम हो रहे हैं। यह बात अपनी जगह पर सही है कि वह पुल ९ वर्ष से नहीं बन पाया है। बहुत से लोगों ने कहा कि यह पुल तो तब बनेगा जब हम मर जायेंगे। वह पुल बनने का नाम ही नहीं लेता।

इसी प्रकार से न जाने कितने कार्य ऐसे पड़े हुए हैं जिनके बारे में यदि संसार का कोई सभ्य मुल्क विचार करेगा तो उसकी आंखों में आंसू आयेंगे। जिन कार्यों की आज अपेक्षा है वे कार्य ७–७ वर्ष तक पूरे नहीं हो पाते हैं। हर काम में देरी होती है। एस्टीमेट बनने में देरी होती है, फिर एस्टीमेट के मंजूर होने में देरी होती है, सेंक्शन होने में देरी होती है, और अगर सेंक्शन हो जाती है तो उसके जाने में देरी, यदि चली भी जाय तो फिर आग बुझाने में देरी। उस समय तक न आग रहे और न मकान। हमारे यहां देशी रियासतों में भरतपुर वगैरह में दमगीरा होते थे जिनसे आग बुझायी जाती थी। एक रियासत के पास एक गांव में आग लग गयी। नायब साहब ने लिख कर भेजा कि आग लग गयी है तो वह बेचारा किसान भी न रहा, वह मर चुका था और उसका एकआध लड़का भी मर चुका था। न उसका घर ही बचा था। करीब-करीब पौने ३ साल बाद उसके घर की आग बुझाने के लिए दमगीरा भेजा गया। इसी प्रकार से इस प्रदेश की सरकार का हाल है वहां पर दमगीरा ३ वर्ष बाद भेजा जाता है तो यहां पर ७ वर्ष के बाद भी कुछ नहीं होता है।

आज यह जो हमारी हाउसिंग बोर्ड की योजना चल रही है। दुबारा से हम लोगों को इसके लिए कितने संघर्ष के बाद इतना धन मिला है जो पहले हमेशा वापस हो गया था। आज पिछले ३ वर्ष से एक भी घर नहीं बनाया गया है। पिछले वर्ष उसको रिवाइव किया गया। दुर्भाग्य से मुजफ्फर हुसैन, जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे और जिनका जीवन कांग्रेस के कार्य में भी बीता है, वे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने मुख्य मंत्री जी को फोन किया कि शायद मैं आपको पसन्द न आऊं। तो उत्तर में कहा गया कि आप जैसा चाहो करो। अब वे खत्म हो गये और दूसरे साहब को प्रेसीडेंट कर दिया गया है। आज सच्चाई यह है कि हमारे सार्वजनिक कार्य जितने हैं, उनमें इसी प्रकार से देरी हो रही है।

हमारे जो प्रेस के रिप्रिजेन्टेटिव बैठे हैं, २–३ वर्ष पूर्व उन्हें कुछ अनुदान मंजूर हुआ। कुछ प्रेस के लोग, यहां के प्रेस संस्थान के लिए ढाई वर्ष तक निरन्तर प्रयास करते रहे। पिछले

वर्ष बड़ी मुश्किल से वह रुपया भुगतान किया जा सका है और इसी प्रकार की खराबियां उत्तर प्रदेश में आज हमारे सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षण को खोखला कर रही है। मेरा यह निवेदन है श्रीमन्, हम लोगों ने इसके बारे में कुछ तय किया था। प्लान इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में भी बहुत इसको देखा भाला। प्लान हमारी है, बड़ी है। पहले १५० करोड़ रुपये हुई। अब १६५ या १६९ करोड़ की बनाई थी हम लोगों ने ही। इस प्लान में कुछ कार्य पूरा होना है। हम लोगों ने कैबिनेट की तरफ से एक कमेटी बनाई जो प्लान इम्प्लीमेंटेशन के कार्य को देखे। हमारे वित्त मंत्री के इस पूरे भाषण में मुझे नहीं मिला कि प्लान इम्प्लीमेन्टेशन के इस कार्य को देखने के लिये उन्होंने अपने यहां कोई मशीनरी बनाई है या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट "मशीनरी फार प्लानिंग" के पृष्ठ ५९ पर कुछ आवश्यक निर्णय लिये गये हैं, उनमें से एक निर्णय पढ़ देना चाहता हूं—

"If there is a shortfall in implementation of State Plans taken as a whole and as a result of the Central assistance utilized by the State is more than what would be proportionate to the expenditure made by the State out of its own resources—the correct proportion being one which was initially set at the time of the initiation of the plan, there should be corresponding reduction in the assistance."

इसका अर्थ यह है कि यदि प्लान इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपने पूरा कार्य नहीं किया तो केन्द्र से जो सहायता मिलने वाली है उसमें कमी कर दी जाय और इसी में आगे चलकर इस बात का सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक स्टेट को अपनी प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिये अपनी एक मशीनरी बनाई जानी चाहिये और उस मशीनरी को समय-समय पर यह देखना चाहिये कि प्लान का कार्य इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। नितान्त अभाव है इस बजट साहित्य में भी और जो वित्त मंत्री ने भाषण दिया उसमें भी इस बात का कहीं कोई संकेत नहीं है कि प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिये कोई कार्य किया गया।

श्रीमन्, अपने मंत्रिगण में से मेरे दुर्भाग्य से, शायद एक दो सज्जन ही यहां इस समय सदन में उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्लान इम्प्लीमेंटेशन तो अपने स्थान पर है। वे आज जरा अपने-अपने विभाग की पत्रावलियों को निकाल कर देख लें और यह देखें कि उत्तर प्रदेश में कितना रुपया लैप्स होता रहा है। प्रति वर्ष लैप्स न हो, इसके बारे में क्या कुछ किया जायेगा? इसमें कोई संकेत नहीं है और संकेत है तो केवल इतना सा ह कि धन लैप्स न हो, इसके बारे में स्टप्स लिये जायेंगे। मैं चाहता था कि वित्त मंत्री सदन को बतायें कि क्या स्टैप्स लिये जायेंगे। मार्च का महीना आता है तो यहां धन का अपव्यय होता ह। किसी भी मंत्री साहब के पास डिस्क्रिशनेरी ग्रान्ट का पचास हजार रुपया बाकी है तो उस समय ताबड़ तोड़ कोशिश की जाती है कि उसको भी दो और उसको भी दो। चाहे काम न हो। डिपार्टमेंट में रुपया बाकी है और वह डिपार्टमेंट का रुपया बजाय इसके कि वापिस किया जाय, कई बार अपव्यय होता है और कई बार यह होता है कि जहां पर व्यय होना चाहिये वहां पर व्यय नहीं होता है और वह रुपया वापिस हो जाता है। केन्द्रीय धनराशियां लैप्स होती हैं, मैं स्वागत करता हूं कुछ उसका जिक्र है। धनराशियों को लैप्स होने से बचाया जाय। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और जब तक इस सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा कि समय-समय पर धनराशियों से कितना धन खर्च हुआ तब तक ये धनराशियां लैप्स होती चली जायेंगी। मेरा यह सुझाव है कि इस बारे में शीघ्र ही सरकार को सम्पूर्ण रूप से कार्य करना आवश्यक होगा।

मान्यवर, मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र कर दिया, लेकिन यदि मैं एक चीज की चर्चा न करूं तो मेरा ख्याल ह कि यह चर्चा अधूरी रह जाएगी। एक अजीब ढंग से हम लोगों

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

ने कार्य प्रारम्भ किया है, खास कर इस सरकार ने किया है। मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं—यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी है उसने यह भी तय किया कि हमारे कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रालयों और मंत्रियों की संख्या के बारे में जिक्र किया है और तय किया कि मंत्रियों की संख्या अधिक से अधिक ४० होनी चाहिए और कैबिनेट की संख्या में कहा कि अधिक से अधिक कैबिनेट मिनिस्टर्स की १६ होनी चाहिए।

मैं इस पर लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, केवल एक चीज की चर्चा करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री कोई पेशा नहीं है और यदि मिनिस्ट्री को पेशा बना दिया जाए, तो यहां कैसे काम चलेगा। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर गण हैं, बावजूद इसके कि वे ३ महीने से मंत्री बने हुए हैं, उनके पास दो पत्रावलियां नहीं गई हैं। उनके मैं नाम लूंगा तो उन मंत्रियों को और सरकार को कठिनाई पड़ेगी। लेकिन मुख्य मंत्री जी कृपा करके चेतें कि हमारे ऐसे-ऐसे राज्य मंत्री हैं जिनके पास ३–३ महीने से ३–३ पत्रावलियां नहीं पहुंची हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्रियों में कोई इन्फार्मेशन लिए बैठा है तो कोई पंचायत। मैं उनके आपस के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। भगवान करे कोई छोटा-मोटा और बिभाग खुले, उसके वे मंत्री बन जाएं, जो उसकी लालसा लगाए बैठे हैं। मैं उनके आन्तरिक मामलों में नहीं पड़ना चाहता लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के दृष्टिकोण से यह कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री किसी को बनाते हैं, तो कृपा करके उसको काम दीजिए।

हमारे साथी नारायणदत्त जी माननीय सदस्य नैनीताल, इस समय नहीं हैं, यदि वह होते तो मैं उनसे यह पूछता कि मंत्री जी में और इस सेक्रेटेरियट के आनरेबेल क्लर्क में क्या कोई ज्यादा अन्तर है? नाम दरोगा काम नदारद। नाम मंत्री और काम कागज घसीटना और भाषण पढ़ना। क्यों उनसे छीन लिया गया सेल्सटैक्स और रजिस्ट्रेशन का कार्य?

श्री चरण सिंह—

परमात्मा ने आदमी को स्मरण शक्ति बहुत कमजोर दी है, नहीं तो आज ऐसा भाषण नहीं होता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, वह हमारे मूल्यवान साथी युवक हैं, बड़े प्रतिभा सम्पन्न हैं, उनका एक कार्य और भी रह गया है—काम उनका यह है, कुछ किताबें भी पढ़ लेते हैं गाहे-बगाहे, उनको भी इसमें लिख देते हैं। उसमें कोई छोटा-मोटा कोटेशन मिल जाए तो उसको भी लिखते हैं, लेकिन उसका लिखने का क्या मतलब है यह वह ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कोट कर दिया, बजट यह होना चाहिए वह होना चाहिए। बजट को उस कसौटी पर उतारिये तो कुछ नहीं है। हां, कुछ चीजें जिनका हम लोगों ने श्रीगणेश किया था उनका उन्होंने जरूर जिक्र किया है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कतई जिक्र नहीं है, जिनके सम्बन्ध में जिक्र होना बहुत जरूरी है। मैं अभी मंत्रिगण के सम्बन्ध में जिक्र कर रहा था, साइज आफ दि मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा, हम लोगों की याददाश्त कमजोर है और उन्होंने यह भी ठीक कहा कि पहले कितने थे और अब कितने हैं। मैं याद दिलाऊं तब कितने थे जब कि आप थे। उसको भी याद करें। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से क्या यह उचित है? क्या यह जनतन्त्र के सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुकूल है? आज हम मंत्री बनाएं लेकिन उनको मंत्रियों का कार्य न दें और यदि हमें इस प्रकार के मंत्री बनाते हैं तो क्या उन मंत्रियों के सम्बन्ध में जैसा कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने जिक्र किया है सचमुच इस देश और इस देश के जनतंत्र के साथ न्याय करते हैं?

मैंने कहा था कि मैं एक चीज की चर्चा नहीं करूंगा तो मेरी सारी बातें अधरी रह जायेंगी। मान्यवर, हमारी जो गतिविधि है—"नई नाइन बांस का नहन्ना" या दूसरी कहावत है "नये

मुल्ला प्याज ज्यादा खाते हैं।" सुना एक साहब पीपुल्स कोर्ट करते हैं। पीपुल्स कोर्ट ऐसी वैसी चीज नहीं है। इस पीपुल्स कोर्ट में सब से पहले यह पूछा जाता है कि कोई मुर्गा लाये हो। मुर्गा कैसा, मुर्गा के क्या मानी ? किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत लाये हो तो हम हलाल करेंगे, सही हो या गलत हो, कुछ भी हो। लेकिन वह नहल्ले की कार्यवाही तुरन्त शुरू हो जाती है। मेरे मित्र, वीरेन्द्र वर्मा जी यहां नहीं हैं। मैं वस्तबस्ता उनसे अर्ज करता हूं कि माओ के शब्द बहुत प्रचलित हो गये हैं, पीपुल्स कोर्ट का शब्द क्यों प्रचलित करते हैं ? आप कौन हैं ? आप इस प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं। इस सदन के प्रतिनिधि के रूप में एक मंत्रि-पद पर बैठे हैं।

(इस समय २ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामचन्द्र विकल पीठासीन हुये।)

आपके कुछ अधिकार हैं। उनकी कुछ सीमाएं हैं। यह पीपुल्स कोर्ट कैसी ? अखबार में कुछ चर्चा हुई है। उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। शायद मुख्य मंत्री जी उनको कुछ थोड़ा कहें सुनें, शायद वह पीपुल्स कोर्ट न लगाएं। पीपुल्स कोर्ट से, इन सबसे प्रशासन में कोई प्रगति नहीं आती है बल्कि नये प्रकार के लांछन का प्रारम्भ होता है, अधिनायकवाद की नीति को प्रोत्साहन मिलता है। गलत कामों की ओर प्रवृत्ति होती है, पार्टीबन्दी और छिछले किस्म की वर्ग नीति को प्रोत्साहित करके इस प्रदेश के प्रति अधिक से अधिक अन्याय होता है। बहुत चीजों की हमने चर्चा की। काश उसमें से कुछ चीजें सही होतीं तो यह प्रदेश उसके लिए ऋणी होता। हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छ प्रशासन मिले। जिस प्रशासन के पीछे इस प्रकार की प्रवृत्ति हो तो क्या आतंकवाद को स्वच्छता कहें ? जिस प्रशासन में डिमारेलाइज करने की प्रवृत्ति को हम स्वच्छता कहें, जिस प्रशासन में नित्य प्रति हम यह कहने लगें कि हमारे नारों से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, वह कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता।

अधिष्ठाता महोदय, जब जमींदारी उन्मूलन चल रही थी तो हम लोगों ने इस सदन में कहा था जमींदार भाइयों से कि कृपा कर दीवार पर लिखी हुई कुछ पंक्तियों को पढ़िये उसी प्रकार मैं सदन से कहना चाहता हूं कि दीवार पर लिखी हुई पंक्तियां को वह पढ़े हम लोग अपने कृत्यों से इस प्रदेश को तथा प्रदेश के प्रशासन को उस कगार पर लेकर पहुंच गये हैं जहां से गिरने के बाद जनतंत्र का कहीं पता नहीं चलेगा। करियप्पा साहब आज खुले तौर से सैनिक शासन की बात करने लगे हैं और कुमार मंगलम साहब भी उनसे पीछे नहीं हैं। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि इन दोनों ने इस प्रदेश के प्रति गद्दारी की है। आज हमें किसी प्रकार के सैनिक शासन की आवश्यकता नहीं है और सैनिक शासन से यह मसला हल भी नहीं हो सकता। हां, सचमुच इस तरह की भावनाओं से जरूर मसला हल हो सकता है अगर हम समझदारी से, विनम्रता से समस्याओं को सुलझाने तथा जनतंत्र को आगे बढ़ाने की भावना व प्रवृत्ति को लेकर चलें तो इस देश को आगे बढ़ा सकेंगे।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। सुबह आपने देखा होगा कि सामान्य प्रशासन तथा अन्य अनुदानों के सम्बन्ध में एक सवाल उठाया था साहित्य वितरण के सम्बन्ध में। उस समय मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में कोई साहित्य नहीं होता है और न वह बंटा है। जहां तक मेरी स्मरण-शक्ति काम दे रही है उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि आज तक कभी नहीं बंटा और अभी अब मैंने पिजन्स होल में यह १९६९ का वार्षिक प्रतिवेदन--सामान्य प्रशासन को रखे हुए पाया। अब दोनों बातों में से कौन सही है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

मुख्य मंत्री जी ने इस सदन को गुमराह किया है। मेरा निवेदन है कि अब इस डिबेट को बन्द करा दें और इस सदन के सदस्यों को इस पुस्तिका को पढ़ने के लिये छूट दें और एक दिन की अवधि जो माननीय अध्यक्ष ने इसके लिये रखी थी उसको ध्यान में रख कर एक दिन के बाद इस अनुदान पर फिर सदन में बहस हो ताकि अन्य माननीय सदस्य भी इसमें हिस्सा ले सकें। इस पर आप व्यवस्था दें कि इसमें क्या होना चाहिये।

श्री चरणसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मेरी स्मरण-शक्ति यही कह रही थी कि सामान्य प्रशासन के सिल-सिले में कोई रिपोर्ट नहीं होती है और मुझ को मेरे एक साथी ने भी यही बतलाया था। अब अगर ये रिपोर्ट्स छपती रही हैं और ६९ में छपी है तो कल्पनाथ सिंह जी की बात सही है और मेरी बात गलत है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

"अगर छपती रही हैं" यह अब भी लगा हुआ है। उनकी सरकार है। उन्होंने बंटवाया है। इस प्रकार उन्होंने हाउस को गुमराह किया क्योंकि सामान्य प्रशासन के स्वयं वह मंत्री हैं।

इस पर मेरी बात कबूल होगी और कल इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जब माननीय मुख्य मंत्री ने बात मान ली है तो गुमराह करने का कोई सवाल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आज आप अध्ययन कर लें और जो लोग बोल रहे हैं उनको बोल लेने दीजिये।

*श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

मान्यवर, अधिष्ठाता जी, मैं हृदय से आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे पुलिस व सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, पिछले ढाई-तीन घंटे से मैं अपने माननीय मित्र, आचार्य जी का भाषण बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। मेरे मित्र आचार्य जी बहुत विद्वान और एक प्रतिभा-संपन्न सदस्य इस सदन के हैं और इसी सदन में कई वर्षों तक सरकारी बेन्चों के भी वरिष्ठ मंत्री के रूप में सुशोभित हुये हैं। इस ढाई घंटे में माननीय आचार्य जी ने जो भाषण दिया है उसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। उनके भाषण का एक अंग तो वह है कि सरकार या चौधरी चरण सिंह के मंत्रि-मंडल को क्या करना चाहिये। उदाहरण स्वरूप उन्होंने सुझाव दिया कि पूरे प्रदेश में मद्य-निषेध होना चाहिये।

दूसरी बात यह कही कि सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें अत्यन्त जागरुक होना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उनको सतर्क, जागरुक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने बहुत विस्तार में जाकर बहुत सारी बातें कहीं हैं। एक बात उन्होंने यह कही कि ६ वर्ष से हमीरपुर जिले का एक पुल नहीं बना। चौथी बात उन्होंने कही कि कानपुर के उद्योग-पतियों पर ३७ करोड़ रुपया बाकी है।

श्रीमन्, इसी तरह से शिक्षा के सम्बन्ध में भी उसके बुनियादी ढांचे को बदलने के लिये उन्होंने बहुत से सुझाव दिये। श्रीमन्, जब मैं माननीय आचार्य जी के भाषण को सुन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा था तो मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि माननीय आचार्य जी इस मंत्रि-मंडल के पूर्व ही नहीं बल्कि उससे भी पूर्व जब इस प्रदेश में माननीय पंत जी का मंत्रि-मंडल था, मंत्रि-परिषद् के सदस्य थे। उन्होंने समय-समय पर सरकारी बेंचों को सुशोभित किया है और महत्वपूर्ण स्थानों पर रह चुके हैं किन्तु मुझे आश्चर्य हुआ कि वे २०-२२ वर्षों तक मंत्रि-मंडल में रहे किन्तु चन्द्रभानु गुप्त, सम्पूर्णानन्द और माननीय पंत जी की नीतियों को क्यों कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। श्रीमन्, मुझे लगा कि कम से कम २०-२२ वर्ष इस सदन के सदस्य के रूप में निरर्थक ही चले गये। श्रीमन्, मुझे यह भी लगा कि आचार्य जी जो कुछ कह रहे थे वे सही कह रहे थे और उन नीतियों को कार्यान्वित होना चाहिये। पिछले २०-२२ वर्षों में कुछ नहीं किया यह एक बहुत बड़ा गुनाह इस प्रदेश की जनता के साथ किया गया और जनता उसे माफ नहीं कर सकती।

श्रीमन्, यह है क्या ? मंत्रि-मंडल से हटते ही आप उन नीतियों को प्रतिपादित करने के लिये उस नयी सरकार से कहते हैं जिसे आये हुए तीन महीने ही हुए हैं। उन नीतियों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये कहते हैं जो इनको करना चाहिये। अगर यह सही कह रहे हैं तो इनको करना चाहिये और अगर सही नहीं कह रहे हैं तो इस सदन में इस प्रकार के आक्षेप करना, इस तरह की बात करना उचित नहीं है। दूसरा हिस्सा था इस बात का कि चौधरी चरण सिंह ने मंत्रि-मंडल में आते ही कुछ ऐसे कार्य किये जो कि शोभनीय नहीं हैं। न्याय विभाग में हस्तक्षेप किया, आफिसरों के तबादले किये, आतंकित किया, भयभीत किया, वगैरह वगैरह।

श्रीमन्, मैं भी इस सदन का सदस्य पिछले वर्षों मे रहा हूं। कई सामान्य निर्वाचनों में मैं चुन कर आया और मैंने यह देखा कि यह खेदजनक बात है कि जितने भी मंत्रि-मंडल यहां पर बने, जितने भी मुख्य मंत्री यहां पर आये, जितने भी तबादले हुए, यह सही है कि राजनीतिक दबाव से हुए। मंत्रि-मंडल के सदस्यों की इच्छा के अनुरूप हुए, विधायकों की इच्छा के अनुरूप हुए, तो यह कोई नयी बात नहीं है। यह सही है कि न्याय विभाग में हस्तक्षेप किये गये, जो बात कि २० वर्ष से चली आ रही है। मैं जानता हूं कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त जब मुख्य मंत्री थे तो बलात्कार के मामले में एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट को कृपा करके बेदाग छोड़ दिया। एक नगरपालिका के अध्यक्ष, नोटिफाइड एरिया के अध्यक्ष को जो गबन के मामले में मुलजिम था, माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने छोड़ दिया और मुकदमा वापस करा लिया। क्यों ? मैं जानता हूं कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त उस स्पेशल मैजिस्ट्रेट की शक्ल भी नहीं जानते थे जो एक नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने के सिलसिले में जेलखाने में था, समथर नोटिफाइड एरिया के अध्यक्ष को, जिसके ऊपर गबन का मुकदमा चला था उसको उन्होंने देखा भी नहीं था लेकिन माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने उस सम्बन्ध में जो भी कार्य किया वह राजनीतिक दबाव के कारण किया। यह अब भी होता है या नहीं, मैं नहीं जानता लेकिन अगर यह अब भी होता है तो मैं माननीय आचार्य जी से कहना चाहता हूं कि एक लीक माननीय चन्द्रभानु गुप्त और उनके सहयोगी इतनी गहरी डाल गये हैं, इतनी जबरदस्त डाल गये हैं जिसको छोड़ कर बैलगाड़ी को दूसरे रास्ते के लिये लीक बनाने में समय लगेगा। जो लीक बन गयी है, जो परम्परायें कायम हो गयी हैं, जो कंवेंशन्स कायम हो गये हैं उनको चौधरी चरण सिंह जी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जितना उनके वश में है सुधारेंगे भी। कोशिश में, हो सकता है, कुछ गलती भी हो सकती है।

माननीय आचार्य जी ने पिपुल्स कोर्ट का भी जिक्र किया। मैं नहीं जानता कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने उसका नाम पिपुल्स कोर्ट रखा है। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि गांवों में इस प्रकार के फैसले कराना कोई नयी बात नहीं है। वीरेन्द्र वर्मा जी की बात मैं नहीं कहता लेकिन पंजाब के स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरो जब मुख्य मंत्री थे तो वे भी बिलकुल यही करते

[श्री कृष्णचन्द्र]

थे। जब जाते थे तो आफिसरों को अपने साथ ले जाते थे, फाइलें ले जाते थे और आफिसरों और जनता के सामने बीच में बैठ जाते थे। अधिकारियों के सामने ही जनता की सारी बातें सुन कर हर मामले का वहीं पर निबटारा कर देते थे। मैं तो समझता हूं कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा का यह कार्य निन्दनीय नहीं है। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने लोक से निकल कर जनता की समस्याओं को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाने का एक रास्ता तो निकाला।

एक सदस्य—

हल तो एक भी नहीं हुआ।

श्री कृष्णचन्द्र—

हल आपसे भी २२ सालों में नहीं हुआ था। अभी तो यह केवल ३ महीने की सरकार है। जिसका २२ सालों में कोई नतीजा नहीं निकला उसका ३ महीनों में क्या आप आशा करते हैं कि निकल आयेगा ?

जहां तक पुलिस प्राशासन की बात है, यह सच है कि हमारी स्टेट एक वेलफेअर स्टेट है, पुलिस स्टेट नहीं है इसलिये हमको पुलिस की जहनियत में परिवर्तन करना होगा। अगर पुलिस स्टेट होती तो हमको कुछ कहना नहीं था लेकिन हमें आज उसको वेलफेअर स्टेट के ढांचे में ढालना अवश्य होगा। लेकिन हमें दुःख है कि पुलिस के प्रशासन में परिवर्तन के चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। झांसी जिले में और विशेषकर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, डाकुओं का बड़ा भारी आतंक है। सार्वजनिक रूप से वहां चर्चा है कि एक ओर डाकुओं का आतंक है और दूसरी ओर पुलिस का आतंक है। दो पाटों के बीच में वहां की जनता पिसी जा रही है। यह सही है कि पुलिस और डाकू मेरे क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक हैं और यह भी सही है, चाहे माननीय चौधरी चरणसिंह को अभी तक यह मालूम न हो लेकिन माननीय गुप्त जी का मंत्रि-मंडल इस बात को भलीभांति जानता था कि पुलिस के आफीसर और डाकू मिले हुए हैं, दोनों की सांठ-गांठ है। डाकू लोग उनको बराबर रुपया देते हैं और पुलिस उनके लिये मुखबिरी का काम करती है। उनको पता चल जाता है कि किस समय छापा मारा जायगा। फिर अगर गांव वालों से पूछा जाता है कि तुम डाकुओं का पता बताओ तो वे कहते हैं कि हम नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस के ही अधिकारी डाकुओं के गिरोह के पास खबर पहुंचा देंगे। जब कि पुलिस को एक वेलफेयर स्टेट में जनता का रक्षक होना चाहिये, जनता के साथ उनका निकटतम सम्पर्क होना चाहिये, जनता को सहायता करने वाले यंत्र के रूप में उसको काम करना चाहिये लेकिन आज नहीं पिछले २२ सालों में, कम से कम मेरे क्षेत्र में पुलिस डाकुओं से मिल कर जनता के रास्ते में सदा कष्ट पहुंचाने और बढ़ाने वाली ही रही है।

मैंने पिछले वर्ष इसी सदन में कहा था कि मेहरबानी करके हमारे क्षेत्र से पी० ए० सी० जो डाकुओं को पकड़ने के लिये गयी हुई है उसको वापस बुला लीजिये और उसकी जगह हमारे क्षेत्र को ज्यादा सड़कें, ज्यादा सिंचाई, ज्यादा उद्योग धंधे दे दीजिये। उससे संभव है हम रचनात्मक उपायों द्वारा लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा करके उस अंधकारमय क्षेत्र में प्रकाश की किरण ले जाकर समाज विरोधी तत्वों का उन्मूलन कर सकें। उसके पीछे एक आधार था और वह यह कि पिछले २२ वर्षों म प्रति वर्ष १ करोड़ रुपया सालाना वहां पर खर्च किया जा रहा है डाकुओं के उन्मूलन के लिये और अब तो वहां एक नया रेंज ही खोल दिया गया है और एक नये डी० आई० जी० मुकर्रर करके भेज दिये गये हैं। जिस भावना से प्रेरित होकर ऐसा किया गया है वह एक बहुत अच्छी भावना है। लेकिन मैं एक हिस्टारिकल बैकग्राउन्ड आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या नतीजा निकला है २२ वर्षों में ? और अगर इन २२ वर्षों में पुलिस के ऊपर रुपया न खर्च करके वहां के लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया होता तो मैं यह कहने का दुस्साहस कर सकता हूं कि शायद परिणाम उसका अच्छा होता। इसलिये

१२००—७१ का आय—व्ययक म अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ११५३ ३—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन, अनुदान संख्या १५—पुलिस, अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

मैं माननीय चौधरी चरणसिंह जी से कहना चाहता हूं कि जहां पर आप पुलिस के जरिये से डाकुओं का उन्मूलन करना चाहते हैं वहां आप वहां की जनता के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने की कोशिश करें ।

मैं आपको इस सदन में धन्यवाद देता हूं इस अवसर पर कि आपने सड़कों के निर्माण के लिये इस बजट में जो अनुदान रखा है उसके प्रति वहां की जनता आपकी कृतज्ञ है । लेकिन यह भी दुःख की बात है कि जहां सार्वजनिक निर्माण कार्य का वहां प्रारम्भ होगा, वहां सिंचाई नगण्य है, उद्योग नगण्य है, शिक्षा नगण्य है । मैंने पिछले दिन इसी सदन में कहा था कि पिछली तीन योजनाओं में केवल १ परसेंट बुन्देलखंड पर खर्च किया गया है । यह वहां की जनता का उपहास है, वहां की जनता की आकांक्षाओं का उपहास है । इसीलिये अधीर हो कर, धैर्य को खो कर वहां के लोग कभी-कभी मांग करते हैं कि बुन्देलखंड का प्रान्त हमको अलग दे दीजिये, हमको अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार दे दीजिये, हम उत्तर प्रदेश से हटना चाहते हैं, यहां की सरकार हमारी भावनाओं और आकांक्षाओं को नहीं समझती है, हम कैनन फाडर की तरह नहीं रहना चाहते, हम एक कुली कबाड़ी की तरह नहीं रहना चाहते, हम दीन दुखी की तरह नहीं रहना चाहते, जहां पर अशिक्षा है, जहां पर अंधकार है, जहां पर सुरक्षा का अभाव है, उस प्रदेश के अंग बन कर हम नहीं रहना चाहते । इसलिये धैर्य और साहस खो कर उन्होंने अलगाव की मांग वक्त वक्त पर आपके सामने रखी है और इस समय मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अभी समय है जबकि आप उनकी भावनाओं का सम्मान, जिस तरह से आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की भावनाओं का किया है, जिस तरह से आपने हिमांचल की गोद में पले हुये लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है, कर सकते हैं । अगर समय निकल गया तो पृथकतावाद की भावना में मोमेन्टम आता जायेगा और एक समय वह आयेगा जब आप उस मांग को दबा नहीं सकेंगे ।

सामान्य प्रशासन की जहां तक बात है, मैंने पिछले दिनों में यह बात यहां पर कहीं थी कि ललितपुर का एक पृथक जिला बना दिया जाय । मैं यहां पर नहीं था लेकिन आज ही मेरे मित्र, माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने मुझे बतलाया, मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत, कि माल मंत्री महोदय ने पिछले दिनों में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि यह जिला नहीं बन सकता । मैं चाहता हूं कि यह बात गलत हो और माननीय मंत्री महोदय ने यह बात न कही हो क्योंकि माननीय माल मंत्री जी बुन्देलखंड के चप्पे-चप्पे से और एक-एक रग से वाकिफ हैं, वहां के निवासियों से वाकिफ हैं, वहां की सार्वजनिक भावनाओं से वाकिफ हैं, वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से वाकिफ हैं । इसलिये मुझे यह विश्वास नहीं हो सकता कि माननीय पंडित चतुर्भुज शर्मा ने नीति प्रतिपादित करते हुये यह बात कही हो कि नहीं, यह जिला नहीं बन सकता ।

श्री अधिष्ठाता—

ललितपुर जिला नहीं बनेगा यह माननीय मंत्रीजी का कहना है ।

श्री कृष्णचन्द्र—

तो मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्रीजी ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया है ऐसा उत्तर देनें में तो उनको सरकार को समझाने की कोशिश करनी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी उनके निकटतम सहयोगी और मित्र रहे हैं और बड़ी दोस्ती है दोनों में ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य माल मंत्री जी को समझा लें ।

श्री कृष्णचन्द्र—

मुझे उनको समझाने का हक नहीं है, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं। समझाने का उनको हक है। तो मैं यह कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, कि ललितपुर सबडिवीजन की बात कोई भावना का आधार नहीं है, इमोशन या सेंटीमेंट्स के आधार पर नहीं कहा गया बल्कि एक ठोस कारण है और वह यह है सबसे बड़ा कि झांसी जिला इतना विस्तृत है, इतना फैलाव है उसका कि ललितपुर सब–डिवीजन के सुदूर क्षेत्रों का, दूर दूर के गांवों का प्रशासन झांसी में बैठकर नहीं हो सकता।

सौभाग्य से राजस्व मंत्री जी भी विराजमान हैं। ललितपुर में ऐसे गांव हैं सैकड़ों की संख्या में न जहां आज तक कलक्टर गया, न सुपरिंटेंडेंट पुलिस गया, न डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस गया, न इस प्रशासन का उच्चतम अधिकारी ही गया और उसका नतीजा यह हो रहा है कि जबकि ४ तहसीलों में जोकि आधा हिस्सा है झांसी जिले का, प्रशासन सुगमता से और अपेक्षाकृत ठीक चल रहा है। समाज–विरोधी तत्व वहां सर नहीं उठा पाते हैं,अपेक्षाकृत संतोष है जनता में। जहां पर स्वच्छ प्रशासन है, दूसरी तरफ वहीं पर ललितपुर सब–डिवीजन में जहां कि साढ़े चार, ५ लाख आबादी रहती है, जोकि लम्बाई में ८० मील से लेकर सौ मील तक लम्बा है और १८६० तक जो कि अलग जिला था, उसमें इतनी डकैतियां, कत्ल और समाज–विरोधी कार्य होते हैं, उतने ४ तहसीलों में १० वर्षों में नहीं हो सकते हैं जितने कि एक वर्ष में वहां हो जाते हैं। और जितनी दरिद्रता और जितनी निर्धनता, अशिक्षा ललितपुर सब–डिवीजन के क्षेत्र में है उतनी मैं समझता हूं प्रदेश के किसी अंचल में नहीं है। इसलिये कि प्रशासन की सद्भावना रहते हुए भी, मंत्रि-मंडल जो आये हैं लगातार पंडित चतुर्भुज शर्मा विशेष रूप से उसके सदस्य रहे हैं और उनकी सद्भावना और सहानुभूति और आशीर्वाद के रहते हुए भी, वह बुन्देलखंड के सदस्य हैं, हम लोग इस बात का फख्र करते हैं और हम उनको आधुनिक बुंदेलखंड का निर्माता मानते हैं—लेकिन उनके रहते हुए भी, सरकार के वरिष्ठ पदों पर रहते हुए भी श्रीमन्, ललितपुर सब-डिवीजन इसलिए उपेक्षित रहा है क्योंकि प्रशासन वहां संभव ही नहीं है झांसी जिले से बैठ कर करना।

इसलिए, मैं आज इस बात को पुनः दोहराता हूं कि ललितपुर सब–डिवीजन को अविलम्ब जिला बनाने की कृपा करें। डाकुओं के उन्मूलन में वह करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी, यह तो बनिये की सरकार नहीं है। आपकी सरकार तो दूसरी है। यह बनिये की तरह आपने गणित लगाना कबसे सीख लिया? आप यदि बनिये की तरह दो दूनी चार और नौ में से दो निकल गये तो सात, इस प्रकार की गणित लगाना आरंभ करते हैं तो मुझे शक होता है कि कहीं चन्द्रभानु गुप्त की आत्मा अब भी तो मुख्य मंत्री के पद पर नहीं बैठी हुई है? यह मुझे संशय होता है। तो जहां लाखों आदमियों की आकांक्षाओं का सवाल है, लाखों आदमियों की इच्छाओं का सवाल है, लाखों आदमियों के जीवन-मरण का प्रश्न है, उत्थान और पतन का सवाल है उस वक्त विलंब न कीजिये। आप जाइए या अपने सहयोगी शर्मा जी को भेजिए, स्वयं जाइए और अगर ९९ फीसदी आदमी आपके सामने यह आग्रह न करें कि झांसी की सब-डिवीजन ललितपुर का जिला अलग बना दिया जाय तब आप मेरी मांग को ठुकरा दें। और अगर करीब करीब शत प्रतिशत आदमी आपसे अनुरोध करें, आपसे प्रार्थना करें कि उसे जिला बना दिया जाय, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि और कहना चाहता हूं उस जनता की ओरसे जिसके बलिदान का एक इतिहास है,उस जनता की ओर से जो निरक्षर है,जहां पर अन्धकार है, जिनके पास पहनने के लिये कपड़ा नहीं है, जहां औरतों के पास अपनी इज्जत बचाने के लिये कपड़ा नहीं है, जहां के आदमियों के पास सिर बचाने के लिये मकान नहीं है, जिनके न भोजन का कोई प्रबन्ध है, जहां पर ७० फीसदी आदमी एक वक्त खाकर जीवन निर्वाह करते हैं उनकी ओर से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं, अनुग्रह करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हमारी प्रार्थना को जल्दी से जल्दी स्वीकार करने की कृपा करें। अगर यह स्वीकार नहीं किया गया तो यह दुर्भाग्य की बात होगी उस क्षेत्र के रहने वालों के लिये और हमारे लिये।

श्रीमन्, तीसरी बात मद्य निषेध के संबंध में है। श्रीमन्, हमारा लक्ष्य होना चाहिये पूरे प्रदेश में मद्य निषेध लागू करने का, लेकिन श्रीमन्, केवल सरकारी डण्डे के जोर से, सरकारी कानून के बल पर पूरे प्रदेश में मद्य निषेध संभव नहीं है। इस वक्त चौथाई प्रदेश में मद्य निषेध कायम नहीं है। श्रीमन्, जब तक चेतना जागृत नहीं होगी इसमें सफलता नहीं मिल सकती है। श्रीमन्, शारदा ऐक्ट बना ४०, ५० वर्ष पहले, लेकिन उस वक्त तक सामाजिक चेतना जागृत नहीं हुई थी। श्रीमन् २-२, ३-३ वर्ष के लड़के लड़कियों की शादियां होने लगीं। आज जब सामाजिक चेतना हो रही है तब शारदा ऐक्ट को कोई जानता नहीं है और वयस्क लड़कों और लड़कियों की शादियां हो रही हैं। सरकार को चाहिये कि इस पर ध्यान दें और उसके अनुरूप चले।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के पास पुलिस विभाग है, सामान्य प्रशासन है और आबकारी भी है। श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा है कि मुख्य मंत्री के पास सामान्य प्रशासन और प्लानिंग होना चाहिये और पुलिस विभाग और आबकारी उनके पास से चला जाना चाहिये। उसकी वजह यह है कि आज वेलफेयर स्टेट और पुलिस का एक नया तालमेल मिला है। आज उसमें आमूल परिवर्तन करना है। यह कार्य किसी फुल टाइम मंत्री का है। जब माननीय पन्त जी मुख्य मंत्री थे उस समय लाल बहादुर जी होम मिनिस्टर थे। और उसके बाद जब संपूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे उस समय भी इसके अलग मंत्री थे। लेकिन उसके बाद से परम्परा यह पड़ी कि मुख्यमंत्री के पास होम रहे और फिर यह परम्परा जाती नहीं क्योंकि जो मख्य मंत्री होता है वह समझता है कि पुलिस का प्रशासन डण्डे का प्रशासन है और डण्डा उसके पास रहना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कैबिनेट का एक्सपेंसन हो रहा है प्लानिंग जरूर चीफ मिनिस्टर के पास रहना चाहिये जिससे सारी एक्टिविटीज का कोआर्डिनेशन हो सके। मान्यवर, देहातों में बहुत से कार्य हो रहे हैं प्लानिंग की तहत में जिनका तालमेल होना बहुत जरूरी है। उनमें आज जो ओवरलैपिंग हो रही है, वह नहीं होनी चाहिये। तो मुख्य मंत्री पुलिस विभाग तो दे दें किसी डण्डेबाज को और वह अपने पास प्लानिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ले लें जिससे तालमेल मिल सके और इस प्रदेश का कल्याण हो सके।

*श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

यह कहा गया ....

श्री अधिष्ठाता—

कितना समय हर सदस्य लेना चाहेंगे ?

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

मैं केवल १५ मिनट लूंगा। यह कहा गया कि यह यू० पी० की सरकार सोशलिटिस्क बजट पेश करेगी। बेटी इंदिरा की छत्रछाया में बनी हुई यह यू० पी० में बी० के० डी० और रूलिंग कांग्रेस पार्टी की जो कोलिशन सरकार है, यह कहा गया कि यह समाजवादी बजट पेश करेगी। इस समाजवादी बजट को आज थोड़ा एनालाइज किया जाय। हम देखते हैं कि यह बजट समाजवाद से बहुत दूर है। ब्रिटेन समाजवादी राष्ट्र नहीं है। एक इम्पीरियलिस्टिक नेशन है लेकिन इंगलैंड का सबसे कम तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी जैसे कि डाकिया, पोस्टमैन या पुलिस का एक सिपाही इंडियन करेंसी में चार सौ रुपया पाता है और वहां का सबसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शचीन्द्रनाथ बख्सी]

बड़ा जो सरकारी अफसर है उसे इनकम टैक्स काटकर जो तनख्वाह मिलती है वह साढ़े तीन हजार रुपया मासिक है यानी ६ गुना ।

हमारे यहां पुलिस का जो सबसे बड़ा अफसर है, इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, उनको जो तनख्वाह और एलाउन्स मिलता है वह तीन हजार के ऊपर है और इस लिहाज से पुलिस कांस्टेबिल की जो सबसे कम तनख्वाह होनी चाहये वह तीन सौ रुपया माहवार होनी चाहिये । मान्यवर, जो आपके यहां सिपाही ड्यूटी दे रहे हैं उनको बुलाकर पूछिए कि क्या उन्हें तीन सौ रुपया मिलता है या नहीं और समाजवाद का स्वांग यह हमारी सरकार करती है । सिपाही को जो यूनिफार्म सरकार देती है उसमें कमीज तीन साल में और जो साधारण पैंजामा है वह चार साल में मिलता है । इनको धुलाने के लिये कोई एलाउन्स नहीं मिलता है । यह सोशलिटिस्क सरकार का बजट है । हमारे यू० पी० में पुलिस आफिसर्स को घोड़ा रखने का कायदा है । एस० एस० पी० अगर घोड़ा रखता है तो उसको ५० रु० घोड़ा एलाउन्स मिलता है लेकिन दारोगा अगर रखता है तो उसको ३० रु० मिलता है जबकि दोनों को ५८ इंची घोड़ा रखने का नियम है । तो क्या एस० एस० पी० का घोड़ा ज्यादा खायगा और दारोगा का घोड़ा कम खायगा ?

पिछले २२ साल से यह जो प्रशासन चला आ रहा है, इसको कभी इक्जामिन नहीं किया गया, इसको देखा नहीं गया कि इसमें क्या खराबी है और क्या इसमें सुधार किया जाना चाहिये । हमने सिपाहियों से पूछा कि जो मुजरिम पकड़ कर हवालात में बन्द किये जाते हैं उनको खाने के लिये क्या दिया जाता है ? उसने कहा कि उनको ६ आने रोज दिये जाते हैं । आप इसकी छानबीन करके बताएं कि इसमें क्या हो सकता है । इस तरह से चल रहा है । बनारस जहां से मैं चुनकर आया हूं, चुनाव के बाद जब मैंने देखा तो मुझको इतनी ज्यादा धांधली मिली जो बताई नहीं जा सकती है । एक १७, १८ साल के नवयुवक को छूरा मारा गया । कुछ बदमाशों ने उसके पेट में छूरा मारा और वह बेहोश पड़ा था । उसको अस्पताल ले जाया गया । वह बनारस के सरकारी अस्पताल में बेहोश पड़ा था । उसके आपरेशन में दो तीन घंटे लगे । जब उसको एक मर्तबा जरा सा होश आया तो सर्जन ने उससे पूछा कि किसने उसको छुरा मारा । उसने बताया । उसकी चार्जसीट बनी । परन्तु कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ । छूरा मारने वालों ने उसके नौकर को पिस्तौल दिखाकर कहा कि मैं तुमको गोली मार दूंगा अगर तुम मुंह खोलोगे । वह भागकर हमारे पास आया । मैंने उससे कहा कि तुम लिखकर दो । उससे शिकायत लिखवाई । मैंने उसकी चार पांच कापी करवाई । मेडिकल सेक्रेटरी के पास भी उसको भेजा और वहां के एस० पी० के पास भी भेजा । एस०पी० ने लिखकर दिया कि वह एरेस्ट किया जाय और इसकी चिट्ठी मुझको भी दी । मैं इन्सपेक्टर के पास उसको ले गया । थाने के इन्सपेक्टर को भी एस० पी० ने फोन कर दिया था कि उसको एरेस्ट किया जाना चाहिये। इन्सपेक्टर ने कहा कि मैं तो एरेस्ट करने जाता नहीं हूं और कान्सटबिल जाते हैं । जब वह एरेस्ट नहीं हुआ तो इन्सपेक्टर ने कहा कि मैं जाऊंगा एरेस्ट करने के लिये । दूसरे दिन जाकर वह एरेस्ट हुआ । इन्हीं चीजों से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ गया है । हमारा बजट अनसोशलिस्टिक बजट है । बड़े पुलिस अधिकारी को ३,००० रु० से ऊपर मिलता है जब कि एक कान्सटेबिल को १०० रु० मिलता है । ऐसी हालत में १०–२० रुपये वह लेने के लिये मजबूर हो जाता है । बनारस में ईस्टर्न रेंज के जो डी० आई० जी० हैं वह बहुत बड़े जुआरी हैं । दिन रात शराब में पड़े रहते हैं और जुआ खेला करते हैं । बनारस के वह सबसे बड़े जुआरी हैं ।

श्री चरणसिंह—

इसके माने कि यह बात तय हो गई कि बनारस की पुलिस आतंकित नहीं है इस सरकार से ।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी––

एक बात और है जैसा कि मैं कह चुका हूं––बनारस में किसी थाने में, किसी जगह कोई गुंडा बदमाश जुआ खेलते पकड़ा जाता है, शराब बनाने में पकड़ा जाता है, [+++]

श्री चरण सिंह––

श्रीमन्, मैं आपत्ति करता हूं। माननीय मित्र ने व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं और उन लोगों के सिलसिले में किये हैं या उस महिला के सिलसिले में किये हैं जो कि स्वयं यहां आकर जवाब नहीं दे सकती और अपनी रक्षा नहीं कर सकती। मैं आपके जरिये यह सुझाव दूंगा कि यह अलफाज उनको वापस लेने चाहिये। हमको यहां शिष्ट बात करनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य, व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)––

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे माननीय सदस्य ने बिलकुल झूठ, बेबुनियाद, गलत और पार्टीबन्दी में ये आरोप किये हैं जिनकी कोई सच्चाई नहीं है, जिनमें कोई तथ्य नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप करना इनके ऐसे पुराने व्यक्ति के लिये शोभा नहीं देता। मेरे यहां आने-जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इनको कोई पूछता नहीं है। हमारे यहां देहात के और शहर के सैंकड़ों लोग आते हैं। मैं उनकी बात सुनता हूं, तकलीफ दूर करता हूं जहां मुनासिब होता है वहां और जहां मुनासिब नहीं होता वहां वह अपना भोग भोगें। तो इस तरह का आरोप अनुचित है और जिस दल से उनका संबंध है उस दल के लिये भी यह कोई शोभा की बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी––

मैं फैक्ट्स कह रहा हूं .....

श्री अधिष्ठाता––

लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी––

अब भविष्य में नहीं करूंगा।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)––

किसी महिला पर इस तरह के आरोप लगाना बिना सबूत दिये हुए, मैं समझती हूं बहुत गलत बात है।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)––

श्रीमन्, इस तरह से किसी महिला के बारे में चर्चा कर देना बहुत अनुचित है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लें।

नोट––[+++] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

श्रीमन्, उस हिस्से को इनके भाषण से निकाल दें जो अशिष्ट भाषा प्रयोग की है।

एक सदस्य—

उनको वापस लेने में क्या परेशानी है ?

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी—

यू० पी० में एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है.... ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या इनके शब्द कार्यवाही से निकाल दिये या क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य यह कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आक्षेप भविष्य में नहीं करूंगा। मुख्य मंत्री जी ने भी महसूस किया, त्रिपाठी जी ने भी महसूस किया, सदन ने भी महसूस किया। माननीय सदस्य ने कहा कि भविष्य में वह इस तरह की बात नहीं कहेंगे...।

एक सदस्य—

इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाय या इनको वापस लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

क्या वापस हो और क्या वापस न हो इस पर यदि आप गहराई म जायेंगे तो उससे किसी का हित नहीं होगा और न आप यह बात कहकर किसी का हित करेंगे। माननीय सदस्य ने स्वयं महसूस किया और कहा कि अब वह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे। इस सदन की यह परम्परा रही है कि यहां पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिये। वापस होने वाले शब्दों को बारीकी में सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने अनुचित कहा है। जो बात वह एक बार बता चुके हैं उसको शुरू से उठाना किसी के भी हित में नहीं होगा। उनके हित में भी नहीं होगा जिनके विषय में कहा गया है। अब वह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

उन शब्दों को आप कार्यवाही से निकाल सकते हैं। अधिष्ठाता के नाते आपका कर्तव्य हो जाता है कि उनको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप आपत्तिजनक शब्द मेरे पास लिखकर भेज दें तब मैं उन पर सोचूंगा कि उनको निकाला जाय या नहीं। (शोर)

यह किसी के भी हित की चीज नहीं है। कौन ऐसा शब्द है इस बारे में, कोई भी माननीय सदस्य मेरे पास लिखकर भेज दें कि वह कार्यवाही का अंग नहीं होना चाहिये तब मैं उस बारे में सोचूंगा। (शोर)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

एक बार जब आपने निर्णय दे दिया तो माननीय सदस्य इस प्रकार से खड़े हों और बार बार प्रेस करें कि उन शब्दों को वापस लिया जाय तो यह अच्छी बात नहीं होगी।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, जो शब्द माननीय सदस्य ने इस्तेमाल किये हैं उनमें व्यक्तिगत आक्षेप हैं। उनको आप प्रोसीडिंग्स से निकाल दें यह मेरा निवेदन है। उन शब्दों का सदन के सामने इस्तेमाल हुआ है तो उन शब्दों को आप कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था करदें।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

मैं इस बात की प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने जो आक्षेप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में किये जो इस माननीय सदन का सदस्य नहीं है, उन्होंने उनके बारे में यहां पर लांछन लगाये जो यहां सदन में उसका जवाब नहीं दे सकते।

श्रीमन्, आपने भी माना कि वह अनुचित चीज है और उस आक्षेप को भी आपने अनुचित माना। माननीय सदस्य से प्रार्थना की गई कि वह उसको वापस ले लें। अभी आपने दूसरी चीज कह दी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना अर्ज करना चाहता हूं, कि प्रोसीडिंग्स से वह चीज निकाल दी जाय जो यहां नहीं कहनी चाहिये थी और कही गई और आप भी उसको अनुचित समझते हैं। कार्यवाही का उतना अंश, जो कि एक व्यक्ति के बारे में कहा गया जो इस माननीय सदस्य के सदस्य नहीं हैं, वह कार्यवाही से निकाल देना चाहिये। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि अनुचित शब्दों को आप मेरे पास लिखकर भेज दें तो मैं उस पर गौर करूंगा लेकिन सदन के बाहर के लोगों का चर्चा इस सदन में होता रहा है। जो अनुचित शब्द, निकालने के योग्य आप समझते हैं उनको लिखकर मेरे पास भेज दें तो लिखित आने पर सोचा जायगा कि जो सदन में नहीं कहने चाहिये थे और उन्होंने कहे हैं तो उनको निकाल दिया जायगा।

(इस समय ३ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, फैसला दिया हो या न दिया हो लेकिन अब आप स्वयं आ गये हैं तो आपसे निवेदन है कि अभी आपके आने से पहले माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उन्होंने कुछ ऐसे आक्षेप एक महिला के बारे में, बनारस का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने यह-यह किया यह कि वहां दरबार लगाती हैं, पैसा रिश्वत का आता है और तमाम लाइनलगती है आदि आदि। यह शब्द जो उनके बारे में कहे गये वे अनुचित हैं। अभी जो अधिष्ठाता महोदय बैठे थे उन्होंने कहा था कि लिखकर दे दें, तो कार्यवाही की जायेगी तो हम लिखकर दे देंगे लकिन जो माननीय महिला के बारे में कहा गया है और जो यहां लिखा गया है वह सारे का सारा निकाल दिया जाय कार्यवाही से क्योंकि वे सारे ही शब्द अनुचित हैं। यह जो बातें मैंने बताई हैं वे सभी निकाल दी जाएं, मैं अधिष्ठाता जी की रूलिंग के अनुसार ही कह रहा हूं, उनके अनुसार भी वे अनुचित शब्द हैं, आपने कोई आज्ञा दे दी तो वह बेमाने हो जायगा, वह प्रेस में चला जायगा और सदन की कार्यवाही का अंश बन जायगा।

श्री अध्यक्ष —

उन्होंने क्या यह रूलिंग दी कि वह शब्द वह वापस लें लें, उन्होंने यह रूलिंग दी कि जिन सदस्य ने ....

कई सदस्य एक साथ—

यह रूलिंग नहीं दी ।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, आपके आने से पहले जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ शब्द एक महिला के बारे में कहे थे और उन पर जब आपत्ति हुई तो आपके आसन पर जो अधिष्ठाता जी बैठे थे वह आपत्ति होने पर अपना निर्णय दे चुके हैं । तो क्या उस निर्णय के बाद यहां आसन पर दूसरे अध्यक्ष आकर कोई दूसरा निर्णय दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी बात सुन ली, इस संबंध में मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई रिव्यू नहीं कर सकता, जो उपाध्यक्ष जी या अधिष्ठाता यहां बैठते हैं उनका जो फैसला है उसकी मैं कोई रिव्यू नहीं करता, उसका सवाल नहीं है । मैं तो पूछ रहा था कि उन्होंने किस तरह की रूलिंग दी और उसका परिणाम यह होता है कि जो शब्द असंसदीय हैं वे निकाल दिये जाएं, ऐसा अगर मैं देखूंगा प्रोसीडिंस में और उनकी रूलिंग के हिसाब से वह निकल सकते हैं तो मैं उनको हटा दूंगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यही रूलिंग थी उनकी कि जो अनुचित शब्द होंगे वे निकाल दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं देख लूंगा ।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में पिछले अक्तूबर में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई और उसका रिक्वायरमेंट पेपर में निकला.....

श्री अध्यक्ष—

यह ४ बजे कार्यक्रम जो कार्यस्थगन प्रस्ताव व नियम ५१ वगैरा का होता है वह ५ बजे लिया जायगा, ५ बजे तक इसी तरह बजट पर बहस चलेगी, जब तक बजट के अनुदान चलेंगे यही तरीका रहेगा । ५ बजे तक बहस अनुदानों पर चलेगी ।

श्री कल्पनाथसिंह—

यह नियमों में है ?

श्री अध्यक्ष—

बजट के बारे में दिया हुआ है. नियम १८८ में दिया है कि उपनियम (१) के अन्तर्गत नियत दिनों में प्रश्नों के अतिरिक्त अध्यक्ष की सम्मति के बिना अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायगा । तो यह स्पष्ट इसमें दिया है कि प्रश्नों के अलावा और कोई काम बीच में नहीं आयेगा । बीच में जो दूसरी चीज आ जाती है या खण्ड पड़ जाता है तो बहस जो चलती होती है उसकी महत्ता घट जाती है । इसलिय मैंने तय किया है कि इनको मैं ५ बजे ले लूंगा । इसलिये आप बजट पर वाद विवाद जारी रखें ।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, जो आपने नियम के उद्धरण का जिक्र पढ़कर सुनाया है सिर्फ इतनी बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह देखलें कहीं उस क्लाज में नहीं लिखा हुआ है । इस नियम के अन्तर्गत

है कि दूसरे नियम उस पर लागू नहीं होंगे । आपकी साधारण व्यवस्था है कि आप नियम ५१, ५२ स्वीकर करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इन्हें आखिर में लूंगा ।

श्री कल्पनार्थासिह---

आपकी जो व्यवस्था चली आ रही है सापेक्ष अग्रता रखते हैं । ऐसे नियम के अन्तर्गत इसमें यह है कि आपकी घोषणा के बाद नियम ५१ और ५२ की सूचनाएं आती हैं । जो अन्य कार्य हैं, ५ बजे के एक घंटे पूर्व लेने होंगे ।

श्री अध्यक्ष---

यह बात जरूरी नहीं है । आखिर में वे आ जावेंगे ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

श्रीमन्, आपकी कुर्सी पर जो अधिष्ठाता महोदय बैठे थे उन्होंने माननीय सदस्य को १५ मिनट में से १३ मिनट बोलने को दे दिये हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, ५ बजे तक तो बहस होगी । अगर स्थगन प्रस्ताव आ जाता है तो फिर आप उसको कैसे लेंगे ? उसको कैसे कार्यान्वित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यदि हम स्वीकार करेंगे तो २ घंटे बाद में बैठेंगे ।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी---

श्रीमन्, यह जो परीक्षा हुई, कम्पीटिशन हुआ, इसमें एक असिस्टेंट टेक्नीकल रीजनल इन्सपेक्टर ए० आर० आई०, फर्स्ट स्टैंड करते थे । यह हाई कोर्ट की रिट पेटिशन के कारण विदहोल्ड किया गया । रिजल्ट निकला श्री प्रताप कुमार खत्री फर्स्ट आए लेकिन डिपार्टमेंट ने एक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को जो श्री खत्री से ३ साल जूनियर भी था आर० आई० के पद पर प्रोमोशन कर दिया । एक एम० एस० वर्मा जो मेरिट लिस्ट में चौथी पोजीशन पर थे देहरादून में टी० आई० बना दिया गया । ऐसे सिमिलर केसेज न जाने कितने किये गये । इसके बारे में डिपार्टमेंट ने, यह कहा जाता है २–२ हजार रुपया घूस के रूप में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने लिया । आज तो यह भी रियूमर है और कहा जाता है कि हर महीने यह इन्सपेक्टर सुपरसीड करके या पब्लिक सर्विस कमीशन क रिजल्ट या मेरिट लिस्ट की कोई परवाह नहीं करते । इसमें यह इन्सपेक्टर हर बार एक-एक हजार रुपया लेते हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय---

यह कब की बात है ?

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी---

यह मार्च, २८ को रिजल्ट निकला है । अभी हाल का है । यह १९६९ में इम्तहान हुआ । हाई कोर्ट की रिट पेटीशन से इसका रिजल्ट विदहोल्ड हुआ था और तब से इसमें

[श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी]

पुराने इल्लीगल अपाइन्टमेंट्स चल रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में पुलिस के प्रशासन की क्या खराब हालत है। बनारस के मेम्बर की छत्रछाया में क्या हालत हो रही है। और यह सब हालात देखकर मालूम ऐसा पड़ता है कि क्या हालत है यहां की। मुझे एक बात याद आ गई कि एक जर्मन प्रोफेसर मानते नहीं रहे कि भगवान् हैं ही। बुढ़ापे में वे हिन्दुस्तान आए और दो महीने रहकर कह गये कि भगवान् हैं। अगर नहीं होता तो यह हिन्दुस्तान कैसे चलता। इसके अलावा दिल्ली में दुनिया का मशहूर गोल्ड स्मगलर डेनियल वालकाल्ट आया। पकड़े जाने के बाद भी वह हवाई जहाज से लौटकर गया है तो क्या कहा जाय यहां के प्रशासन को ? सोशलिज्म की बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं। मैं तो कहता हूं कि ४६–४७ में जहां पर सोशलिज्म था आज वहां से वह साठ-सत्तर साल पीछे चला गया है। सोशलिज्म हैज डेफिनेटली फेल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*श्री चन्द्रभान शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आज आदरणीय लक्ष्मीरमण आचार्य की अढ़ाई घंटे की वक्तृता को बड़े ध्यान से सुनता रहा। उन्होंने जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के बारे में और मिनिस्ट्री के इतने बड़े एक्सपेंशन के बारे में, लैप्स आफ ग्रांट के बारे में और हुकूमत की पालिसी के बारे में जो कुछ कहा है उस पर मैं सिर्फ यही कह सकता हूं एक देहाती मिसाल के मुताबिक—कि अपनी आंख का शहतीर किसी को दिखाई नहीं देता। दूसरे की आंख का बाल भी दिखाई देता है। अगर आचार्य जी होते तो मैं आपके माध्यम से पूछता कि आचार्य जी, जिस बेतकल्लुफी और खूबसूरती के साथ आज आपने बातें कहीं तो आज से तीन महीने पहले आप पर कौन सी पाबन्दी थी जिसके सिलसिले में आप खामोश रहे और अपनी आत्मा का हनन करते रहे। उन्होंने जिस अन्दाज में पेश किया है अगर मैं मुफस्सिल तौर पर जवाब दूं तो पूरा एक घंटा चाहिये जवाब देने के लिये। मैं उनको और दूसरे माननीय सदस्यों को बतौर-निजात एक मिसरा पेश कर रहा हूं और दोस्त, कृष्णानन्द राय और जायसवाल जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस मिसरे को आचार्य जी तक पहुंचा दें और दूसरे सदस्यों से भी कह दें कि इस मिसरे को हाथ में रखकर भाषण दिया करें।

"इतना न बढ़ा पाक यह दामान ये हिकाया।
दामन को देख जरा बन के हिला दे।"

अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसके साथ-साथ जवाब देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

इसकी हिंदी कर दीजिए।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आप अपनी स्वच्छता और अपने पल्ले की सफाई की दास्तान को इतना मत गिराइए। आप अपने दामन के धब्बों को देखिए और जो हवा है उसको देखिए।

इसी सिलसिले में मुझे एक बात कहनी है कि शराब के ऊपर उन्होंने लम्बा कटाक्ष किया है। मान्यवर, पहला मौका है इस मिनिस्ट्री ने शराब के बारे में यह पालिसी अख्तियार की है कि वह लाइसेंस ईशू नहीं करेगी। इसकी वजह से प्रदेश में शराब की बुरी आदत कम होगी। शराब के बारे में पालिसी बनाते हुए उन्होंने तय किया है कि पहाड़ी एरिया में इसे खत्म किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगा और यहां तक प्राविजन किया है कि अगर १ गांव के एक चौथाई आदमी इस बात की प्रार्थना करेंगे कि वह शराब बन्दी चाहते हैं तो उस गांव की शराब का ठेका कैंसिल कर दिया जायगा। क्या अपनी मिनिस्ट्री का वह कोई सबूत दे सकते हैं जिसमें उन्होंने ऐसा कोई मजबूत कदम उठाया हो ?

दूसरी बात यह कही गयी कि जरायम बढ़ रहे हैं। जरायम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि तमाम दुनिया में जरायम की टेंडेंसी बढ़ रही है। इसको रोकने के लिये पुलिस फोर्स बढ़ाई जाती है, थाने बढ़ाए जाते हैं। चुनांचे हमारी मौजूदा मिनिस्ट्री ने जो पुलिस कमीशन में रिपोर्ट दी है उसे लागू करने की कोशिश की है। क्या यह काबिले तारीफ कदम नहीं है ? उनको सोचना चाहिये, क्या इससे पहले उन्होंने कभी कोशिश की इस बात की ?

तीसरे आप विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट को ही लें। पिछले दो-तीन महीनों में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जितने केसेज को चलाने के लिये रिपोर्ट की है उन सबको टेक अप कर लिया गया लेकिन इससे पहले विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट्स का हश्र आप देखें कि पार्टीबाजी के आधार पर, मिनिस्टरों की शह पर वे केसेज हमेशा दबा दिये गये लेकिन आज विजिलेंस कमीशन ने जितने मुकदमे कायम किये उन सब पर अमलदरामद किया जा रहा है ? क्या यह कदम काबिले तारीफ नहीं है ?

चौथी बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि स्वच्छ प्रशासन पर उधर से बड़ा व्यंग कसा जाता है, बड़े आरोप लगाये जाते हैं। क्या आज कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि एक शख्स की शख्सियत की वजह से कम से कम जो सर्विसेज में तानाशाही थी वह खत्म हो गई है ? उन सर्विसेज को आज, जो पहले मिनिस्ट्री तथा सरकार को कठपुतली की तरह नचाया करते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक आर्डर्स करा लिया करते थे, भय है कि अगर उन्होंने लोगों को गुमराह करके कोई गलत कदम उठाया और मिनिस्ट्री की नोटिस में वह चीज आई तो उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आज वह सर्विसेज के लोग जो पिछले चार-पांच साल से लोगों के हुकूक पामाल कर रहे थे, नाजायज तौर से निजी फायदे उठा रहे थे, भयतीत नहीं है ? और क्या आज उनको यह चेंज खल नहीं रहा है ? आज जब वह करप्शन दूर किया जा रहा है और करप्ट आदमियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है तो अपोजीशन के कुछ मखसूस लोगों के द्वारा उसे दबाने की बात कही जाती है।

आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि हालात को वह देखें और स्वयं इस बात पर विचार करें कि अगर यह सरकार कोई मजबूत कदम उठाती है तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये अथवा उसे निरुत्साह किया जाना चाहिये ? आपके सामने गुण्डा ऐक्ट की बात आई। इसके पहले भी यह ऐक्ट अनडिजायरेबिल एलिमेंट्स पर लागू होता था और अब उसे पुनः एनफोर्स किया जा रहा है। मैं यह प्रार्थना अवश्य करूंगा कि इस ऐक्ट का नाजायज फायदा न उठाया जाय क्योंकि यह ऐक्ट दुतरफा हथियार है, दूसरी तरफ से इसको इस्तेमाल न किया जाय पोलिटिकल एडवांटेज को उठाने के लिये। लिहाजा इसमें अहतियात बरती जाय। इसको लाने की जरूरत इस वजह से थी कि आज देश व प्रदेश के अन्दर ला लेसनेस बढ़ रही है। आप से हर एक इस बात का रोना रोता है कि कोई कंट्रोल नहीं रहा, सामान्य परिस्थिति नहीं रही, लोगों की जिन्दगी को खतरा बढ़ता जा रहा है, डकैती व चोरी बढ़ रही है, प्रशासन के अन्दर ढिलाई की एक आम शिकायत होती जा रही थी। इन तमाम चीजों को दूर करने के लिये इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था कि पुलिस को अधिक विजिलेंट किया जाय, ऐसे आदमी उसमें लिये जाएं जो जिम्मेदारी से काम करें।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

तबादलों का भी बड़ा जिक्र किया गया। पहले जरा अपने दामन में मुंह डाल कर देखें कि प्रशासन में तबादलों की प्रथा किसने डाली ? यह कहना कि यह जनहित में नहीं है, इसकी प्रथा किसने डाली ? आप लोगों ने एक साल पहले कितने तबादले किये थे ? अगर किसी सिपाही ने उनकी मर्जी के खिलाफ काम किया तो मुजफ्फरनगर से बलिया घाट उतार दिया। अगर किसी हवलदार के बारे में बेजा शिकायत हो गई तो उसकी गर्दन नाप दिया। हजारों लाखों की तादाद में पिछले मुख्य मंत्री के जमाने में तबादले की तलवार लोगों की गर्दनों पर चलानी शुरू कर दी थी। जिन लोगों ने पिछले सालों में ढिलाई की है उनको अहसास न हो कि चेंज होने के बाद कोई कदम उठाया गया तो क्या फायदा हो सकता है ? जो ईमानदार आदमी पोलिटिकल मसलहतों की वजह से दबे पड़े थे, उनको उभार का मौका मिल और उनको यह अहसास हो कि अगर उन्होंने भी कोताही की तो उनकी भी जांच हो सकती है।

यह जरूरी है कि हर मुहकमे में हर आदमी का तीन महीने में रेकार्ड देखा जाय। इन हालात में पुलिस मंत्री या जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज अपनी मांगों को रखते हैं तो जितनी मांगे रखी गई हैं, जितनी धनराशि मांगी गई है वह थोड़ी है। आपका निजाम पुराने अन्दाज पर चल रहा है। एक थाने के अन्दर दस सिपाही और दो हेड कांस्टेबिल रखे गये हैं। आज कितनी ही डकैतियां, चोरियां, और स्मगलिंग की वारदातें होती हैं। लेकिन पुलिस की वही तादाद है। एक या दो सब इन्सपेक्टर, जब कि जरूरत है पांच की। गांजा, सुल्फा बेचने वालों की तादाद बढ़ गई है, नाजायज शराब बनाने वालों की तादाद बढ़ गई है। तो पुराने पैमाने से कैसे काम चल सकेगा। इसलिये जरूरी है कि तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिये वह इस बात में हिचकिचाहट न महसूस करें, अगर और ज्यादा धनराशि की जरूरत समझी जाय तो हम ताईद करेंगे, और मैं अपोजीशन से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि जो इल्जामात की तादाद वह सदन के सामने पेश कर रहे हैं, जो आंकड़े वह पेश कर रहे हैं, और जो अव्यवस्था वह बता रहे हैं उसके लिये क्या यह जरूरी नहीं है कि जो बजट हमने मांगा है वह दिया जाय ? बल्कि इसके अलावा और बजट दिया जाय ? इन शब्दों के साथ मैं इस बजट की ताईद करता हूं और सिफारिश करता हूं कि यह हाउस इन तमाम मांगों को मंजूर कर ले।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो यह अनुदान पश हुआ है उसके विरोध में और कटौती के समर्थन में मुझे यह निवेदन करना है कि बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पूर्व वक्त जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, चाहे वे सरकार के पक्ष के लोग हों या विरोधी पक्ष के, सबने माना है कि कमियां और बुराइयां हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कह दिया करते हैं कि पहली सरकार ने इसको नहीं किया इस नाते अगर यह सरकार न करे तो दोषी नहीं है। यह कोई उचित उत्तर नहीं है। जो चीज २२ साल में पूरी नहीं हुई तो २२ साल में पूरा होने का अभी समय नहीं आया है ? जब देश आजाद नहीं हुआ था तो गांधी जी ने कहा कि नशाबन्दी होनी चाहिये। लेकिन सोचें २२ साल के बाद भी बड़े दुख की बात है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि नशाखोरी नहीं बन्द की गई तो हमारा देश व प्रदेश रसातल में चला जायगा। आप चाहे जितना सोचें, चाहे जितनी तरक्की की बात सोचें, लेकिन जब तक नशाबन्दी की भावना नहीं होगी, निचले तह की भावना नहीं होगी, बुनियादी बात ठीक नहीं होगी, उसको मजबूत करने की बात नहीं सोचेंग तो प्रदेश बहुत नीचे चला जायगा। श्रीमन्, यह हर आदमी जानता है कि नशे से आदमी पागल हो जाता है, हर कोई जानता है कि शराब की दुकानों में पानी और स्प्रिट मिलाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों को पिलाई जाती है, जिससे लोगों का शरीर रोगी और जर्जर हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नशे के जो दुष्प्रभाव है उनको,हम लोगों को मानना चाहिये और समझना चाहिये। सरकार को चाहिये कि इस तरह का कानून बनाये, जिससे बुराइयों का उन्मूलन हो जाय। सरकार यदि ऐसा न करें और यह बहाना करे और कहे कि जहां पर बन्द हो गया है, वहां पर लोग चोरी से पी रहे हैं, तो दूसरी जगह बन्द करने का क्या लाभ है, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा गलत बात क्या हो सकती है ? जिस चीज को सरकार खत्म करना चाहती है और उसमें उसे कामयाबी नहीं होती है तो वह सरकार निकम्मी है, और राज्य करने के काबिल नहीं है—चाहे वह पुरानी सरकार हो, चाहे नई हो और चाहे भविष्य में जाकर बने।

अब श्रीमन्, आपके सामान्य प्रशासन की जो बात है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं, उसके संबंध में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि जनता को आशा थी कि चौधरी साहब मुख्य मंत्री होंगे तो मामला सुधरेगा, लेकिन एक रत्ती भी कोई मामला सुधरा नहीं है। मैं राजनीति में बचपन से ही दिलचस्पी लेता रहा हूं, यद्यपि यहां पर इस बार प्रथम बार ही चुन कर आया हूं। मैं और प्रदेश की जनता आशा करती थी कि पुलिस चौधरी साहब से डरेगी, लेकिन आज उसके विपरीत पुलिस वाले इनकी बड़ी खिल्ली उड़ा रहे ह—यह ईमानदारी की बात है। पहले जो सरकार थी, उससे इस सरकार को कहने का हक नहीं है कि हमने बड़ा सुधार ला दिया। या कोई कह दे कि थोड़े दिन में हम कैसे सुधार सकते हैं, यह जवाब ठीक नहीं है।

आजमगढ़ की पुलिस ज्यादती का उदाहरण हमारे सामने है। वहां की पुलिस के संबंध में जिले के १४ विधायकों में से अधिकांश विधायकों ने, हरिजन लोगों ने, इंडीकेटी लोगों ने, कम्युनिस्ट, संसोपा और जनसंघ के विधायकों ने आजमगढ़ के पुलिस—भ्रष्टाचार, पुलिस कप्तान के भ्रष्टाचार के बारे में मुख्य मंत्री महोदय से जाकर स्वयं कहा, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ, चोरी और डकैतियां बढ़ी हैं।

जितने दिन इस सरकार ने शासन किया है, उतने ही दिन गुप्ता जी के शासन के ले लिये जाएं, और फिर दोनों की तुलना की जाय और देखा जाय कि डकैती और कत्ल बढ़े हैं या घटे हैं। श्रीमन्, मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता।

श्रीमन्, अधिकारियों के रिश्वत की यह हालत है कि वह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। यदि कोई यह कहे कि साल भर पहले जो रिश्वतखोरी कम थी, वह इस वक्त और बढ़ी है, तो मैं इसको बिलकुल सही मानता हूं। लेकिन यदि यह कह दे कि गुप्ता जी के जमाने में रिश्वत ज्यादा थी और इस सरकार के जमाने में कम है तो हम समझते हैं कि कुशल प्रशासन चल रहा है। लेकिन यह मानना पड़ेगा और मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय की ईमानदारी पर शक न करके, उनकी नीयत पर शक न करके इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हाय रे मुख्य मंत्री महोदय, जिनकी जवानी का हम इन्तजार करते थे उनको बुढ़ापा आ गया है।

अदालतों में इस प्रकार भ्रष्टाचार फैला है कि कोई मैजिस्ट्रेट बिना रिश्वत के कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन मुकदमों का फैसला ६ महीने में हो जाना चाहिये वे मुकदमे ५–५ साल से पड़े हुये हैं। ये मुकदमें के मामले तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक रिश्वत का मामला ठीक न हो जाय। आप पुलिस की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि एक चौकीदार जिसकी तनख्वाह बहुत कम होती है उसे आपने ८ या १० रुपया बढ़ा दिया है। छोटा कर्मचारी जो तगरीब हैं, मेहनती है, थानेदार की गाली सुनता है, हफ्ते में एक बार थाने में जाता है, बहुत परेशान रहता है, उसकी तनख्वाह १० रुपये बढ़ा देने से क्या काम चल सकता है ? जो बड़ी-

[श्री भाभी]

बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, बड़े--बड़े अफसर हैं जिनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है उनकी खबर यह सरकार शीघ्र लेती है। इस से कहीं कुशल प्रशासन चल सकता है? जब तक आप गरीब जनता को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे तब तक आप स्वच्छ और कुशल प्रशासन नहीं ला सकते हैं। श्रीमन्, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्या चौकीदार पुलिस विभाग में नहीं आता है, वह पुलिस का आदमी नहीं है जोकि सारे मामले को बताता है? मैं कहता हूं कि अगर अफसर रिश्वत लेना बन्द कर दें तो जो ये छोटे कर्मचारी हैं वे भी बिलकुल रिश्वत नहीं लेंगे। जब बड़े आदमी ही रिश्वत लेते हैं तो छोटे आदमी भी उसकी देखा-देखी रिश्वत लेते हैं।

श्रीमन्, यह कोई नयी बात नहीं है। विधान सभा में हम सब लोग बैठे हैं। ईमानदारी तो हर आदमी जानता है। मैं विरोधी दल में बैठा हूं, चौधरी साहब ईमानदारी की बात कहें, मैं उसका स्वागत करने के लिये तैयार हूं। मैं चौधरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि ईमानदारी की बुनियाद डालिये और एकदम ईमानदारी की बुनियाद डालिये। आज २२ साल हो गये हैं और मैंने देखा है चौधरी साहब सरकार में रहे, इधर के बैठने वाले भी सरकार में रहें किन्तु सब की नियत को अब बदलना पड़ेगा। तो श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है, ज्यादा समय भी मैं सदन का नहीं लेना चाहता हूं। आज कोई माननीय सदस्य चाहे वह सरकारी पक्ष में बैठा हो, चाहे विरोधी पक्ष में बैठा हो, सभी को ईमानदारी की बात पर लड़ना है। इस सदन में विधान परिषद् का मामला आया और मैं सोच रहा था कि मामला सुधरेगा। मैं साफ तौर से सदन को बता देना चाहता हूं कि ईमानदारी की बात आपको रखनी पड़ेगी और इसका सभी लोगों को समर्थन करना पड़ेगा। जो नीतियों को भुला देते हैं उनको देखना पड़ेगा। श्रीमन्, मुझे अधिक नहीं कहना है। मैं तो बार-बार आपकी आज्ञा का पालन करता रहा हूं। जो कटौती के प्रस्ताव उपस्थित किये गये हैं उनके समर्थन के लिये मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे कई चीजों की चर्चा करनी है। मैं पहले राज्य आबकारी के सम्बन्ध में कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। प्रदेश में इस समय २५ करोड़ रुपये की वार्षिक आय राज्य आबकारी से हो रही है। टेकचन्द कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया है कि अगर कोई आदमी ५ रुपये की शराब लेता है तो उसमें से एक रुपया शासन को मिलता है। जब २५ करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को शराब से मिलता है तो १२५ करोड़ रुपये की शराब जनता पीती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शराब पीने से बहुत से दोष उत्पन्न होते हैं। हमारे मंत्री लोग जो वहां बैठे हैं वे लोग भी इस बात को जानते हैं। समाज-कल्याण मंत्री भी चाहती हैं कि शराब पीने से जो दोष उत्पन्न हुए हैं उनको दूर करने के लिये उनके बजट में रुपये बढ़ाये जायं। माननीय पुलिस मंत्री भी चाहते हैं कि अपराधों की संख्या जो बढ़ गयी है, लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया है, और अपराधों की रोकथाम के लिये उनके बजट में रुपया बढ़ाया जाय। माननीय शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं कि शराब पीने वाले लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते इसलिये उनको शिक्षा देने के लिये उनके कोष को बढ़ाया जाय। हरिजन कल्याण मंत्री भी चाहते हैं कि उनके बजट में रुपया बढ़ाया जाय। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी चाहते हैं कि शराब पीने वाले लोगों के बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं इसलिये उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये बजट में रुपया बढ़ाया जाय। इसके अलावा न्याय मंत्री भी चाहते हैं कि शराब पीने वालों का मस्तिष्क दूषित हो जाता है जिससे वे सही तौर पर सोच नहीं पाते और अपराध करते हैं इसलिये अपराध को कम करने के लिये उनके बजट में रुपया बढ़ाया जाय।

राज्य सरकार का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होता कि २५ करोड़ रुपये की आमदनी की जाय और उससे समाज कल्याण की योजना चलायी जाय। मान्यवर, २५ करोड़ रुपये की

जो आमदनी होती है तो मैं आपको बतला दूं कि जनता १२५ करोड़ रुपये की शराब पीती है जिससे शराब पीने वालों में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। उन दोषों को दूर करना भी जनकल्याणकारी सरकार का कर्त्तव्य है। यदि १२५ करोड़ रुपये की शराब जनता पीती है तो इसके माने यह हुये कि उसके दस गुना यानी १,२५० करोड़ रुपया खर्च करने से भी वे दोष दूर नहीं होंगे जो उनके अन्दर उत्पन्न हो गये हैं। मनु और याज्ञवल्क्य ने नशीले पेय बनाने वालों और पीने वालों के लिये बड़े दंड घोषित किये थे। "मद्य बनाने वाले और पीने वाले के माथे को गर्म लोहे से दाग देने तथा उनके परिवारों के बहिष्कार करने का विधान था। उनको भोजन न दें, उनकी पुरोहिती न करें, उनके साथ कन्यादान आदि सम्बन्ध न करें, वे धर्मों से बहिष्कृत हो कर सारे संसार में मारे-मारे फिरें। इन महापापियों को बन्धुवर्ग, स्वजन, परिजन सभी लोग त्याग दें। इन पर दया न करें और न इनको नमस्कार ही करें"।

मान्यवर, महात्मा गांधी ने भी कहा था––"अगर मुझे घंटे भर के लिये भारत का तानाशाह बना दिया जाय तो मैं सब से पहले तमाम शराबखाने बिना मुआविजा दिये बन्द करा दूंगा।" वे यह भी कहते थे कि शराब की दूकानें खुली हों और उनसे कहा जाय कि शराब न पियो तो यह वैसे ही है जैसे मिठाई की दूकान पर किसी बीमार बालक से कहा जाय कि मिठाई नहीं खाना चाहिये, इससे तो उसका मन ललचायेगा।

महात्मा बुद्ध ने तो कहा था कि जिस राजा के राज्य में सुरा देवी आदर प्राप्त करेंगी, वह राज्य कालवेदी पर नष्ट होगा। वहां न औषधि उपजेगी न अनाज होगा और महात्मा गांधी ने कहा था––मैं तो शराबखोरी को चोरी और शायद वेश्यावृत्ति से भी अधिक निन्दनीय मानता हूं। मैं इस सरकार को दोष नहीं देता हूं। उन्होंने तो इस वर्ष इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा, तीन जिलों में उसको बन्द किया है और मेरा खयाल है कि १ जुलाई से नशाबन्दी वहां हो जायगी। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा।

मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि इस अर्थ शास्त्र को भी देखें जो मैं बता रहा हूं। हमारे देश भर के नशाबन्दी कराने वाले लोगों का एक प्रतिनिधि-मंडल माननीय चौधरी साहब से मिला था जब वे एस० वी० डी० में थे। मैं भी एक सदस्य के रूप में उस प्रतिनिधि-मंडल में था। चौधरी साहब ने उस समय कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन बाद को कहा गया कि यह हमारी एक आमदनी का जरिया है, इसको यकायक छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा विचार है कि इसको यकायक छोड़ भी दिया जाय तो केन्द्रीय सरकार हमें ५० प्रतिशत उस हानि का देगी जो हमको होगी, ५ सालों तक। यदि हम उसको बन्द कर दें तो १२ करोड़ रुपये की हमें हानि होगी। लेकिन उसके बन्द कर देने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ जायगी। लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊंचा होगा तो उनसे कर के रूप में हमें ज्यादा आमदनी होगी। इस प्रकार से राज्य को कोई हानि न होगी। ऐसा मैं मानता हूं। लोग अच्छे बनेंगे, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, न्याय बढ़ेगा। इस प्रकार से जो न्याय, कानून, पुलिस, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री जो ज्यादा रुपया मांगते हैं, उस रुपये में बचत होगी। कम रुपये में ही काम चल जायगा। इस प्रकार राज्य को अन्ततोगत्वा हानि नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, जिस राज्य ने नशाबन्दी नहीं की वह राज्य ही समाप्त हो गया। मुरार जी भाई जब केन्द्रीय मंत्रि-मंडल से अलग रहे तो वे भी कहते रहे कि नशाबन्दी होनी चाहिये लेकिन जब वे वित्त मंत्री बने तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह सरकार समाप्त हो गयी। यहां माननीय गुप्ता जी का शासन रहा। उनसे भी हमने बार-बार कहा

[श्री जगदीश गांधी]

कि इसको बन्द कीजिये। उससे आपकी शान में बट्टा नहीं लग जायगा। वह नहीं माने। उनका राज्य भी खत्म हो गया। अब माननीय चौधरी साहब से भी मेरा यही कहना है। उन्होंने तो इस साल ३ जिलों में इसको खत्म किया है, शेष जिलों में भी वे इसको बन्द कर देंगे, ऐसी मुझे आशा है। इससे उनका नाम बढ़ेगा, लोगों का चरित्र ऊंचा होगा और अपराध कम होंगे।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान एक अनुदान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बजट के पेज १४ पर आप देखेंगे कि राज्य आबकारी के अन्तर्गत आकस्मिक व्यय रखा गया है १,६९,६९० रुपया जिसमें से ८,५६५ कूलरों को क्रय करने के लिये रखे गये हैं और मद्य-निषेध के प्रचार के लिये केवल रखा गया है १,२९९ रुपया। यह १९६८-६९ का है। मद्य-निषेध कर्मचारिवर्ग पर जो इसका प्रचार करेगा उस पर खर्च किया गया ३,५६,६८६ रुपया और विज्ञापन आदि पर खर्चा किया गया २,६४,२५२ रुपया। इस वर्ष मद्य निषेध के प्रचार के लिये रखा गया ४,५०० रुपया और कर्मचारी जो उसका प्रचार करेंगे उनके लिये रखा गया है ४,५२,६०० रुपया, विज्ञापन के लिये रखा गया है ३,१३,३०० रुपया यानी कुल ७,६५,९०० रखा गया है जब कि मद्य-निषेध पर केवल ४,५०० रुपया ही खर्च होगा।

एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अवश्य कह देना चाहूंगा कि जिले में जो जिलाधीश, सिटी मजिस्ट्रेट तथा दूसरे जो कर्मचारी बोली बोलते हैं उनके बारे में हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिस दिन बोली होने वाली हो उससे पहले दिन जिलाधीश का अगर वहां से ट्रान्सफर कर दिया जाय तो मेरा खयाल है कि ड्योढ़ी और दुगुनी बोली लगेगी और सरकार की आमदनी बहुत बढ़ जायगी क्योंकि रिश्वत ले कर कम दाम पर ठेका उठा दिया जाता है। एक और बात की ओर मैं ध्यान दिलाऊं। मान लीजिये एक लाख रुपये का ठेका उठाया। अब उसकी दुकान का जरा हिसाब देख लीजिये कि जितनी बोतलें सरकारी गोदाम से ली गयीं उन पर उसको एक निश्चित कमीशन दिया जाता है जो कानूनन ५०-६० हजार रुपये होना चाहिये। लेकिन ठेका लेता है १ लाख का और जितनी बोतलें लेता है उन पर ५० हजार के करीब नफा होगा। तो जाहिर है कि वह मिलावट करेगा और मिलावट के लिये रिश्वत देगा। तो इसमें काफी भ्रष्टाचार है। (लाल बत्ती बुझने पर) मैं दो मिनट और समय चाहता हूं और मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा।

फिल्मों पर जो शुल्क है उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अश्लील फिल्मों पर रोक लगा देनी चाहिये क्योंकि आज की युवा पीढ़ी गन्दी फिल्मों को देखकर दुश्चरित्र हो रही है और अनुशासनहीनता बढ़ रही है। अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन इस कदर बढ़ गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगदीश गांधी---

दूसरे मुझे यह कहना है कि जो फिल्में देशभक्ति की और शिक्षात्मक हों उनको कर से मुक्त कर दिया जाय और विद्यार्थियों को उन्हें देखने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। तो अच्छी फिल्में चलायें और गन्दी फिल्मों पर टैक्स की दर इतनी बढ़ा दी जाय कि सामान्य लोग देख ही न सकें।

इसके अतिरिक्त जिला परिषद् के चुनाव के लिये ६६,१०० रुपये का प्राविधान है। जिला परिषद् समाप्त हो गये हैं। अब इस व्यय को बजट से निकाल देना चाहिये। जिला परिषद सरकारी देख-रेख में आ गये हैं इसलिए उनके कर्मचारियों का वेतन सरकारी कर्मचारियों के वेतन के समान कर देना चाहिये।

जहां तक राजनीतिक पेंशनों का सवाल है, मुख्य मंत्री जी ने २० रुपये से बढ़ा कर ४० रुपये मासिक कर दिया है। इसके लिए वे बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। इसे ५० रुपये कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)––

श्रीमन् आप एक सरकारी पक्ष से और एक विरोध पक्ष से बुलवाते हैं। आपने जो जगदीश गांधी जी को समय दिया है वह सरकार के पक्ष से बुलवाया है या अपोजीशन की तरफ से ?

श्री अध्यक्ष––

वह स्वतंत्र पक्ष है।

*श्री पन्नालाल (जिला फतेहपुर)––

अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान सरकार की तरफ से पेश किये गये हैं उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज भाई आचार्य लक्ष्मी रमण जी ने बड़ी मधुर व्रज भाषा में यहां की भाषा में मिला कर के ऐसे सुन्दर शब्दों का प्रयोग किया और पानी पी-पी कर के हम लोगों को उपदेश दिया और हमने बड़े ठंडे दिल से सुना मगर आखिर में जब नतीजा निकाला तो तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आयी:

"पर उपदेश कुशल बहुतेरे"।

हमको उपदेश तो बहुत दिया मगर जब वह खुद वहां मौजूद थे तो जो उपदेश उन्होंने हमको दिया अगर खुद भी उस पर अमल करते तो शायद उनको यह कहने का मौका न मिलता।

एक्साइज का जहां तक सवाल है उन्होंने कहा कि नशाबन्दी होनी चाहिये। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि नशाबन्दी होनी चाहिये। मगर वही हालत है कि अगर ५ साल का बच्चा है और हम उससे कहें कि एकदम छलांग मारकर दर्शक गैलरी में पहुंच जाय तो कैसे पहुंचे। धीरे धीरे सरकार की निगाह उस नशाबन्दी की तरफ गयी और आज उन्होंने ३–३ जिलों में जो शराबबन्दी की है वह प्रतीक है कि नशाबन्दी की तरफ अपने कदम उठा रही है। वह कदम ऐसे नहीं हैं जो जल्दी में उठाये जाते हैं, जैसे खरगोश तेज चलता है, दूर भागता है, मगर कुछ दूर जाकर लेट कर सो जाता है। मगर कछुआ धीरे-धीरे जाकर मंजिले मकसूद पर पहुंच जाता है। तो यह चाल जो धीमी उठायी गयी यह मंजिले मकसूद तक पहुंचने की है, यह लम्बी टांगों की दौड़ नहीं है कि बहुत तेज भागे मगर जहां पेड़ के नीचें सांस ली तो सो गये, फिर पता नहीं कि कहां हैं। तो नशाबन्दी की बात जरूर हुई। मैं अभी इलाहाबाद गया था...

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)––

सरकार की चाल कछुवे की है या खरगोश की ?

श्री पन्नालाल––

"अकलमंदां रा इशारा काफी"। इलाहाबाद गया जब शराब बन्दी हुई। वहां गरीब आदमियों को जहां कुछ राहत मिली तो हमारे पढ़े-लिखे लोग जो सफेद-पोश हैं, अपने को काबिल समझते हैं आज इलाहाबाद में काबिलों का अड्डा है। उनकी बड़ी शिकायतें शराबबन्दी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पन्ना लाल]

खिलाफ थीं। वह कहते थे कि हमको शराब नहीं मिलेगी तो हम कानूनी बहस कैसे करेंगे। मालूम होता है कि पढ़ने के बाद उनका सारा इल्म और काब्लियत शराब पर ही निर्भर है कि शराब नहीं पीयेंगे तो बहस कैसे करेंगे, जज लोग अच्छा जजमेन्ट नहीं लिख सकेंगे। जो यहां बड़ी शराबबन्दी की बातें करते हैं उनको जितना मजा घर जाकर बोतल खोल कर शराब पीने में आता है उतना शराबबन्दी में नहीं आता, मगर यहां शराबबन्दी की बातें करेंगे। "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" न बनो। घर पर जो शराब की दो बोतलें हैं उनको भी निकाल कर फेंको, छुओ मत तो हम जानें कि वाकई में शराबबन्दी चाहते हो। आज गवर्नमेन्ट से कहा गया कि इतनी आमदनी का मोह छोड़ दो, मगर इन्तजाम कैसे चलेगा? सरकार का कार्य कैसे चलेगा? कुछ लोगों ने कहा कि मुख्य मंत्री में बनियाई आ गयी, वह बनिये की तरह सोचने लगे। यह बात नहीं है कि वैसा सोचने लगे, समझने लगे। हां, यह जरूर है कि "तुख्म तासीर सोहबत का असर।" कुछ रोज बनिये का साथ रहा, उनके सलाहकार रहे मंत्रि-मंडल में तो सोहबत का असर तो कुछ हुआ ही होगा। अगर आ गया तो कोई खराब बात नहीं है। भांग पीओगे तो नशा होगा, शराब का भी नशा होगा, खराब आदमी का साथ होगा तो खराबी आयेगी" "तुख्म तासीर सोहबत का असर" तो अगर थोड़ी बहुत बनियायी आ गयी तो कोई बुरा नहीं है, यह बनियायी नहीं है। बनियायी तो वह है कि जो बनिया हो जाय, बनिये के साथ रह कर मेरा ऐसा हो जाय।

आचार्य लक्ष्मीरमण स्वच्छ प्रशासन की बात कहते हैं। इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के जब हमारे भाई बन्द, रिश्तेदार, खानदान के लोग फंस जाते हैं तो फौरन मुख्य मंत्री या अन्य मंत्रियों के पास जाकर दबाव डालते हैं कि इस दफा माफ कर दो, आंइदा कसूर न होई। मैं कहता हूं कि स्वच्छ प्रशासन तब होगा जब हमारे यहां बैठे हुए चाहे हमारा भाई हो, घर का कोई रिश्तेदार हो अगर वह बदमाश है, कानून के खिलाफ काम करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये हमें गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिये बजाय सिफारिश करने के। मैं जानता हूं कि किस प्रकार से लोग छोड़े गये। एक केस का उदाहरण देता हूं इस गवर्नमेंट का और संपूर्णानन्द जी का। मेरे ऊपर एक मुकदमा चलाया गया गवर्नमेंट का १९७/५०० का। अब भी चल रहा है। उसमें जो मेन मुल्जिम एम० एल० ए० था उस पर से पार्टी में मिलाकर मुकदमा उठा लिया गया। मैंने एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० के खिलाफ कर दी और एक पैम्फलेट उसमें नत्थी कर दी, उस पर मेरे ऊपर भी मुकदमा चला। और हमारे पुराने मुख्य मंत्री ने कहा कि पन्नालाल माफी मांग लो और हमारे साथ हो जाओ तो मुकदमा वापस हो जाय। तो हमने कहा कि जिन्दगी भर मुकदमा लड़ेंगे और यह कभी नहीं करेंगे कि माफी मांग लें।

आज आप स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप चल कहां रहें हैं? आप सामने आयें जिससे मालूम हो कि आप स्वच्छ प्रशासन के हामी हैं और नशाबन्दी के हामी हैं। मैं इसकी ओर मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आपका सर्कुलर गया है कि हर एम०एल०ए० के साथ या कोई भला आदमी जब मिलने जाये तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाय, लेकिन देखने में यह आता है कि जब किसी कलेक्टर के पास या सेक्रेटेरियट में किसी अधिकारी के पास चाहे कोई एम०एल०ए,० जाय या अन्य कोई व्यक्ति जाये तो वह अपनी कुर्सी छोड़ कर उठते नहीं हैं, बैठे रहते हैं जैसे मालूम होता है कि खक्खाशाह आ गये हैं और कभी नम्रता का व्यवहार उनमें छू नहीं गया है। मुझे याद है कि आपके सचिवालय के एक कमिश्नर हैं। उनसे एक बात कही गई तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह की बात करते हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, जब चाहेंगे तबादला करेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। जो पुराने जमाने में मुख्य मंत्री महोदय थे, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि राजकाज सेक्रेटेरियट से चलता है। जो सेक्रेटरी कहेगा वही करेंगे। तो हमने कहा जय भगवान की और चले आये। आज स्वच्छ प्रशासन की बात तब हो सकती है जब हम भी स्वच्छ हो जायें और आप भी स्वच्छ हो

जायें और अधिकारी भी स्वच्छ हो जायें। हम सबको मंत्रियों को हर समय घेरे नहीं रहना चाहिये। उनको अपने न्याय में खुली छूट देनी चाहिये। हम देखते हैं कि जहां ट्रांसफर का आर्डर हो जाता है तो हमारे दल के साथी और दूसरे दलोंके साथी मंत्री को घेर लेते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है। पता नहीं कि वह मीठा है, कड़वा है या खट्टा आदमी है। इससे यह होता है कि कोई भी मंत्री हो वह परेशान हो जाय। अगर स्वच्छ प्रशासन करना है तो आप भी स्वच्छ हों और हम भी स्वच्छ हों।

तीसरी बात पुलिस की है। आचार्य जी ने कहा कि पुराने आई० जी० को क्यों छुट्टी दी गई और नये आई० जी० को क्यों बनाया गया। आचार्य जी इस समय नहीं हैं मगर विरोधीदल के नेता और उसके साथी मौजूद हैं। मैं माननीय गिरधारी लाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उन तक मेरी बात पहुंचा दें कि वह क्यों हटाये गये। देहात में एक कहावत है कि वह सोना किस काम का जिसके पहनने से कान फट जाय। जब प्रेसीडेन्ट रूल था, गवर्नर शासन था तो श्री जियाराम जी आई० जी० थे उस समय जो अचलगंज में कांड हुआ वह किसी से छिपा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप किसी का नाम लेकर न कहें।

श्री पन्नालाल—

उस समय जो आई० जी० थे।

श्री अध्यक्ष—

जो अफसर यहां मौजूद नहीं है उसके बारे में आप न कहें। आप एक आई० जी० कह कर कह सकते हैं।

श्री पन्नालाल—

एक आई जी० महोदय जो पहले थे उनके जमाने में एक कांस्टेबुल को गोली मारी गई उसके विरोधस्वरूप उस आदमी का घर जला दिया गया। उसकी फसल जला दी गयी, उसके खानदान वालों के घर जला दिये गये और उस गांव को तबाह कर दिया गया। क्या यही कानून है? जो दोषी है उसको सजा मिले यह नहीं कि उसके खानदान वालों को, उसके गांव वालों को बरबाद कर दिया जाय। आज भी वहां की तीन लड़कियां गायब हैं और उनका पता नहीं चला।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया। आपका १५ मिनट हो गया।

१५ मई, १९७० की नियम ५१ के अन्तर्गत शेष सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब मैं सूचना दे दूं जो मैं १५ तारीख को सुना नहीं सका था। यह ध्यानाकर्षण की सूचनायें थीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी ने सूचना दी थी जिसको मैंने स्वीकार नहीं किया, केवल आवश्यक कार्यवाही हेतु मंत्री जी के पास भेज दिया है। इसमें पीलीभीत के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री टन्डन के परिवार द्वारा सरकारी जीप का दुरुपयोग करते हुये संसोपा कार्यकर्ता श्री धीरेन्द्र-सहाय तथा नागरिकों ने दिनांक २४–४–७० को पकड़ा था। इस संबंध में था। दूसरा

[श्री अध्यक्ष]

श्री मोती लाल देहलवी का था दिनांक ९–५–७० के महराजपुर थाने के निकट भारतीय क्रान्ति दल विधायक श्री मनोहरलाल को सशस्त्र लोगों ने लूटा, लूट में एक पी० ए० सी० का सिपाही तथा एक चौकीदार भी शामिल था। इसको मैंने आवश्यक कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज दिया।

श्री जगदीश गांधी ने प्रदेश में डकैतियों और कत्ल की घटनाओं की बाढ़ के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये हैं। माननीय सदस्य बजट के भाषण में जिक्र कर सकते हैं।

इसके बाद सर्व श्री सुखपाल पांडेय, राजित राम पांडेय तथा राम चरण त्रिपाठी ने मौजूदा सरकार द्वारा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने से संबंधित उप समिति का गठन किया था परन्तु उसकी रिपोर्ट सदन में अब तक न देने तथा प्राइवेट सेक्टर में चीनी मिल चालू करने के लिये लाइसेन्स प्रदान करने के सम्बन्ध में दिया था। इस प्रश्न पर बजट में चर्चा हो सकती है और लोग बोल सकते हैं। मैंने सूचना मुख्य मंत्री के यहां भेजी थी शायद वक्तव्य हो सके।

श्री सुरेन्द्र विक्रम ने दिनांक १४ मई को पिथौरागढ़ घारचूला रोड पर रोडवेज की एक बस का खड्ड में गिरना और १४ व्यक्तियों की प्राणहानि से संबंधित दिया था। यह सूचना मैंने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार की है और २२ तारीख को वक्तव्य देने के लिये प्रार्थना की है।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी तथा श्री त्रिलोक चन्द ने जिला मेरठ के थाना मोदी नगर की पुलिस द्वारा एक गरीब व्यक्ति श्री राज पाल की हत्या से संबंधित सूचना दी थी। यही सूचना १९–५–७० को श्री सुरेन्द्र विक्रम ने दी थी जिसे मैंने वक्तव्य हेतु स्वीकार किया था। उस पर २०–५–७० को वक्तव्य होगा। श्री त्यागी की सूचना को भी उसी से मैं संबद्ध करता हूं। श्री हरी सिंह विष्ट तथा अन्य सदस्य गणों अल्मोड़ा जनपद में आदमखोर बाघ का प्रकोप जिसने साल भर में १०० या १२५ आदमियों को मार डाला है उसके लिये एक वक्तव्य देने के लिये दिया है। उसमें केवल वक्तव्य होगा।

श्री राम लखन सिंह ने दारुलशफा के दवाखाने में किसी डाक्टर के न होने की परेशानी के विषय में एक प्रस्ताव दिया है। इसको मैंने स्वास्थ्य मंत्री के पास भेज दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ने फारेस्ट गार्डों के द्वारा जो गड़बड़ी होती है उसको दिया है जिसको मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

श्री गिरधारी लाल तथा श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा जो प्रस्ताव मिला है वह है सिरसा ग्राम के श्री महेन्द्र सिंह के द्वारा भारतीय सेना के एक जवान की वधू पर बलात्कार के सम्बन्ध में। इसको मैंने मंत्रीजी के पास वक्तव्य के लिये भेज दिया है और इसके ऊपर माननीय मंत्रीजी कल वक्तव्य देने वाले हैं।

जो कामरोको प्रस्ताव हैं वे ७, ८ हैं इसलिये उनको स्वीकार नही किया है।

श्री गिरजा शंकर तथा सुरेन्द्र विक्रम ने मसौधा चीनी मिल के प्रबन्धकों द्वारा मिल बन्द किये जाने तथा किसानों का हजारों एकड़ गन्ना खेत में सूखने के सम्बन्ध में दिया है। इसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

६ अप्रैल, १९७० को दिल्ली में संयुक्त समाजवादी प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठी चार्ज से संबंधित नियम ५२ की सूचना पर चर्चा की मांग

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि गत ६ अप्रैल को दिल्ली में जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसको मैंने दफा ५१ में दिया था। उसके ऊपर आपने निर्णय दिया था कि समय देंगे लेकिन अभी तक समय नहीं दिया है। आप उसके लिये कौन सा दिन निर्धारित करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उस दिन मैंने कहा था कि इसमें कानूनी राय ली जायगी। कानूनी अड़चन होने के बारे में उसकी जांच करूंगा।

श्री बांकेलाल—

आपने यह आवश्वासन दिया था कि हम समय देंगे।

श्री अध्यक्ष—

हमने कहा था कि ५२ में दें। सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ५२ के लिये भी वही नियम है। इस पर कानूनी सलाह के हिसाब से सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण से यह यहां पर उठाया नहीं जा सकता है। इसका मैंने जिक्र किया था कि यहां पर उठाया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न है। श्री कल्पनाथ सिंह ने कहा था कि ऐसा पहले बंगाल में कलकत्ता में हुआ है। इस पर मैंने देखा कोई कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिली। कोई ऐसा फैसला मैंने नहीं दिया था कि जिस मसले से सरकार का कोई भी सम्बन्ध न हो और वह नियम ५२ में यहां उठाया जा सकता हो। मुझको कोई ऐसी चीज नहीं मिली। मैंने यह कहा था कि आप इसको निकालें। मैंने यह फैसला कर दिया कि इसको मैं स्वीकार नही करता हूं कानून के हिसाब से। इस सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और इसका सम्बन्ध केवल दिल्ली सरकार से है और वह उसकी आज्ञा पर काम करेंगे।

केन्द्रीय सरकार के या दिल्ली सराकर के मातहत पी० ए० सी० वाले काम करेगें। उस तरह का कार्य किया गया है। उसकी कोई जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर नहीं आती है। लिहाजा मैंने चर्चा का विषय नहीं बनाया। उसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

आज जो नियम ५१ की सूचना दी है, उसके बारे में आपने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। मैं कल पढ़ कर फैसला दूंगा।

श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन् दफा ५६ में एक कामरोको प्रस्ताव मैंने भी दिया था। तमाम गन्ना पड़ा हुआ है . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है।

श्री गिरजा शंकर—

वहां लोग बहुत परेशान हैं। हजारों एकड़ गन्ना पड़ा हुआ है . . . ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री गिरजा शंकर—

श्रीमन् सरकार कुछ नहीं करेगी, गन्ना सूख जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें। मैंने जो फैसला कर दिया उसको मानना चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, तिवारी जी जो बात कह रहे हैं वह ठीक है। आज आपने अस्वीकार कर दिया लेकिन यह बड़े महत्व का प्रश्न है . . . ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर तो पहले चर्चा भी हो चुकी है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन्होंने कहा था कि जुलाई तक मिल चलगी लकिन पहल ही बन्द कर दी। तो आप कल उसको स्वीकार कर लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको काम रोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यह ठीक है कि आपने चर्चा करा दी लेकिन यह बड़ी गंभीर समस्या है। आज सारा गन्ना खड़ा है। कल कामरोको प्रस्ताव स्वीकार करके इस पर चर्चा करा दें। यह बजट किस काम आयेगा? किसान का सारा गन्ना खेत में सड़ जायगा तो हम लोग यहां क्या करने आये हैं? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा जरूर करा दें।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन सुन लें। ६ अप्रैल को दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में पहले एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसको आपने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद नियम ५२ में चर्चा के लिये दिया तो मान्यवर आपने इसी सदन में घोषणा की थी कि वह स्वीकार कर लिया गया है और मंत्रीजी को भेज दिया गया है और अभी उनसे जवाब नहीं मिला है कि किस तारीख को समय दे सकेंगे। इसलिये वह टलता रहा। लेकिन जहां तक स्वीकृति का प्रश्न है, आप उसे स्वीकार कर चुके थे, केवल इतना ही प्रश्न था कि किस तारीख को चर्चा करा सकेंगे। लेकिन आज जो आप बता रहे हैं वह बिल्कुल भिन्न बात है।

श्री अध्यक्ष—

वही बात है। मैंने जवाब दिया है यह बात सही है और मुख्य मंत्रीजी ने जो कानूनी राय थी यहां के लीगल रिमेम्ब्रेंसर की, वह मेरे पास भेज दी थी। मैंने उस पर विचार किया।

इस सदन में उस पर चर्चा हो इस सम्बन्ध में आपत्ति है। जब आपत्ति है तो इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। इस पर श्री कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि आपने इस तरह की इजाजत पहले दी है जिससे इस सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं था। तो इस विषय पर आप चर्चा कराने की इजजात दें। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बतायें कि ऐसा पहले कब हुआ है तो मैं विचार करूंगा। लेकिन आज १०, १२ रोज हो गये उनका रास्ता देखते हुये कि वह बतायें तो मैं स्वीकार कर लूंगा अगर ऐसा है। मगर उन्होंने कोई उदाहरण नहीं बताया। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि अगर ऐसी चीज पहले कभी हुई है इस सदन में और इस बात को मैंने स्वीकार किया है और मैंने फैसला दिया तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कायदे के अनुसार कोई कानूनी राय जो आपके लीगल रेमेम्बरेन्सर बताते हैं तो मुझे भी उस पर पुनर्विचार करना पड़ता है। मैंने उसको स्वीकार किया है नियम ५२ के हिसाब से लेकिन सरकार के ऊपर जिम्मेदारी न होने के कारण वह इस सदन में चर्चा का विषय नहीं बन सकता।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

आप श्रीमन्, प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें। यह नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न यहां पर उठा था जो ६ अप्रैल को दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ है। आपने सदन में घोषणा की कि यह नियम ५२ का हमन मन्त्री जी के पास भेज दिया है और जब उनको सुविधा होगी तो समय निश्चित हो जायगा। यह प्रश्न यहां पर चर्चा का विषय बन गया। आपने सारे सदन के सामने यह घोषणा की थी कि चर्चा का विषय यह सदन में बनाया जायगा और वक्तव्य होगा। इसी आश्वासन पर सदन बैठा हुआ था लेकिन आज ऐसा कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी ने आपको यह कानूनी सलाह दी है। मुख्य मंत्री जी कौन होते हैं आपको कानूनी सलाह देने वाले ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उस पर अपना फैसला दे दिया।

श्री कृष्णानन्द राय—

जो दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ है वह इस सदन में चर्चा का विषय जरूर होगा और समय के अन्दर होगा यह बात थी। आज आप मुख्य मंत्री जी की बात मानकर ऐसा कह रह हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बजट पर बोल सकते हैं और इस विषय की चर्चा कर सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आपने उसको मुख्य मन्त्री जी के पास वक्तव्य के लिये भेजा और तिथि निश्चित करने के लिये। अब यह कैसे हो गया कि वह वक्तव्य न दिया जाय। वततव्य के लिये तिथि निश्चित करने की बात थी। अब वह आपको कानूनी सलाह देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे कहा कि अगर कोई कानूनी बात कहता है तो मैं उस पर पुनर्विचार कर सकता हूं।

श्री बांकेलाल—

इस समय तो आपने यहां पर नया सवाल पैदा कर दिया। आप हमारे हकूक की रक्षा करने वाले हैं। आपने उसको नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया था और स्वीकार करने के बाद उसको मुख्यमंत्री जी के पास वक्तव्य के लिये तिथि निश्चित करने को भेजा ताकि तिथि निश्चित हो जाय तो वह वक्तव्य दे दें। वह आपका नेतृत्व करेंगे या आप उनका नेतृत्व करेंगे यह प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें नेतृत्व का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यहां पर जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते हैं उनको आप नियम ५२ या नियम ५१ के तहत किसी चर्चा के लिये स्वीकार करते हैं । नियमों के अन्तर्गत आपको यह शक्ति मिली हुई है कि आप नियम के अनुसार अगर यह समझते हैं कि यह प्रश्न ग्राह्य है तो उसको स्वीकृति देते हैं और उसके बाद उसकी यहां पर चर्चा होती है । तो नियमानुसार नियम ५२ के तहत वह चर्चा के लिये दिया गया । उस पर नियम बतलाकर नियम की रोशनी में उसके तथ्य को एग्जामिन करके आपने स्वीकृति प्रदान की और उसकी घोषणा यहां पर हो गई, उसके बाद अगर एल० आर० या कोई दूसरा राय देता है तो वह सदन का अवमान हो जाता है क्योंकि आपने स्वीकृति अपनी पहले दे दी है और उस पर पुनर्विचार का अधिकार एल० आर० को नियमानुसार नहीं है, पहले चाहे आप सवाल करते या कोई किताब देखते चाहें जो कुछ करते लेकिन जब आपका एलान यहां हो गया तो उसके बाद केवल इतनी ही कसर रह गई कि मुख्य मंत्री जी अपनी सुविधानुसार उसकी तारीख दें और उस दिन चर्चा हो जाय । लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी आपको सलाह देकर या दबा कर आपके फैसले को बदलवाये या प्रभावित करे तो यह एक अहम सवाल हो जाता है । जो घोषणा आपकी होती है उसको यदि इस तरह से परिवर्तित किया जायगा तो उसका फिर मूल्य ही क्या रह जायगा ?

एक निवेदन मेरा आप और सुन लें । जहां तक इस विषय में चर्चा का सवाल है मैं एक पहले की नजीर दे दूं । इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी सन् ६७ में भी मुख्य मंत्री थे तो उनके दो मंत्रिमंडल के सदस्य दिल्ली में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये और उस समय भी प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से आया और उस पर चर्चा हुई । इसी तरह से इस सदन के सम्मानित सदस्य दिल्ली में बदले की भावना से यहीं की पी०ए०सी० के द्वारा पीटे गये और आपने उस विषय को स्वीकार किया, यह प्रीसीडेंस यहीं का मौजूद है । इसके अलावा इसी विषय पर राजस्थान में और बिहार की असेम्बलियों में भी विशेषाधिकार के प्रश्न और एडजर्नमेंट मोशन भी स्वीकार किये गये हैं और राजस्थान में तो यह मामला इस हद तक गया है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को गया है । श्रीमन्, यहां के माननीय सदस्यों के भी कुछ अधिकार हैं और पुलिस के कृत्यों की भी कोई सीमा है, अगर वह बदले की भावना से उस अधिकार सीमा से बाहर जाकर यहीं के सदस्यों को पीटती है तो वही यदि चर्चा का विषय न होगा तो इससे क्या विषय और ज्यादा अहम होगा और दूसरे यह कि.....।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें, मैं बताता हूं.....।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं बैठ जाता हूं केवल इस निवेदन के साथ कि आप अपने पहले के फैसले को इस तरह से बदल नहीं सकत, आप से यह मैं बार बार निवेदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बताऊं कि आप मेरे फैसले को कि इस तरह से बदल सकते हैं कि आप मेरे कमरे में जाकर, बहस करके कह सकते हैं कि यह कायदे से ठीक नहीं है या माननीय मुख्य मंत्री या कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य आकर कह सकते हैं कि यह कायदे से ठीक नहीं है, आप अपन इस मत को परिवर्तित कर दीजिये और मैं यदि उनसे सहमत हो जाऊं, कनविंन्स हो जाऊं तो फैसला बदल सकता है । अगर वह कानूनी राय देते हैं और उसको मैं देख लता हूं, आपको भी मौका देता हूं कि आप बता दें कि किस तरह

से यह विषय चर्चा का बन सकता है लेकिन आप कभी आते नहीं और न बहस करते हैं बल्कि केवल यहीं पर ही चर्चा करते हैं। मैंने कृष्णानन्द राय जी से भी कहा कि आप मेरे कमरे में बता दें कि कौन सी चीज ऐसी है लेकिन वह भी नहीं आये, मैंने तो सब तरह से देखा कि क्या कोई ऐसा पहला प्रिसिडेंस है तो वह कोई निकला नहीं। इसलिये मैंने फैसला किया कि कानूनी ढंग से यह आ नहीं सकता लिहाजा मैंने सदन को यह बता दिया कि अब यह चीज नहीं आ सकती और कानूनी ढंग से वह विषय नहीं बन सकता.....

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जैसा कि श्री जायसवाल ने कहा कि जब यह मामला केवल एम० पीज० का नहीं बल्कि यहां के इसी सदन के सदस्य भी दिल्ली में उसमें इनवाल्व थे और उन्होंने उसमें भाग लिया और श्री राम शरण जी और श्री बांकेलाल जी भी उस में फंस गये थे जो हमारे सदन के सदस्य हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों की पुलिस के अलावा इस प्रदेश की पी० ए० सी० ने भी इन पर प्रहार किय और पीटा तो.....

श्री अध्यक्ष—

तो इस सरकार का इससे क्या सम्बन्ध है?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रदेश की ही पुलिस ने पिटाई की, यहीं के टैक्स पेयर के पैसे से वह चलाई जाती है और वही हमारे सदन के माननीय सदस्यों पर डंडे चलाती है तो हम उसके कानडक्ट को यहां डिसकस कर सकते ह और इसका हमें पूरा अधिकार है। इस में कानूनी राय की क्या बात है। श्रीमन्, ऐसी परम्परा नहीं देखी गयी कि पूरे सदन में एक निर्णय लिया और इस सम्बन्ध में प्रोसीडिंग भी निकलवा कर देख सकते हैं। इसमें आप ने कहा था कि मुख्य मंत्री से या सरकार से बातचीत करके एक डेट फिक्स होगी इस पर चर्चा करने के लिये लेकिन आपको, सुना है, फिर अपने कमरे में एल० आर ने राय दी और इस बात की राय दी कि इस पर चर्चा न हो ये सदस्य जो पीटे गये और वहां पर हमारी ही पी० ए० सी० के लोग थे। वहां पर उत्तर प्रदेश से पी० ए० सी० इसलिए भेजी गयी कि इंदिरा जी की पार्टी से सहयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो इस पर मार्च के महीने में भेजा था।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

पी० ए० सी० को भेजने का भारत सरकार से पत्र आया था।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस माननीय सदन को कानूनी मश्विरा देने के लिए एडवोकेट जनरल को रखा गया है। वे इस सदन के सलाहकार माने जाते हैं अगर आपको मश्विरा लेना है तो क्या एडवोकेट जनरल के अलावा किसी और एजेन्सी के द्वारा भी कानूनी मश्विरा लेना आपके लिये उचित अथवा अनुचित होगा?

श्री अध्यक्ष—

मैं एडवोकेट जनरल की भी राय ले सकता हूं और उन की राय अगर कानूनी राय आपके पक्ष में मिलती है तो मुझे खुशी होगी और मैं उस पर चर्चा करा लूंगा। लेकिन अगर ऐसा न हुआ और उनके द्वारा यदि कहा गया कि सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है तो फिर चर्चा के बारे में इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आप कृपया मेरे कमरे में बात कर लें।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० गयी, उसे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने बुलाया। यह अप्रैल महीने की घटना है। ६ अप्रैल को वहां पर प्रदर्शन था। उसमें यहां की पी० ए० सी० का प्रयोग हुआ। अब पक्ष यह खड़ा होता है कि हमारी सरकार संबंधित नहीं है। तो क्या मैं आप से यह आग्रह कर सकता हूं कि और इस सदन के माध्यम से कह सकता हूं कि इस सरकार की पी० ए० सी० द्वारा जानबूझ कर या अनजाने में यहां के विधायकों को पीटा गया। यह पूरा पूरा विषय एडवोकेट जनरल को भेजना चाहिए अपनी यह राय जाहिर करके कि यह विषय सरकार से सम्बन्धित है या नहीं है। इस पर विचार हो सकता है। मेरी राय तो यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से सम्बन्धित है और आपको इस पर एडवोकेट जनरल की राय लेनी चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने मान ली आप की बात कि एडवोकेट जनरल की राय ली जाय।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। आपने हाउस में एक निर्णय लिया। जो निर्णय हाउस में लिया वह क्या आप अपने आप अकेले कमरे में बदल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

कमरे में बदल सकते हैं और हाउस में भी उसको बता सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप ने २९ ता० को अपना यह फैसला सुनाया कि मैंने इसे चर्चा के लिये स्वीकार कर लिया। ३० को जब पूछा गया तो आपने बताया कि स्वीकार किया। जहां तक याद पड़ता है आपने कई तारीखों में बताया कि स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी मुख्य मन्त्री की तरफ से चर्चा के लिये तारीख नहीं मिली। उसके बाद आप कहते हैं कि आपने इसको ,आप के कक्ष में जब मुख्य मन्त्री की तरफ से राय आई लीगल रिमेम्बरेन्सर की राय आई, उसकी रोशनी में पुनर्विचार करके अस्वीकार कर दिया.....

श्री अध्यक्ष—

पहले यहां पर चर्चा हुई।.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस वक्त पुनर्विचार किया उस वक्त हमें सुनने का कोई मौका नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

आपके अलावा और लोग बैठे थे । मैंने कहा था कि वे उस चीज को बता दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, कमरे का कोई सवाल ही नहीं रह गया था ।

श्री अध्यक्ष—

मैं चेम्बर में भी बैठ करके फैसला कर सकता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह मामला अनिर्णीत नहीं था । इसको आप ने स्थगित नहीं किया था । पहले निश्चित रूप से निर्णय दिया था कि आपने इस विषय को स्वीकार कर लिया था ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि कानूनी एतराज कोई भी कर सकता है । मैं अपना मत परिवर्तन कर सकता हूं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, एक ही विषय पर एक ही मेम्बर को आप कितनी दफे बोलने का मौका देंगे, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब उसी तरह पुलिस का डंडा इन पर भी पड़ेगा तो दूसरी तरह बोलने लगेंगे । चूंकि डंडा हमारे ऊपर पड़ा है तो इनको दर्द नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेंट मामला इसलिये हो गया है कि आप जो एक व्यवस्था देते हैं या जो रूलिंग देते हैं अगर इसी तरह से उनके बदलने का क्रम चल गया तो मैं यह कहूंगा कि उनका महत्व और वजन दोनों घट जायगा और फिर यह अवस्था पहुंचेगी कि लोग अनादर करना शुरू कर देंगे और उससे सदन की कार्यवाही चलने में व्यवधान उत्पन्न होगा । ऐसा मामला मामूली मामला नहीं है । आपने अकेले में पुनर्विचार करके बदल दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि कुर्सी की तरफ से कमजोरी हुई है । आपको स्वयं बताना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो सूची है उसको देख कर बताना चाहिये कि सदन में किस तारीख को विचार होगा । यह नहीं कि उसे मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की कृपा या इच्छा पर छोड़ा जाय ।

दूसरे, मान्यवर, आपने बगैर हमलोगों को इत्तिला दिये स्वीकृति दी और फिर अस्वीकृति दी । क्या इस तरह हम आपकी व्यवस्था को सम्मान दे सकेंगे ? यह मामूली सवाल

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

नहीं है। जो आपके एडवोकेट जानरल हैं वे इस माननीय सदन के सदस्य हैं। उनको बोलने का पूरा अधिकार है और इस विषय पर उनको आप चर्चा का पूरा मौका दीजिये। उसकी आप व्यवस्था दें तब यह मामला चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप इसको ख़त्म करें और मुझसे बात कर लें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैंने आप से निवेदन किया, उसके बारे में कुछ तो जबाव दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनसे राय लूंगा। मुझसे आप मेरे कमरे में चर्चा कर लें।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

जो चीज इस हाउस में हुई, इस सदन के मेज पर आ गई, वह इसकी प्रापर्टी हो गई। उसको फिर क्या आप अपने कमरे में बैठकर, किसी को बुलाकर उसका रद्दोबदल कर सकते हैं। इस पर आप विचार कीजिए और व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

सदन की प्रापर्टी का इसमें सवाल नहीं है। बात यह थी कि नियम ५२ में इस पर चर्चा कराई जाय या न कराई जाए। मैंने कहा था.....।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उस पर आपका फैसला हो गया था, बिलकुल डेफिनिट शब्दों में आप ने उसका फैसला दे दिया था।

श्री बांकेलाल—

आप एक बार व्यवस्था दे चुके थे.. ..।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी। मैंने मुख्य मंत्री के पास भेजा समय तय करने के लिये, उसके बाद यह विषय उठ सकता है या नहीं, यह राय लीगल रेमेम्बरेन्सर की उन्होंने मेरे पास भेज दी। कोई रूल आप पढ़ कर सुना दें कि रूल के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो मैं ठीक कर दूंगा। जिस प्रकार से आपको अधिकार है कि आप हम को राय दें, और उस को सही समझने पर मैं अपने निर्णय में सुधार कर लेता हूं, इसी प्रकार से उनको भी अधिकार है कि कानूनी राय हमको दें और कहें कि यह कानून में नहीं आता आप कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर करने की बात यहां पर मैंने सोची थी और मैंने कहा था कि आप कोई कानून बता दें, रास्ता बता दें या कोई प्रिसीडेन्स बता दें तो मैं सुधार लूंगा। लेकिन जब आप डिस्कशन हमसे करने के लिये तैयार नहीं हुए, मैंने अपने यहां के कागज देखे और यह पाया कि कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। अब सवाल यह है कि अब क्या हो। अब भी हो सकता है, फिर भी यह हो सकता है। कानूनी राय लेकर, एडवोकेट जनरल की राय लेना चाहते हैं...

श्री बंशीधर पान्डेय—

जब सदन का निर्णय हो गया तो आप उसकी बात मानने को कतई बाध्य नहीं है और न कोई महत्व ही उनकी राय का है। जब हमारे और जुडिशियरी के बीच में झगड़ा चल गया

तो इस सदन में और आप की कुर्सी से श्री मदनमोहन वर्मा ने कहा और इस सदन ने उस निर्ण के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया था जो २९ जजों ने एक तरफ बैठ कर दिया था।

(व्यवधान)

आप के इस डिसीजन से इस सदन की गरिमा घट जाएगी।

श्री अध्यक्ष—

आप को यह देखना चाहिये कि वह नियम के हिसाब से आता है या नहीं ?

श्री बंशीधर पान्डेय—

तो फिर श्रीमन्, इस पर चर्चा करवा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपके सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इसके बारे में दे दिया है। अब आगे काम करने दीजिए, नहीं तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

(श्री जगन्नाथ खन्ना के बोलते रहने पर) आप नहीं मानते हैं, अब....

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

अजन्ता पर मंत्री जी का वक्तव्य दिलवाइये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अजन्ता पर बहस करवा दीजिये लेकिन एक बात है। कई बार आपने मेरा नाम लिया है। एक बार कह लेने दीजिये। जो माननीय जायसवाल जी ने .....

श्री अध्यक्ष—

अब वक्तव्य होने दीजिये।

गाजियाबाद में अजन्ता फिल्म स्टूडियो को सरकार द्वारा कम मूल्य पर भूमि देने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

राज्य सरकार ने एक्टर, डाइरेक्टर श्री सुनील दत्त द्वारा ५० लाख रुपये की अधिकृत पूंजी व २०, २५ लाख रुपये की पंजीकृत पूंजी से एक सिनेमा कारपोरेशन गाजियाबाद में स्थापित करने के प्रस्ताव पर निम्नलिखित रिआयतें व सुविधायें देने का निश्चय किया था:

(१) कारपोरेशन के लिये २०० एकड़ भूमि उसकी अध्याप्ति पर हुये खर्च से अधिक मूल्य न लेकर दी जाय।

(२) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम कम्पनी द्वारा नियमों के अन्तर्गत सभी शर्तें पूरी करने पर उसके अंशकों (शेयर्स) का अभिगोपन (अन्डरराइटिंग) १२.५० लाख रु० की सीमा तक करेगा।

(३) उत्तर प्रदेश वित्त निगम को कम्पनी द्वारा नियमों के अन्तर्गत सब शर्तें पूरी करने पर २० लाख रु० का ऋण देने को कहा जायगा।

[श्री बेनीसिंह]

(४) कम्पनी द्वारा अपने स्टूडियो में बनाई जाने वाली और उत्तर प्रदेश में दिखाई जाने वाली प्रत्येक फिल्म पर यदि वह ७५ प्रतिशत अंश तक उत्तर प्रदेश में शूट व प्रासेस की गई हो, एक वर्ष तक कुल वसूल किये गये मनोरंजन कर का ५० प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को राज सहायता के रूप में दिया जायगा।

(५) बड़ी औद्योगिक इकाइयों को जिन दरों पर बिजली दी जाती है उन्हीं दरों पर कारपोरेशन को भी दी जायगी। इस्तेमाल के स्थान तक बिजली तार लाइन राज्य सरकार अथवा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खर्च पर देने की व्यवस्था की जायगी।

(६) स्टूडियो तक प्रवेश मार्ग का निर्माण तथा उसका अनुरक्षण उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायगा।

(७) कारपोरेशन को लक्जरी सिनेमा हालों के निर्माण के लाइसेंस उनके स्थापित करने के साधारण नियमों के अधीन दिये जावेंगे।

(८) गाजियाबाद में अगले दस वर्षों तक कोई अन्य सिनेमा स्टूडियो न तो पोषित किया जायगा और न उसके हेतु कोई सहायता प्रदान की जायगी।

(९) बगीचों, लानों व स्विमिंग पूलों इत्यादि के लिये पानी साधारण शुल्क लेकर दिया जायगा।

(१०) डाकुमेन्टरी फिल्मों के बनाने का काम और उनका प्रासेसिंग सरकार कारपोरेशन को सुपुर्द करेगी वशर्ते कि उन की दरें बाजारी प्रतियोगिता में कम हों, यही शर्त टेलीविजन पिक्चर्स के विषय में लागू होगी।

(११) सरकार स्टूडियो प्राजेक्ट के लिये आवश्यक सारी सामग्री नियन्त्रित दरों पर प्राप्त करने में कारपोरेशन की सहायता करेगी और मशीनों तथा आवश्यक साज सज्जा के आयात की प्रार्थना पर भी सिफारिश करेगी।

(१२) यदि कारपोरेशन को पहिले पांच वर्षों में लाभ होगा तो सरकार सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू को इन्कमटैक्स के भुगतान में रिआयतों के लिये उनके मामले की सिफारिश करेगी।

२—१९६९ के प्रारम्भ में सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स अजन्ता फिल्म कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रस्तावित कम्पनी का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लि०, कानपुर ने उन को केवल १४० एकड़ भूमि अलाट की है। उक्त १४० एकड़ भूमि जो, फिल्म कारपोरेशन को दी जानी थी, में से २० एकड़ के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट्स चल रही थीं। अतः केवल १२० एकड़ भूमि उक्त फिल्म कारपोरेशन को दी गई।

जहां तक अजन्ता फिल्म कारपोरेशन के अंशकों (शेयर्स) के अभिगोपन (अन्डरराइटिंग) का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि उ०प्र० राज्य औद्योगिक निगम लि० अपनी निर्धारित नीति के अनुसार प्राइवेट कम्पनियों के अंशकों का अभिगोपन नहीं करता है। अतः उक्त फिल्म कारपोरेशन को यह सुविधा देना सम्भव नहीं होगा जब तक कि वह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी न बन जाये।

उ० प्र,० वित्तीय निगम ने सूचित किया हैकि फिल्में बनाने के लिए निगम कोई ऋण नहीं देगा लेकिन फिल्म स्टूडियो के निर्माण के लिये निगम द्वारा अजन्ता फिल्म कारपोरेशन की मांग पर विचार किया जा सकेगा। ऐसी दशा में कहा नहीं जा सकता कि वित्तीय निगम अजनन्ता फिल्म कारपोरेशन को ऋण देगा या नहीं। यदि देगा, तो अधिक से अधिक १० लाख रुपये तक, क्योंकि इससे अधिक धनराशि प्राइवेट कम्पनियों को निगम के साधारण नियमों के अन्तर्गत ऋण के रूप में नहीं दी जा सकती।

३—अजन्ता फिल्म कारपोरेशन को जो भूमि दी गई है वह औद्योगिक क्षेत्र प्रायोजना के अन्तर्गत अर्जित की गई थी और उक्त योजना के अन्तर्गत भूमि का मुआवजा बाजार भाव पर दिया जाता है और सरकार का निर्णय जैसा कि शुरू में ही कहा जा चुका है यह है कि भूमि अर्जन का पूर्ण व्यय लेकर भूमि उक्त कारपोरेशन को दी जावेगी। जब तक मुआवजे के सभी अवार्ड इत्यादि घोषित न हो जावें यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में कितना रुपया मुआवजे के रूप में देना होगा अथवा उक्त फिल्म कारपोरेशन से प्रीमियम के रूप में लेना होगा। गाजियाबाद में ही अन्य स्थलों पर जो भूमि उसी औद्योगिक क्षेत्र प्रायोजना के अन्तर्गत कुछ समय पूर्व ली गई थी उसका मूल्य २—२.२५ रु० प्रति वर्ग गज पड़ा था। ऐसी स्थिति में उक्त फिल्म कारपोरेशन को ५०० एकड़ भूमि ६ आने प्रति वर्ग गज के भाव पर दिए जाने का आरोप सही नहीं है।

४—यह आम धारणा है कि उक्त फिल्म कारपोरेशन में कुछ चुने हुये लोग ही काम करेंगे। वास्तव में प्रस्तावित फिल्म कारपोरेशन की स्थापना से बड़ी संख्या में कलाकारों, गायकों, नर्तकों, वादकों, राजों, बढ़इयों, लिपिकों, फोटोग्राफरों, मजदूरों इत्यादि को काम मिलेगा। प्रदेशीय सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर अजन्ता फिल्म कारपोरेशन को उक्त सुविधाएं देना स्वीकार किया था।

कहा जाता है कि मनोरंजन कर में १ वर्ष तक छूट दिए जाने से सरकार को उक्त प्रोजेक्ट से कोई लाभ ही न होगा। यह भी सही नहीं है। मनोरंजन कर ही सरकार की आमदनी का एक मात्र साधन नहीं है। फिल्म उत्पादकों और वितरकों के बीच जो एग्रीमेन्ट होंगे उनसे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री की फीस मिलेगी। बड़ी तनख्वाह पाने वाले कलाकार अच्छी खासी रकमें आयकर के रूप में सरकार को देंगे। इसी प्रकर सेल्स टैक्स के रूप में भी सरकार की आय बढ़ेगी।

उक्त फिल्म कारपोरेशन को लग्जरी सिनेमा हाल्स के बनाने के लिए लाइसेन्स साधारण नियमों के अन्तर्गत ही दिए जावेंगे और इस सम्बन्ध में कारपोरेशन के साथ रियायत किये जाने का कोई कारण नहीं है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अजन्ता फिल्म कारपोरेशन को सरकार ने जो कुछ सुविधायें दी हैं, वे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के हित में दी गई हैं।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी (जिला—कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैंने अपने अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न में अर्ज किया था कि गाजियाबाद की जमीन की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है और म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर उसकी कीमत ४० रुपये से लेकर २०० रुपये गज तक की है। आप ढाई रुपये में उसे एक्वायर करते हैं। तो आप एक करोड़ रुपया इसमें नर्स कर रहे हैं। फिल्म के जो सुनीलदत्त हैं वे मोहन साहब के कजिन ब्रादर हैं जिनकी लखनऊ में ब्रुअरीज की फैक्टरी है। मैं चाहूंगा कि चूंकि आपने पूरा उत्तर नहीं दिया तो मेरे एक-एक प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर दें। जो जमीन आप एक्वायर करते हैं वह पब्लिक परपज के लिये एक्वायर करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी किसी दूसरे मालिकान को एक्वायर करके देती है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। उद्योग मंत्री जवाब देंगे।

श्री बेनीसिंह—

श्रीमन्, यह जमीन औद्योगिक कारपोरेशन लिमिटेड की है और उसने ८०० एकड़ भूमि में से इस कम्पनी को दिया है। अलग से एक्वायर नहीं की गई है।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी—

यह जो कम्पनी है उसकी कुल २० और २५ लाख रुपये की पंजीकृत पूंजी है और औद्योगिक निगम कम्पनी द्वारा नियमों के अन्तर्गत सभी शर्तें पूरी करने पर उसके शेयरों का अन्डरराइटिंग साढ़े बारह लाख रुपये की सीमा तक करेगा। १० लाख फाइनेन्शियल कारपोरेशन लोन देगा। उनको लक्जरी सिनेमा के लिये मन पसन्द का देंगे तो इस प्रकार ३० लाख रुपये आप नर्स करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें—

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ८०० एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी और जिस परपज के लिये एक्वायर की गई थी उसमें से कितनी और कैसे उद्योग में यह जमीन लायी गई ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, इस समय डिटेल में सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

क्या सम्बन्धित मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले जो औद्योगिक काम के लिये जमीन एक्वायर की गई थी उस पर यह लीगल ओपीनियम आ चुकी होगी वह किस परपज के लिये होगी ? इसक लिये फिल्म इन्डस्ट्री पब्लिक परपज के लिये हो सकती है ?

श्री बेनीसिंह—

यह शर्त उस वक्त तक लागू होगी जब तक कि वह कम्पनी अपने को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी न घोषित कर दे।

श्री उदितनारायण—

मेरा सवाल यह था कि उसके ऊपर लीगल ओपीनियन ली गई है कि यह पब्लिक परपज में आता है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

इसके लिये लीगल ओपीनियन लेने की जरूरत नहीं थी। यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक्वायर की थी। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जिन चीजों के लिये जरूरी समझता है उन्हें दे सकता है। इसमें कोई एक्वायर थोड़े की गई है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह अस्पष्ट है। उनके वक्तव्य में कहा गया है कि इस कम्पनी द्वारा १२ सुविधाओं की मांग की गई थी। उनके वक्तव्य में केवल दो चीजों का जिक्र आया है जिसमें उन्होंने १४० एकड़ भूमि देने की सुविधा है और एक दूसरी है। बाकी सुविधाओं के देने के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो १५ रियायतें कम्पनी ने मांगी थीं उनमें से कौन-कौन सी रियायतें सरकार देने के लिये तैयार है और कौन-कौन नहीं ?

श्री बेनीसिंह—

सरकार सभी रियायतें देने को तैयार है किन्तु शर्त यह है कि वह अपने को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के बजाय पब्लिक लिमिटेड कम्पनी घोषित कर दें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टूडियो से प्रवेश द्वार तक जो सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जायगी वह कितनी लम्बी होगी और उसमें कितनी लागत आयेगी ?

श्री बेनीसिंह—

अभी तक चूंकि प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने की बात सामने नहीं आयी है इसलिये उस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया गया है और यह नोटिस भी उनको दी गयी है कि अपनी शर्तें बतलावें ताकि एस्टीमेट पर विचार किया जा सके।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, आज ही सबेरे मैंने बांदा के प्यासे लोगों के सम्बन्ध में प्रश्न किया था कि १२ इंच की वर्तमान राइजिंग वाटर मेन के स्थान पर ३६ इंच की वाटरमेन लगाने की बात सरकार स्वीकार करेगी तो जवाब में "नहीं" कहा गया था। फिर फिल्म स्टार नरगिस के शौहर सुनीलदत्त को उसके बाग बगीचे के लिये विशेष रियायत के साथ मुफ्त पानी देने की व्यवस्था क्यों की गयी है ?

श्री बेनीसिंह—

वहां सिनेमा फिल्म की प्रोसेसिंग व शूटिंग होगी और उस सिलसिले में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी इसलिये उस इंडस्ट्री के सिलसिले में ये सुविधायें दी गयी हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

यह जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की थी इसलिये इतनी सस्ती कीमत पर दी गयी जब कि सभी इस बात को जानते हैं कि दुनिया के अन्दर जो बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं जैसे हालिवुड वगैरह की उनके पास भी इतनी जमीन नहीं है, फिर हमारे प्रदेश में ही इस इंडस्ट्री को इतनी जमीन क्यों दी गयी?

श्री बेनीसिंह—

उसकी जरूरत पड़ी और उनकी जरूरत को समझ कर वह जमीन दी गयी।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को शासन द्वारा किसी नागरिक सुधार सम्बन्धी कार्य के लिये या किसी इंडस्ट्री के लिये ही रिजनेबिल कास्ट लेकर जमीन देती है फिर साधारण किसानों और साधारण लोगों को छोड़कर इस सिनेमा इंडस्ट्री के लिये ही यह प्रायरिटी क्यों दी गयी और इसमें सरकार ने कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया ?

श्री बेनीसिंह—

यह भी एक इंडस्ट्री है, उनको सुविधा देनी थी इसलिये ये सुविधाय दी गयीं।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस फिल्म इंडस्ट्री को जो जमीन दी गयी है वह इस सरकार के जमाने में दी गयी या इससे पहले वाली सरकार के जमाने में दी गयी ?

श्री बेनीसिंह—

इससे पहले वाली सरकार के जमाने में दी गयी। हम तो उनके बचन को निभा रहे हैं। श्री चन्द्रभानु गुप्त की सरकार के जमाने में ही जमीन दी गयी थी।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस भूमि की मारकेट रेट इस वक्त क्या है ?

श्री बेनीसिंह---

इस वक्त का मारकेट रेट नहीं मालूम है।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वहां बहुत सी जमीन एक्वायर करके लोगों को चाहे मकान बनाने के लिये या और किसी चीज के लिये हाई प्राइस पर दे रही है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फिल्म कारपोरेशन को किस दाम पर भूमि दी गयी है ?

श्री बेनीसिंह---

कारपोरेशन के लिये जो भूमि दी गयी है, वह एक्वीजीशन रेट पर दी गयी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में यह जो शब्द हैं---उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अजन्ता फिल्म कारपोरेशन को सरकार ने जो कुछ सुविधायें दी हैं, वे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के हित में दी गयी हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस राय से सहमत हैं या नहीं ?

श्री चरणसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से मसले होते हैं जो बार्डर लाइन पर होते हैं जिनकी बाबत दो रायें हो सकती हैं। अगर यह सवाल इस गवर्नमेंट के सामने उस समय आता तो शायद यह सरकार उसको स्वीकार न करती। जब उस सरकार ने स्वीकार कर लिया और सारे इन्स्ट्रूमेंट्स एक्जीक्यूट हो गये हैं, फिर कानूनन भी हम बक-आउट नहीं कर सकते। हमारे दोस्तों को तो इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिये, अगर हम आपकी पैरवी कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जो भी सुविधाएं अजन्ता कारपोरेशन को दी गयी हैं वह पिछली सरकार ने दी थीं। अब नीट एण्ड क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए और माननीय सदस्यों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आप पुनः इस बात पर विचार करेंगे कि इसको बन्द कर दिया जाय।

श्री बेनीसिंह---

सरकार ने कारपोरेशन को यह लिखा है कि चूंकि कम्पनी ने पूरी शर्तों को अभी नहीं माना है इसलिये उनको १५ दिन का नोटिस दिया गया है। अगर वे १५ दिनों में पूरी शर्तें नहीं मानेंगे तो उन शर्तों को हम वापस भी ले लेंगे।

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)---

चूंकि यह एग्रीमेंट जो हुआ है वह 'वन-साइडेड' हुआ है इसलिये क्या वर्तमान सरकार इस बारे में कोई लीगल ओपीनियन लेगी कि क्या इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जा सकता है ?

श्री बेनी सिंह---

जी हां।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी कान्ट्रेक्ट की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनीसिंह---

अभी तक उन्होंने अपने आपको पब्लिक कम्पनी घोषित नहीं किया है, इसलिये अभी तक कोई कान्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ।

श्री जगदीश गांधी---

हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी फिल्म स्टूडियो को १५ एकड़ से अधिक जमीन नहीं दी गयी है लेकिन गुप्ता जी ने उसको २०० एकड़ जमीन दे दी, जो बहुत ज्यादा है । क्या इस गलती को सुधारने के लिये सरकार इस कान्ट्रैक्ट को खत्म करेगी ?

श्री चरणसिंह---

माननीय मित्रों की प्रतिक्रिया को देखकर और जैसा कि मेरे मित्र पहले कह चुके हैं, सरकार इस सारे मसले पर कानूनी दृष्टि से विचार कर रही है कि अगर यह एग्रीमेन्ट पूरे तौर से ऐक्जीक्यूट नहीं हुआ है तो सरकार इस पर भी विचार कर सकती है कि वह कान्ट्रैक्ट में ऐन्टर हो न हो, एग्रीमेंट न भी करे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

जब यह बात निश्चित हो गयी है जैसी कि आपने राय जाहिर की कि गुप्ता जी ने यह कांट्रैक्ट करके बहुत भारी भूल की, जनहित में नहीं है और कम्पनी भी अपनी शरायत को पूरा नहीं कर सकी इसलिये वह कांट्रैक्ट वायड है तो मुख्य मंत्री जी को तत्काल यह घोषणा करने में क्या आपत्ति है कि वह इस कांट्रैक्ट को जनहित में कैन्सिल कर दें ?

श्री चरणसिंह---

मैंने यह कभी नहीं कहा कि माननीय गुप्ता जी ने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा कि बार्डर लाइन केस है, अगर वह गवर्नमेंट होती तो शायद दूसरा फैसला लेती। दूसरे, मैं कह ही चुका, मेरे सहयोगी कह चुके कि हम इस पर फिर से विचार कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि गुप्ता जी की सरकार ने जो इस कम्पनी को रियायत देना स्वीकार किया था उसके पीछे कोई राजनीतिक चाल तो नहीं थी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या मंत्री जी और मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अजन्ता वालों से भारतीय क्रान्ति दल के एक जिम्मेदार आदमी ने अभी कुछ दिन पहले बात की है और यह दबाव डाला है कि अगर आपने हमारी यह बात नहीं मानी तो हम इसको रद्द करा देंगे ? क्या ऐसी इनको जानकारी है ?

श्री बेनीसिंह---

मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते थे।

श्री चरण सिंह---

मैं तो माननीय मित्र महोदय को मुबारकबाद देना चाहता था कि बहुत दूर की कौड़ी लाये वह।

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त हो गया, आधा घंटा हो गया।

(व्यवधान)

(श्री मंजूर अहमद के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष— (व्यवधान)

आप नहीं बैठेंगे तो मैं सदन की कार्यवाही समाप्त कर दूंगा। आप बैठिये।

(श्री मंजूर अहम के बोलते रहने पर।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२० मई, १९७०।

विधान परिषद सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सू० ता० प्र० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८१पर)

सिंचाई दरों की सूची

अनुसूची नं० १

ऊपरी तथा निचली गंगा नहरें, पूर्वी यमुना और आगरा नहरें, सारदा नहर, दून नहरें, रामगंगा, घाघरा, रोहित डांडा और रामगढ़ नहरें, बानगंगा नहर, सलोना ताल पम्प नहर मुखलिसपुर, टांडा बाखिरा, दोहरीघाट, सुरहा पकरी ताल, रातौर ताल और सुरहट पम्प नहरें, अफजलगढ़ नहर, कुआनों पम्प नहर, बस्ती पम्प नहर, बहादुरगंज पम्प नहर , माताटोला बांध प्रायोजना के अन्तर्गत मुरसराई नहर, तुमरिया बांध और ओहन बांध (बाल्मीकि सरोवर) केन नहर (सिफ धान) जिला झांसी में जमालपुर ताल और बुचेरा ताल, माण्डेर नहर (माताटीला बांध), भगवानपुर सरोवर ।

फसलें	प्रति एकड़ दरें	
	तोड़	डाल
	रु०	रु०
गन्ना	४०.००	२०.००
धान (दून नहरों पर ब्रोडकास्ट धान को छोड़कर) तर-कारियों, बाग प्रति फसल सिंघाड़ा, पोस्ता ..	१४.००	७.००
आलू	३०.००	१५.००
दून नहरों पर ब्रोडकास्ट धान	७.००	३.५०
तम्बाकू	१६.००	८.००
चाय, दून नहरों में बाग	१५.००	७.५०
गेहूं, जौ और गेहूं या जौ से सम्मिलित फसलें ..	१२.००	६.००
कपास	४.५०	२.५०
चारे की फसलें	३.००	१.५०
हरी खाद	२.००	१.००
अन्य रबी की फसलें	६.००	४.५०
अन्य खरीफ की फसलें	७.००	३.५०

२५ प्रतिशत की वृद्धि नवम्बर, १९६९ से ।

अनुसूची नं० २

बेतवा, घसान, केन (धान छोड़कर) पहुज, गठमक–धोरी, सुखरा नहर, धाधर नहर में सम्मिलित गरई नहर, बरवार नहर, मझ गवां, अनुसार, रायपुर, वेलासागर, कमलपुर, जयवन्ती, कुलपहार, पसिआओरी, जगनार, बराबर झोलें , बेदार दुधो क्षेत्रमें दायुहन और राजसौर जलाशय, झांसी और हमीरपुर जिलों में झोलें और तालें, कोसी, बहेला, धुगा और गंगन नहरें, रामपुर, रानीपुर–नहरें (सपरार बांध), अरजार नहर, नरहट ताल, पाली ताल, अर्जुन नहरें, कबरई झील, नरायनी नहर, भेमका बांध, हिमाया बांध, बहेलियापुर बांध, गनेशपुर बांध, मिर्जापुर

जिले में बांध और ताल, बरवातोला, खलौली और पिपहाडिह बांध, रामपुर जलाशय, बनयोगवा जलाशय, सौरमान जलाशय, गिरगिटी जलाशय, चन्द्रप्रभा बांध, नौगढ़ बांध, निकोया नहर, बबुरी नहर, चन्दौली नहर, पधवरा नहर, चाकिया नहर, करमनासा नहर (मिर्जापुर), मझगवां बघेलखंड जलाशय, वाघला ताल (इलाहाबाद), ननौटी बांध, ललितपुर नहर, परकरी नहर, बरपरन नहर और उरवान ताल, घोरा बांध (बरेली) में सम्मिलित किछा—पाइम, बाल्टो और कुटी नहरें ।

फसलें	प्रति एकड़ दरें	
	तोड़	डाल
	रु०	रु०
गन्ना	२०.००	१०.००
धान, तरकारियां, बाग प्रति फसल, सिंघाड़ा		
पोस्ता	१०.००	५.००
आलू	२०.००	१०.००
कपास	३.००	१.५०
गेहूं, जौ और गेहूं या जौ से सम्मलित फसलें ..	१०.००	५.००
तम्बाकू	१२.००	६.००
चारे की फसलें	२.००	१.००
हरी खाद	२.००	१.००
अन्य रबी की फसलें	५.००	२.५०
अन्य खरीफ की फसलें	५.००	२.५०

२५ प्रतिशत की वृद्धि नवम्बर, १९६९ से ।

अनुसूची नं० ३

रोहिलखंड नहरें जिन्हें सारदा नहर से पानी नही मिलता, कोसी बहेला, घुगा और गंगन नहरों को छोड़कर रामपुर नहरें, कुमायूं सिंचाई प्रायोजना जिसमें जिला नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टेहरी गढ़वाल की पहाड़ी शाखाएं सम्मिलित हैं, वाराणसी की बंधियां ।

फसलें	प्रति एकड़ टेर	
	तोड़	डाल
	रु०	रु०
गन्ना	१०.००	५.००
धान, तरकारियां, बाग प्रति फसल, सिंघाड़ा, पोस्ता	४.००	२.००
आलू	१०.००	५.००
अन्य खरीफ की फसलें और सब रबी की फसलें ..	४.००	२.००
कपास	२.००	१.००
चारे की फसलें	२.००	१.००
हरी खाद	२.००	१.००

राजकीय नलकूप—

सभी फसलों के लिये प्रति ८००० गैलन पानी के लिए १ रु० देय है ।

३ से ५ क्यूसेक्स क्षमता के राजकीय नालकूप—

द्विभागीय शुल्क पद्धति के अन्तर्गत (१) २० रु० प्रति एकड़ वार्षिक निश्चित शुल्क (जो १० रु० प्रति फसल के हिसाब से देय है) तथा (२) एक परिवर्तनीय शुल्क प्रत्येक सिंचाई के लिये प्रति रबी व अन्य खरीफ की फसलों के लिये ८ रु० प्रति एकड़ और गन्ना तथा धान के लिये १० रु० प्रति एकड़ ।

लिफ्ट सिंचाई—

(१) डीजल पम्पिंग सेट्स—

	रबी की फसलें तथा गन्ना	खरीफ की फसलें
	रु० प्रति घंटा	रु० प्रति घंटा
१—५ अश्व-शक्ति पम्पिंग सेट्स ..	५.२५	४.००
२—१० अश्व शक्ति के पम्पिंग सेट्स ..	६.२५	७.००

२—लिफ्ट सिंचाई के अन्तर्गत पम्प नहरें—

(क) बिजली से चालित—

द्विभागीय शुल्क पद्धति के अन्तर्गत (१) २० रु० प्रति एकड़ वार्षिक निश्चित शुल्क (जो १५ रु० रबी में तथा ५ रु० खरीफ में देय है) तथा (२) एक परिवर्तनीय शुल्क प्रत्येक सिंचाई के लिये रबी व अन्य खरीफ की फसलों के लिये ८ रु० प्रति एकड़ और धान तथा गन्ना के लिए १० रु० प्रति एकड़ ।

(ख) डीजल से चालित—

द्विभागीय शुल्क पद्धति के अन्तर्गत (१) ३० रु० प्रति एकड़ वार्षिक निश्चित शुल्क (जो २० रु० रबी में तथा १० रु० खरीफ में देय है) तथा (२) एक परिवर्तनीय शुल्क प्रत्येक सिंचाई के लिये रबी व अन्य खरीफ की फसलों के लिये ६ रु० तथा धान व गन्ना के लिये ११ रु० प्रति एकड़ ।

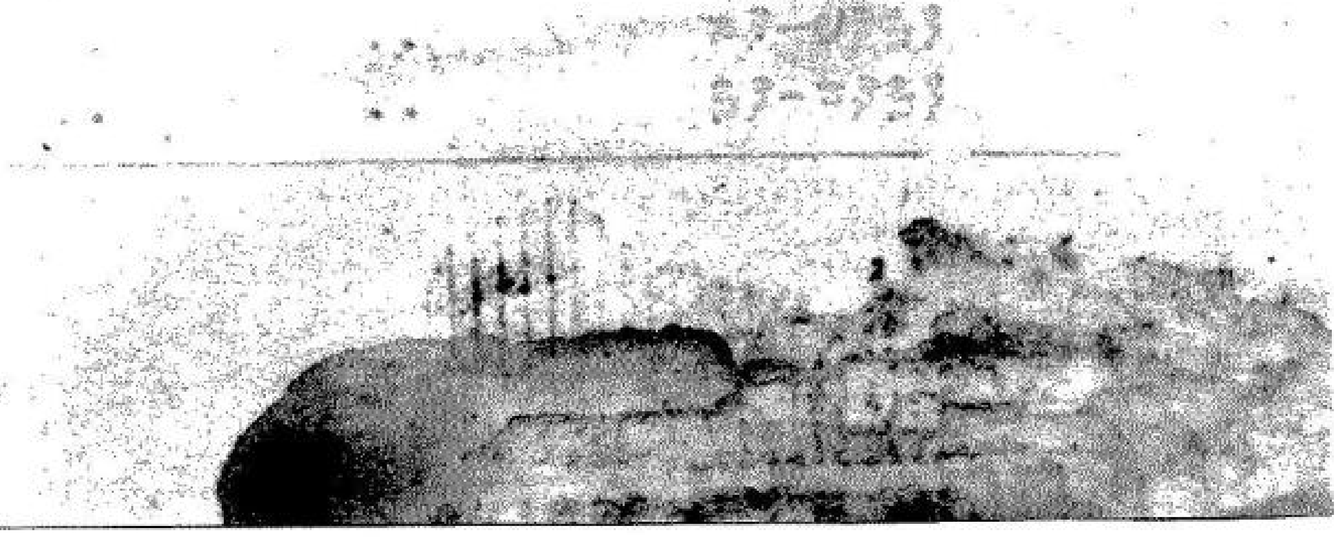

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के ता० प्र० ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९१पर]

अ—सड़कों के रख-रखाव सम्बन्धी आवर्तक अनुदान

वर्ष			स्वीकृत अनुदान की राशि	अवशेष यदि हो
			रु०	
१९५७–५८	..	..	४०,०००	नहीं
१९५८–५९	..	..	६२,०००	नहीं
			१०,०००	
१९५९–६०	..	..	१,३२,०००	नहीं
१९६०–६१	..	..	१,६६,०००	नहीं
			६,७५०	स्वीपर्स क्वार्टर्स के लिये ।
१९६१–६२	..	..	८६,४००	नहीं
			१३,५००	स्वीपर्स क्वार्टर्स के लिये ।
१९६२–६३	..	..	८८,२००	नहीं
१९६३–६४	..	..	८८,२००	नहीं
१९६४–६५	..	..	२,०२,५००	नहीं
१९६५–६६	..	..	२,१६,०००	नहीं
१९६६–६७	..	..	२,१६,०००	नहीं
१९६७–६८	..	..	—	प्रश्न नहीं उठता
१९६८–६९	..	..	२,१६,०००	नहीं
			२५,००० (विशेष अनुदान) ।	

ब—जन-स्वास्थ्य

वर्ष			अनावर्तक अनुदान	अवशेष
१९५७–५८	..	..	१,२००	नहीं
१९५८–५९	..	..	कुछ नहीं	,,
१९५९–६०	..	..	कुछ नहीं	,,
१९६०–६१	..	..	१२,०००	,,
१९६१–६२	..	..	१,४७५ रु० खाद के लिये	,,
१९६२–६३)	..	..		
१९६३–६४ }	..	..	कुछ नहीं	,,
१९६४–६५)	..	..		
१९६५–६६	..	..	३०,०००	,,
१९६६–६७	..	..	३०,०००	,,
१९६७–६८	..	..	कुछ नहीं	,,
१९६८–६९	..	..	कुछ नहीं	,,

ग—शिक्षा सम्बन्धी अनुदान—

वर्ष	आवर्तक	अनावर्तक	योग
	रु०	रु०	रु०
१६५७–५८	१,६८,०८७.३६	१०,०००.००	१,७८,०८७.३६
१६५८–५६	१,८४,८०८.६८	..	१,८४,८०८.६८
१६५६–६०	१,६०,२६३.००	..	१,६०,२८३.००
१६६०–६१	२,०३,१६८.००	..	२,०३,१६८.००
१६६१–६२	२,८५,४०२.७१	८०,०००.००	३,६५,४०२.७१
१६६२–६३	२,७३,५६६.३४	२०,०००.००	२,६३,५६६.३४
१६६३–६४	२,७५,४०१.५६	..	२,७५,७०१.५६
१६६४–६५	२,८८,८६३.५०	..	२,८८,६६३.५०
१६६५–६६	३,६२,११३.००	१३,०००.००	४,०५,११३.००
१६६६–६७	३,८७,४१२.६७	..	३,६७,४१२.६७
१६६७–६८	४,३६,०२२.००	..	४,३६,०२२.००
१६६८–६६	४,७८,६०४.१०	..	४,७८,६०४.१०

छ—असाधारण योजना कार्यान्वयन के लिये अनावर्तक अनुदान—

वर्ष	स्वीकृत अनुदान की राशि
१६६८–६६	१ लाख रु०

द—अनावर्तक अनुदान जुर्माने के मद में—

वर्ष	राशि	अवशेष
	रु०	
१६५७–५८	५७८	कुछ नहीं
१६५८–५६	५६४	
१६५६–६०	कुछ नहीं	
१६६०–६१		
१६६१–६२		
१६६२–६३	४००	कुछ नहीं
१६६३–६४	११००	
१६६४–६५	४८१	
१६६५–६६	२७७	
१६६६–६७	२३५०	
१६६७–६८	कुछ नहीं	
१६६८–६६	कुछ नहीं	

ख—जनरल परपजेज ग्रांट्स—

वर्ष		आवर्तक	अनावर्तक
		रु०	
१६५७–५८	..	४२७	
१६५८–५६	..	४१०	
१६५६–६०	..	८२०	
१६६०–६१	..	८२०	
१६६१–६२	..	८२०	१,२०० रु० कास्ट बेवज के लिये
१६६२–६३	..	८२०	१,५५० रु० हाउस लिस्टन के लिए
१६६३–६४	..	८२७	
१६६४–६५	..	८२७	
१६६५–६६	..	८२७	
१६६६–६७	..	८२७	
१६६७–६८	..	८१७	
१६६८–६६	..	८१७	

नत्थी 'ग'

[देखिए नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पृष्ठ १०९२ पर]

वर्ष	आय (ओपनिंग बैलेंस सहित)		व्यय	
	रु०	पै०	रु०	पै०
१९५६–५७	१३,२५,४१५	.२८	१४,२९,४८०	.६५
१९५७–५८	१६,६२,८४६	.९४	१७,५०,७८८	.७९
१९५८–५९	२०,७६,१३२	.६७	२१,८३,४४३	.१७
१९५९–६०	२६,७७,४६९	.४५	२४,०८,०५५	.२०
१९६०–६१	२५,८५,४७८	.९४	२७,६०,२९७	.७२
१९६१–६२	४२,८८,२६८	.६२	३९,६८,४७२	.९१
१९६२–६३	५२,६७,७७१	.४०	५०,५८,१५१	.६६
१९६३–६४	५०,११,६२२	.९३	५१,४०,३५६	.२१
१९६४–६५	५५,२४,९५९	.५०	५२,५६,४३२	.२६
१९६५–६६	५७,१५,७४६	.६०	६४,६५,२००	.८४
१९६६–६७	६९,८६,६८७	.८५	७०,२३,६४०	.७७
१९६७–६८	४५,९०,०५९	.७३	४८,१०,१५८	.७४
१९६८–६९	४४,२६,१८२	.३९	४१,४१,६२७	.३७
१९६९–७०	४९,१०,८७६	.१२	४९,८३,१५२	.१८

नत्थी 'घ'

[देखिए नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९२ पर]

गढ़वाल कमिश्नरी विवस समारोह आयोजन के निमित्त विभिन्न श्रोतों से प्राप्त आय

	रु०
१—टिहरी जिले से एकत्र धन जो जिलाधिकारी टिहरी से प्राप्त हुआ	१,०५०.००
२—उत्तरकाशी जिले से एकत्रित धन जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ	१,०००.००
३—लीसा उद्योग सहकारी समिति, कोटद्वारा से प्राप्त ..	५०१.००
४—नगरपालिका, पौड़ी से प्राप्त ..	१,५३९.७५
५—नगरपालिका, देवप्रयाग से प्राप्त ..	९९.००
कुल आय ..	४,१८९.७५

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १११० पर)

भूमि सुधार मूल्यांकन समिति के सदस्यों की सूची

१—श्री जगन्नाथ प्रसाद (सदस्य विधान सभा) .. अध्यक्ष

२—श्री राम प्रसाद (सदस्य विधान सभा) .. सदस्य

३—श्री जगन्नाथ सिंह यादव (सदस्य विधान सभा) .. ,,

४—श्री राम रतन (सदस्य विधान सभा) .. ,,

५—श्री मोहन लाल (सदस्य विधान सभा) .. ,,

६—श्री हिम्मत सिंह (सदस्य विधान सभा) .. ,,

७—श्री गंगा प्रसाद (सदस्य विधान सभा) .. ,,

८—श्री कन्हैया लाल बाल्मीकी (सदस्य विधान सभा) .. ,,

९—श्री गोपाल नारायण सक्सेना भूतपूर्व (सदस्य विधान परिषद्) .. ,,

१०—श्री सैय्यद हुसेन, आई० ए० एस० .. सदस्य, सचिव।

संसद भवन

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १११३ पर)

जलाशय सागर का नाम	वन विभाग से ली गई भूमि	राजस्व विभाग से ली गई भूमि	इस समय कुल बिना जलमग्न भूमि	इस समय बिना जलमग्न वाली भूमि जो उपयोग में आ रही तथा लीज पर उठाई गई है	पूर्ण जलस्तर तक भरने के पश्चात जो भूमि बिना जलमग्न रह जायगी	इस समय बिना जल मग्न भूमि किस प्रकार उपयोग में लाई जा रही है
१	२	३	४	५	६	७
	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	
१—बैगुल सागर	५५२६.००	११२८.०४	४३७.००	२३६.००	—	इस ४३७ एकड़ भूमि में से १२५ एकड़ भूमि जलाशय के जलमग्न क्षेत्र की भूमि है जो वर्तमान जलस्तर पर जलमग्न होने से बची है। शेष ३१२ एकड़ भूमि जलमग्न क्षेत्र एव बन्ध सीट से बाहर है। इसमें से कुल २०१ एकड़ भूमि के पट्टे वर्ष ६८-६९ में किये गये थे तथा वर्ष ६९-७० में केवल १२१ एकड़ भूमि के पट्टे दिये गये थे। (शेष ८० एकड़ भूमि के पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया गया है।) २२ एकड़ भूमि पर अवैध अधिकार है। २० एकड़ भूमि पर सरकारी भट्ठा है, १४ एकड़ एकड़ भूमि में झील है तथा वह किसी योग्य नहीं है। १४.४ एकड़ वन भूमि तथा ४०.६ एकड़ राजस्व

उत्तर प्रदेश विधान सभा

						विभाग की भूमि किसी योग्य नहीं है। उपरोक्त १२५ एकड़ भूमि में से ११५ एकड़ भूमि के पट्टे ६९–७० में किये गये थे तथा शेष १० एकड़ के पट्टों का नवीनीकरण नहीं हुआ है।
२—सारदा सागर	१६४६१.००	६०७.००	३३२७.००	—	२४६२.००	(क) सारदा सागर के बाहर (डी० ।एस०) नीचे की ओर की फालतू भूमि में से नैनीताल जिले में ४७८ एकड़ तथा पीलीभीत जिले में १६२ एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है जिसको हटाने के लिये विभाग की ओर से प्रयत्न किये गये परन्तु अवैध कब्जा अभी तक नहीं हटा है। अतः इस बची हुई फालतू भूमि को जिन विभागों से यह अधिकृत की गई थी उनको वापस कर देने का प्रस्ताव है। (ख) शारदा सागर के जलाशय की भूमि जो ६१७ व ६२५ के स्तर के बीच की है का कुल क्षेत्रफल ८६५ एकड़ है। वह वृक्षारोपण के लिये वन विभाग को देने को प्रस्तावित है।
३—नानक सागर	२५७१.२४	६६६०.१६६	८३५.६२५	३४३.६००	८३५.६२५	कुछ भूमि पट्टे पर उठाई हुई है तथा फालतू भूमि पर अनधिकृत कब्जा है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६८ एल० ए०—१९७१–८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा